दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित: 13 फरवरी 2023

उद्घोषित: 12 मई, 2023

+ सिविल वाद (वाणि.) 74/2021 व 1, अं.आ. 2289/2021 (*सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX का नियम 1 व 2*), अं.आ. 3508/2021 (*सि.प्र.सं. के आदेश I का नियम 10*), अं.आ. 8789/2021 (*अभिलेख पर लिखित कथन लेने हेतु*), अं.आ. 8790/2021 (*सि.प्र.सं. के आदेश I का नियम 10*), अं.आ. 8796/202 1 (*सि.प्र.सं. के आदेश VIII का नियम 1*), अं.आ. 8838/2021 (*सि.प्र.सं. की धारा 151*), अं.आ. 8839/2021 (छूट) तथा अं.आ. 1430/2023 (*सि.प्र.सं. के आदेश II का नियम 1(4)*)

टेन इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट .....वादी

द्वारा: श्री राजशेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अभिषेक मल्होत्रा, श्री रोमेल खान, डॉ. मिश्रा एम. कुमार एवं श्री विशाखा गुप्ता, अधिवक्तागण

बनाम

नोवेक्स कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य ....प्रतिवादीगण

द्वारा : श्री चंदर एम. लाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री जसदीप सिंह ढिल्लों एवं सुश्री मोहिना आनंद, प्रतिवादी - 1 की ओर से अधिवक्तागण

श्री अखिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अंकुर संगल, सुश्री सुचिता रॉय, सुश्री तृषा नाग, सुश्री आसावरी जैन एवं सुश्री देबाश्री मुखर्जी, प्रतिवादी - 2 की ओर से अधिवक्तागण

श्री विवेक चिब, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री दीपशिखा सरकार, प्रतिवादी - 3 की ओर से अधिवक्ता

श्री तेजवीर सिंह भाटिया, श्री उत्सव मुखर्जी एवं श्री सुदीप चटर्जी, प्रतिवादी - 4 की ओर से अधिवक्तागण

श्री वोकराम ग्रोवर एवं श्री हरीश चौहान, प्रतिवादी - 6 की ओर से अधिवक्तागण

श्री संजीव सिंधवानी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री राजेश्वरी एच एवं श्री दीपांशु नागर, प्रतिवादी - 7 की ओर से अधिवक्तागण

श्री सुमित गोयल, सुश्री सोनल गुप्ता, सुश्री स्वाति भारद्वाज एवं श्री अभिषेक ठकराल, प्रतिवादी - 8 की ओर से अधिवक्तागण

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरि शंकर

<u>निर्णय</u>

12.05.2023

1. वर्तमान वाद प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 60 सहपठित विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 के तहत इवेंट मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान करने में शामिल वादी टेन इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट द्वारा संस्थित किया गया है।

वाद, संक्षेप में

2. एक इवेंट मैनेजमेंट उद्यम के रूप में, वादी अन्य चीजों के अतिरिक्त, लक्जरी होटलों में विवाह समारोहों का आयोजन करता है। इस तरह के समारोहों के दौरान, उत्सव में मनोरंजन हेतु डिस्क जॉकी (डीजे) द्वारा गीत बजाए जाते हैं। होटलों ने वादी को लिखा है कि वादी को प्रतिवादीगण 1 - 3 से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो इन गानों पर प्रतिलिप्यधिकार रखने का दावा करते हैं। वादपत्र में लगाए गए आरोपों के उत्तर में ये सूचना प्रतिवादीगण 1 से 3 की ओर से होटलों को दी गई सूचना के आधार पर जारी किए गए हैं, जिसके तहत प्रतिवादीगण 1 से 3 ने होटलों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि कोई भी व्यक्ति, जिसे गाने बजाने के लिए उनके पास प्रतिलिप्यधिकार है, ऐसा करने से पहले उनसे अनुज्ञप्ति या निराक्षेप प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर लें। वादी के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52(1)(यक) को ध्यान में रखते हुए ऐसे किसी अनुज्ञप्ति या एनओसी की आवश्यकता नहीं है।

3. स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, इस समय भी वादपत्र में एक स्पष्ट दावे का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है, जिसके समर्थन में कोई भी तथ्यात्मक सामग्री नहीं है। वादपत्र का पैरा 14 इस प्रकार है:

> "14. हाल ही में, वादी को *प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के विधिविरुद्ध आचरण से परेशान किया गया है, जिन्होंने प्रतिवादीगण सं. 4 से 8 और संभवतः, प्रतिवादी सं. 9 के अन्य होटल सदस्यों को* प्रतिवादीगण सं. 4 से 8 के स्वामित्व/संचालन वाले होटल स्थलों पर विवाह के दौरान वादी द्वारा बजाई गई किसी भी ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 द्वारा निराक्षेप प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने एवं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, यह सूचित किए जाने के बावजूद कि इस तरह का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में "उचित व्यवहार" है तथा इसे धारा 52(1)(यक) के आधार पर उल्लंघन कारी कृत्यों की परिभाषा से स्पष्ट रूप से अपवर्जित किया गया है।
>
> (जोर दिया गया)

यह इंगित करने के लिए कोई पत्राचार या अन्य सामग्री नहीं है कि प्रतिवादीगण 2 या 3 ने कभी भी होटलों के साथ इस प्रभाव से संवाद किया है कि किसी भी विवाह समारोह में उनकी रिकॉर्डिंग चलाने से पहले उनसे एक अनुज्ञप्ति/एनओसी प्राप्त करनी होगी, या इसके अतिरिक्त उन्हें दायित्व या विधिक कार्यवाही की धमकी देनी होगी। हालांकि, प्रतिवादी 1 ने दिनांक 14 दिसंबर 2020 को एक ऐसा पत्र संबोधित किया है, जिसका उल्लेख मैं अभी कर रहा हूँ। यह पहलू प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन के लिए दायित्व या विधिक कार्यवाही की धमकी से बचना, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत ऐसे प्रतिवादी के खिलाफ वाद चलाने के लिए आवश्यक शर्त है।

4. यह माना जाता है कि प्रतिवादीगण 1 से 3 एवं वादी के बीच कोई पत्राचार नहीं हुआ है। हालांकि, प्रथम दृष्टया वादी के अनुसार प्रतिवादीगण 1 से 3 का आग्रह है कि विवाह समारोह में जिन गानों पर उनका प्रतिलिप्यधिकार है उन्हें बजाने वाले किसी भी व्यक्ति को उनसे अनुज्ञप्ति/एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के की धारा 52(1)(यक) के विरुद्ध है। इस आग्रह के बावजूद प्रतिवादीगण 1 से 3 द्वारा होटलों को अपने संवाद में इसके परिणामस्वरूप होटल ने वादी को पत्र लिखकर सूचित किया कि वादी को प्रतिलिप्यधिकार वाले गाने बजाने से पहले प्रतिवादीगण 1 से 3 से अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी साथ ही वादी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए वर्तमान वाद दायर किया है: जो निम्नानुसार है:

> "47. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया:
>
> (क) यह घोषणा करते हुए एक आदेश या डिक्री पारित करें कि अधिनियम की धारा 52(1)(यक) में प्रदान की गई प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन से स्पष्ट छूट को दायरे में रखते हुए वादी द्वारा या अन्यथा विवाह और उससे जुड़े समारोहों में ध्वनि रिकॉर्डिंग और/या संगीत कार्यों और गीतों का उपयोग किए जाने पर कोई प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन नहीं होता है;

(ख) यह घोषणा करते हुए एक आदेश व डिक्री पारित करें कि संगीत जैसे विवाह समारोह के प्रयोग/उपयोग के संबंध में प्रतिवादी सं. 1-3 और/या किसी अन्य प्रतिवादी होटल से न तो अनुज्ञप्ति और न ही निराक्षेप प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है;

(ग) वादी द्वारा दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 में आयोजित विवाह और संबंधित समारोहों में संगीत के उपयोग के संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1-3 से लिए गए अनुज्ञप्ति/एनओसी को रद्द करने का आदेश और डिक्री पारित करें;

(घ) विवाह बरात और विवाहों से जुड़े समारोहों के लिए प्रतिवादी सं. 1-3 से अनुज्ञप्ति/एनओसी मांगने हेतु और परिणामस्वरूप यह आदेश देने हेतु कि ऐसी धमकियां/नोटिस/संचार अवैध हैं तथा इसलिए यह आधारहीन हैं प्रतिवादीगण, उनके निदेशकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, नौकरों, एजेंटों, सहयोगियों एवं समूह कंपनियों, और/या उनकी ओर से कार्य करने वाले अन्य लोगों को वादी या अन्य समान संस्थाओं को नोटिस जारी करने/आकांक्षा करने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश का आदेश एवं डिक्री पारित करें;

(ङ) प्रतिवादी सं. 1 को दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच हुए विवाहों के लिए वादी द्वारा दबाव में भुगतान की गई ₹ 2,00,000/- की राशि वापस करने का निर्देश देने का आदेश पारित करें।"

इसके अतिरिक्त, वाद में हर्जाने एवं जुर्माने की भी मांग की गई है।

5. वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सि.प्र.सं.) के आदेश XXXIX नियम 1 व 2 के तहत, अंतर्वर्ती आवेदन 2289/2021 वाद दायर किया है, जिसमें अंतरिम व्यादेश राहत की मांग की गई है। आवेदन में प्रार्थना खंड निम्नानुसार है:

"उपरोक्त परिस्थितियों में, आवेदक/अपीलार्थी ने अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की है कि माननीय न्यायालय कृपा:

क) विवाह बरात व विवाह से जुड़े समारोहों के लिए प्रतिवादी सं. 1-3 से अनुज्ञप्ति/एनओसी प्राप्त करने हेतु, संलग्न वादपत्र के अंतिम निर्णय के

लंबित रहने तक प्रतिवादीगण, उनके निदेशकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, नौकरों, अभिकर्ताओं, सहयोगियों एवं समूह कंपनियों व उनके लिए या उनकी ओर से कार्य करने वाले अन्य सभी लोगों को वादी या उसके सदस्यों को नोटिस जारी करने/आकांक्षा करने से रोकने के लिए एक अंतरिम व्यादेश पारित करें;

ख) विवाह बरात और विवाहों से जुड़े समारोहों के लिए प्रतिवादी सं. 1-3 से अनुज्ञप्ति/एनओसी मांगने हेतु, वादपत्र का अंतिम निर्णय लंबित है, प्रतिवादीगण, उनके निदेशक, कर्मचारी, अधिकारी, नौकर, अभिकर्ताओं, सहयोगी और समूह कंपनियां, और/या उनकी ओर से कार्य करने वाले अन्य लोगों को वादी या उसके सदस्यों को नोटिस जारी करने/आकांक्षा करने से रोकने हेतु एक पक्षीय अंतरिम व्यादेश प्रदान करें; और

ऐसा कोई अन्य आदेश पारित करें जिसे यह माननीय न्यायालय न्याय हित में उचित समझे।"

इस अंतर्वर्ती आवेदन 2289/2021 के निर्णय का निपटान किया जाता है।

<u>प्रत्यर्थीगण</u>

6. वादी प्रत्यर्थीगण के रूप में पक्षकार है,

(i) रिकॉर्डिंग के प्रतिलिप्यधिकार धारक, जिन्होंने कथित तौर पर होटलों को यह लिखा है कि होटलों में आयोजित विवाह समारोहों में कोई भी काम करने से पहले जिसमें वे प्रतिलिप्यधिकार रखते हैं उनसे अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाना चाहिए, प्रतिवादीगण 1 से 3 के रूप में, नामतः

(क) प्रतिवादी 1 के रूप में, नोवेक्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद “नोवेक्स” के रूप में संदर्भित)

(ख) प्रतिवादी 2 के रूप में, फोनोनोग्राफिक परफॉरमेंस लिमिटेड इंडिया (इसके बाद “पीपीएल” के रूप में संदर्भित) और

(ग) प्रतिवादी 3 के रूप में, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड (इसके बाद “आईपीआरएस” के रूप में संदर्भित)

(ii) प्रतिवादी 4 से 8 के रूप में होटलों का स्वामित्व और प्रबंधन करने वाली विभिन्न होटल व निगमित संस्था, अर्थात्

(क) प्रतिवादी 4 के रूप में आईटीसी लिमिटेड,

(ख) प्रतिवादी 5 के रूप में इरोस ग्रैंड रिसॉर्ट्स एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड,

(ग) प्रतिवादी 6 के रूप में हयात इंडिया कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड,

(घ) प्रतिवादी 7 के रूप में मैरियट होटल्स इंडिया लिमिटेड और

(ङ) प्रतिवादी 8 के रूप में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड और

(iii) प्रतिवादी 9 के रूप में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई)

<u>अब तक की कार्यवाही</u>

7. वाद में समन व वाद के साथ दायर आवेदनों में नोटिस दिनांक 12 फरवरी 2021 को जारी किए गए थे। वादी को सुनवाई की अगली तिथि पर प्रतिवादी 1 और 2 द्वारा मांगी गई फीस जमा करने का निर्देश दिया गया।

8. दिनांक 16 फरवरी 2022 के आदेश के तहत प्रतिवादी 6 को पक्षकारों की सूची से हटा दिया गया एवं इस प्रकार प्रतिवादीगण 7, 8 व 9 (मैरियट, आईएचसीएल एवं एफएचआरएआई) प्रतिवादीगण 6, 7 व 8 बने।

9. वर्तमान मामले में मेरे द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 2022, 20 दिसंबर 2022, 21 दिसंबर 2022, 5 जनवरी 2023, 10 जनवरी 2023, 17 जनवरी 2023, 6 फरवरी 2023, 7 फरवरी 2023, 9 फरवरी 2023 और 13 फरवरी 2023 तक विस्तृत दलीलें सुनी गईं, जिस तिथि को अंतर्वर्ती आवेदन 2289/2021 में आदेश सुरक्षित किये गये थे।

10. वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजशेखर राव ने अंतर्वर्ती आवेदन 2289/2021 में अंतरिम राहत की मांग की है। श्री चंदर एम लाल, श्री अखिल सिब्बल, श्री विवेक चिब और श्री संजीव सिंधवानी, प्रतिवादीगण 1, 2, 3 व 8 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रतिवादी 4, 6 व 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री तेजवीर सिंह भाटिया, श्री विक्रम ग्रोवर एवं श्री समीर पारेख ने विरोध प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह वाद पोषणीय नहीं था और इसमें मांगे गए अनुतोष प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के तहत, स्वतंत्र रूप से या संयोजन में नहीं दिए जा सकते थे। गुणागुण के आधार पर भी यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को किसी भी तरह के अनुतोष देने का कोई मामला नहीं बनता है।

11. आदेश सुरक्षित करने से पहले और बाद में, पक्षकारों द्वारा विस्तृत लिखित प्रस्तुतियां भी दायर की गई हैं। विभिन्न पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी रुख निम्नलिखित अभिवचनों/प्रस्तुतियों में पाए जाते हैं, जो लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं:

(i) वादपत्र, प्रतिवादी 1 नोवेक्स, प्रतिवादी 2 पीपीएल, प्रतिवादी 3 आईपीआरएस के लिखित कथनों और वादी की लिखित प्रस्तुतियाँ दिनांक 17 फरवरी 2021 और 23 फरवरी 2023 की प्रतिकृतियां,

(ii) प्रतिवादी 1 नोवेक्स की अदिनांकित और दिनांक 20 फरवरी, 2023 के लिखित कथन और लिखित प्रस्तुतियाँ,

(iii) प्रतिवादी 2 पीपीएल का दिनांक 20 फरवरी 2023 का लिखित कथन और लिखित प्रस्तुतियाँ,

(iv) प्रतिवादी 3 आईपीआरएस का लिखित कथन,

(v) प्रतिवादी 4 आईटीसी का लिखित कथन,

(vi) प्रतिवादी 6 मैरियट का दिनांक 2 मई 2022 का लिखित कथन और लिखित प्रस्तुतियाँ,

(vii) प्रतिवादी 7 इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का दिनांक 13 फरवरी 2023 का लिखित कथन और लिखित प्रस्तुतियाँ और

(viii) प्रतिवादी 8 एफएचआरएआई का दिनांक 20 फरवरी 2023 का लिखित कथन और लिखित प्रस्तुतियाँ।

12. मैंने दोनों पर विचार किया है चाहे वो अभिलेख हो या उसके साथ दायर किये गए अभिवचन एवं दस्तावेज या फिर चाहे विभिन्न विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियाँ तथा बार में प्रस्तुत किये गए मौखिक तर्क।

13. इस निर्णय में बाद में प्रस्तुत किये जाने वाले कारणों के लिए, मेरी राय है कि इस वाद की अनुरक्षणीयता के संबंध में प्रतिवादी 1 से 3 की आपत्तियां एवं प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के तहत मांगे गए उपचारों की मांग करने का अधिकार सिद्ध होना ही चाहिए। निश्चित रूप से, मेरा यही विचार है कि

(i) दायर किया गया वाद, सि.प्र.सं. के आदेश I नियम 34 एवं आदेश II नियम 35 के आधार पर अनुरक्षणीय नहीं है, और

(ii) न तो प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60, ना ही विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34, वादी को वादपत्र में मांगी गई राहत पाने का अधिकार देगी।

इसलिए, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52(1)(यक) की व्याख्या और उस संबंध में प्रतिद्वंद्वी तर्कों के गुणागुण सहित विवाद के वास्तविक गुणों का संकेत आवश्यक सीमा तक सीमित होगा।

प्रतिद्वंद्वी मत

<u>वादपत्र</u>

14. वादी शादी समारोहों सहित कॉर्पोरेट कार्यक्रमों और निजी समारोहों के आयोजन के व्यवसाय में लगा हुआ है। प्रतिवादी 1 से 3 के पास विभिन्न ध्वनि रिकॉर्डिंग्स पर प्रतिलिप्यधिकार है जो वादी द्वारा आयोजित विवाह समारोहों के दौरान बजाई जाती हैं। ये विवाह समारोह अक्सर पांच सितारा और लक्जरी होटलों में होते हैं। वादपत्र के पैरा 9 के अनुसार, फेडरेशन ऑफ होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) को प्रतिवादी 9 के रूप में शामिल किया गया है, "देश भर में प्रत्येक होटल को अभियोजित करना संभव नहीं है, जिसके बारे में वादी को आशंका है कि वह प्रतिवादीगण के समान ही अवैध तरीके से कार्य करेगा।" एर्गो, वादपत्र में प्रकथन करता है, एफएचआरएआई को प्रतिवादी 9 के रूप में अभियोजित किया गया है, क्योंकि यह "होटल उद्योग के लिए नोडल एजेंसी प्रतीत होती है और देश भर में बड़ी संख्या में होटल इसके सदस्य हैं"।

15. वादपत्र में प्रख्यान किया गया अधिकार प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52(1)(यक) पर आधारित है। वादी के अनुसार, धारा 52(1)(यक) विवाह समारोहों और उससे जुड़े उत्सवों में ध्वनि रिकॉर्डिंग बजाने को प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन की व्याप्ति और परिधि से पूरी तरह छूट देती है। वादपत्र में आरोप है कि उक्त वैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए प्रतिवादी 1 से 3 ने होटलों को प्रतिवादी 4 से 8 सहित और संभवतः अन्य होटलों को भी निर्देश दिया है कि किसी भी ध्वनि रिकॉर्डिंग, जिसमें वे प्रतिलिप्यधिकार रखते हैं, को होटलों में आयोजित शादी समारोह में बजाने से पहले उनसे निराक्षेप प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करें और प्रस्तुत करें। कथित तौर पर प्रतिवादी 1 से 3 द्वारा विभिन्न होटलों को उक्त प्रभाव के विधिक नोटिस भेजे गए हैं। इन नोटिसों में होटलों के साथ-साथ वादपत्र जैसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही शुरू करने की धमकी दी गई है, यदि कोई ध्वनि रिकॉर्डिंग, जिसमें प्रतिवादी 1 से 3 के पास प्रतिलिप्यधिकार है, उनसे एनओसी प्राप्त किए बिना बजाया जाता है।

परिणामस्वरूप, प्रतिवादी 4 से 8 और एफएचआरएआई के अन्य सदस्यों सहित होटलों ने, वादी और ऐसे अन्य इवेंट मैनेजमेंट उद्यमों के साथ अपने अनुबंध में, विवाह समारोहों के आयोजन स्थल के रूप में होटलों की बुकिंग हेतु प्रतिवादी 1-3 से एनओसी या अनुज्ञप्ति प्राप्त करना एक पूर्व शर्त के रूप में पेश किया है।

16. वादी ने इन मांगों को जबरन वसूली बताया है। चूंकि यह मांगें विवाह के समय की पूर्व संध्या पर उठाई गई थीं, वादी का दावा है कि उसे दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच शादी के समय के दौरान प्रतिवादी 1 से 3 से ऐसी एनओसी प्राप्त करने के लिए विवश किया गया था। इसलिए, वह इस न्यायालय से एक घोषणा की मांग कर रहा है। विधि के अनुसार होटल में आयोजित विवाह समारोहों के दौरान ध्वनि रिकॉर्डिंग चलाने से पहले प्रतिवादी 1 से 3 तक ऐसी कोई एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें वे प्रतिलिप्यधिकार रखते हैं वर्तमान वादी धन की वापसी की भी मांग करता है। दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के दौरान ऐसी एनओसी प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी 1 से 3 को इसके द्वारा भुगतान की गई राशि, दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के सीजन के दौरान ऐसी एनओसी प्राप्त करने के लिए प्रतिवादीगण 1 से 3 को भुगतान की गई राशि की वापसी भी चाहता है।

17. मैं इस बात पर ध्यान दे सकता हूं कि वादपत्र में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 33 का भी अवलंब लिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण 1 व 2 सदस्यों की ओर से ध्वनि रिकॉर्डिंग के अनुज्ञप्ति का हकदार नहीं हैं। हालांकि, बहस के दौरान वादी ने चुनौती की इस प्रकार की चुनौती पर बल नहीं दिया और न ही वर्तमान आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखने से पहले या बाद में वादी द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में इसका प्रख्यान किया गया है।

18. वाद में उठाया गया विवाद, गुणागुण के आधार पर बहुत सरल है क्योंकि इसमें केवल प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52(1)(यक) की व्याख्या शामिल है। हालांकि, प्रतिवादीगण ने वर्तमान वाद की पोषणीयता पर गंभीरता से

सवाल उठाया है। चूंकि विवाद के गुणागुण की जांच करने का अवसर तभी उद्भूत होगा जब वाद में मांगे गए अनुतोष पोषणीय होंगे इसलिए सर्वप्रथम पोषणीयता के प्रश्न को संबोधित करना आवश्यक है।

<u>आक्षेपित पत्राचार</u>

19. इस प्रयोजन हेतु, आक्षेपित पत्राचार के आवश्यक भागों को उद्धृत करना आवश्यक है, जिससे वादी व्यथित होने का दावा करता है।

20. दिनांक 14 दिसंबर 2020 को प्रतिवादी 1 नोवेक्स ने मैरियट होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "मैरियट" के रूप में संदर्भित) को लिखा। पत्राचार का विषय था "विधि के अनुसार आपके होटलों में आयोजित सभी कार्यक्रमों हेतु नोवेक्स की ध्वनि रिकॉर्डिंग के उपयोग के लिए एनओसी प्राप्त करने का अनुरोध" प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 51 और कुछ न्यायिक आदेशों पर भरोसा करते हुए पत्राचार के शुरुआती पैराग्राफ 1 से 4 और अंतिम पैराग्राफ 10 से 12 निम्नवत है:

> “1. हम आपका ध्यान प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 51 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन से संबंधित है तथा धारा 51(क)(i) व 51(क)(ii) उदाहरण प्रदान करती है जब किसी कार्य में प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।
>
> 2. धारा 51(क)(i) के संदर्भ में, कार्य में प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन तब माना जाता है जब कोई होटल और/या परिसर अपेक्षित अनुज्ञप्ति के बिना कुछ भी करता है, ऐसा करने का विशेष अधिकार जो प्रतिलिप्यधिकार द्वारा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को प्रदान किया जाता है।

3. धारा 51(क)(ii) के संदर्भ में कार्य में प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन तब माना जाता है जब कोई होटल और/या परिसर बिना अनुज्ञप्ति के जनता तक कार्य की सूचना हेतु किसी स्थान का उपयोग करता है।

4. *धारा 51(क) के दोनों उप-खंड मैरियट होटलों के लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि ध्वनि रिकॉर्डिंग के मामले में केवल अपने कार्यक्रमों/समारोहों में ध्वनि रिकॉर्डिंग बजाने वाला व्यक्ति ही प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन हेतु वाद चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं है बल्कि कार्यक्रम स्थल (होटल/सभागार/भोज आदि) का प्रभारी व्यक्ति भी उल्लंघन के लिए समान रूप से उत्तरदायी है।*

*****

10. हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि कृपया प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की संबंधित धाराओं सहित यहां संलग्न आदेशों का ध्यान रखें तथा *इस पर भी ध्यान रखे कि हमारे प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन एक गंभीर अपराध है। इसके अलावा कृपया ध्यान दें कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 51 को ध्यान में रखते हुए मैरियट ग्रुप ऑफ़ होटल्स किसी भी परिस्थिति में धारा 52 (यक) के तहत छूट नहीं मांग सकते हैं। इसे उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार सुव्यवस्थित रूप से स्थापित एवं स्वीकार किया गया है।*

11. इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ध्वनि रिकॉर्डिंग में गैर-विशिष्ट सार्वजनिक प्रदर्शन अधिकार प्राप्त करें ताकि विधिक कार्रवाई से बचा जा सके जैसा कि नोवेक्स के प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन हेतु उपरोक्त कथित है।

12. आशा है कि आप हमारे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने के हमारे अधिकार की सराहना करेंगे तथा उसे मान्यता देंगे।

(जोर दिया गया)

21. नोवेक्स द्वारा दिनांक 14 दिसंबर 2020 को उपरोक्त-उद्धृत पत्राचार की प्राप्ति के पश्चात्, दिनांक 22 दिसंबर 2020 को मैरियट के अंतर्गत एक आंतरिक ई-मेल परिचालित किया गया था, जो इस प्रकार है:

"प्रिय इंडिया होटल्स के सभी महाप्रबंधक/डीओएफ,

यह हमारे होटलों द्वारा निःशुल्क अनुज्ञप्ति/एनओसी प्रदान करने वाले पीपीएल/आईएसआर ए/आईपीआरएस के विरुद्ध विवाह या विवाह-संबंधित कार्यक्रमों हेतु अपने संगीत अनुज्ञप्ति/एनओसी का उपयोग करने के लिए नोवेक्स कंपनी द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क/प्रभार का दावा करने के संबंध में लगातार वृद्धि होने के संदर्भ में है।

इस विषय को जारी रखते हुए, हमने उनकी राय जानने के लिए मामले को विधिक अधिवक्ता के पास भेज दिया है, जिसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि वे प्रासंगिक आईपी/प्रतिलिप्यधिकार नियमों का संदर्भ दे रहे हैं।

हालांकि, इस बीच हम ने होटलों के कुछ वरिष्ठ डीओएफ सहित नोवेक्स टीम के साथ बातचीत की। नोवेक्स प्रबंधन सभी संगीत कार्यक्रमों के लिए आवश्यक शुल्क सहित संगीत अनुज्ञप्ति/एनओसी को अनिवार्य बनाने के अपने दावे और निर्णय पर दृढ़ है, चाहे वह व्यावसायिक हो या सामाजिक कार्यक्रम हो। इस मामले का समर्थन करने के लिए उन्होंने पिछले न्यायालय आदेशों के कुछ उदाहरण साझा किए हैं और दावा किया है कि कोई भी सरकारी कार्यकारी न्यायालय के अधिकार से ऊपर नहीं है और दिनांक 27 अगस्त 2019 - सार्वजनिक नोटिस में अपनी उपस्थिति से पूरी तरह इनकार करते हैं।

मैं मुवक्किल को सूचित करने हेतु सभी संबंधितों की *दृढ़ता से अनुशंसा* करता हूं कि संगीत अनुज्ञप्ति/एनओसी अनिवार्य है एवं सभी वाणिज्यिक और सामाजिक आयोजनों हेतु इसे प्राप्त किया जाना चाहिए। विचलन को प्रतिलिप्यधिकार विनियम का उल्लंघन माना जाता है।

<u>नोवेक्स के अनुसार,</u> यदि कोई मैरियट होटल मुवक्किलों को एनओसी/अनुज्ञप्ति के बिना संगीत बजाने की इजाजत दे रहा है, तो होटल महाप्रबंधक और स्वामित्व प्रतिलिप्यधिकार विनियम का उल्लंघन करने हेतु समान रूप से जिम्मेदार हैं क्योंकि यह स्थान होटल संस्था के स्वामित्व में है। किसी भी विचलन पर नोवेक्स द्वारा विधि नोटिस और शुल्क सहित वित्तीय हानि का दावा किया जाएगा।

- संगीत कार्यक्रम आयोजित करने वाले सभी मुवक्किलों के लिए संगीत अनुज्ञप्ति कंपनियों से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्हें निःशुल्क या

शुल्क के आधार पर एनओसी/अनुज्ञप्ति मिल सकती है जिसे मैरियट नियंत्रित नहीं कर सकता है।

- यदि मुवक्किल एनओसी नहीं लेने पर दृढ़ है, तो होटल टीम को मामले को संगीत कंपनियों तक पहुंचाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डीजे की अनुमति नहीं है और मुवक्किल अपने कार्यक्रमों में संगीत नहीं बजा सकते हैं।

- शत प्रतिशत अनुपालन हेतु, होटलों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे कार्यक्रम सेल्स/पहली बातचीत के दौरान मुवक्किल को संगीत अनुज्ञप्ति/एनओसी के महत्व के बारे में बताएं।

कृपया हमारी मीटिंग के बाद नोवेक्स की ओर से संलग्न ई-मेल पत्राचार भी देखें। कृपया उनके दावे के विवरण हेतु अनुलग्नक ई-मेल - फाइल: "मैरियट के पत्र" का संदर्भ ले।

> "कृपया इस ई-मेल संदेश को अपनी सेल्स टीम/कार्यक्रम प्रबंधक टीम व अन्य संबद्ध लोगों तक पहुंचाएं जो मुवक्किल से बातचीत और संगीत अनुज्ञप्ति के अनुपालन हेतु जिम्मेदार हैं ताकि इस विषय पर मुवक्किल को अंतिम समय में होने वाली परेशानी से बचाया जा सके।"

आशा है कि यह विवाह और विवाह संबंधी आयोजनों के लिए संगीत अनुज्ञप्ति की स्थिति स्पष्ट करेगा।

कृपया किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बेझिझक प्रतिक्रिया दें।"

(जोर दिया गया)

22. जयपुर के ताज महल पैलेस होटल ने कार्यक्रम प्रबंधकों के साथ अपने अनुबंध में निम्नलिखित खंड शामिल किया:

"8.3 धार्मिक कार्यों को छोड़कर किसी भी कार्यक्रम जैसे फैशन शो, लॉन्च पार्टी, संगीत कार्यक्रम, विवाह समारोह, किसी पारिवारिक समारोह का संगीत आदि के लिए डीजे या संगीत वाद्य यंत्रों के साथ लाइव या रिकॉर्ड किए गए संगीत प्रदर्शन को बजाने के लिए

प्रतिलिप्यधिकार हेतु अभिकरणों नामतः (i) फ़ोनोग्राफ़िक परफॉर्मेंस लिमिटेड (पीपीएल), (ii) इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी (आईपीआरएस), (iii) नोवेक्स, (iv) इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन (आईएसआरए) आदि से अनुज्ञप्ति/अनुमति/निराक्षेप प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता होगी। एजेंसियों से उक्त अनुज्ञप्ति/अनुमतियां/निराक्षेप प्रमाण पत्र (एनओसी) मुवक्किल को जुर्माने पर प्राप्त करना होगा और कंपनी/होटल उक्त के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।"

23. दिनांक 9 फरवरी 2021 को, आईटीसी होटल्स ने आकृति मदान को लिखा जिसकी एक प्रति वादी को दी गई थी जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दिनांक 14 फरवरी 2021 को होने वाले आगामी कार्यक्रमों में बजाए जाने वाले किसी भी संगीत के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के साथ-साथ नोवेक्स से एनओसी की आवश्यकता थी।

24. इसी तरह, दिनांक 9 फरवरी 2021 को शांगरी-ला के इरॉस होटल में इवेंट सेल्स मैनेजर ने इरॉस होटल में एक कार्यक्रम आयोजित करने के अनुबंध की शर्तों के संदर्भ में वादी को एक ईमेल प्रेषित किया जिसमें "कार्यक्रम में होटल में (1) यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, (2) यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशंस लिमिटेड और (3) ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के संगीत अधिकारों का उपयोग करने के लिए नोवेक्स अनुज्ञप्ति शामिल था।" इसके अतिरिक्त, यदि कार्यक्रम का आयोजक कार्यक्रम में किसी प्रतिलिप्यधिकार संगीत का उपयोग कर रहा था, तो उसे निज़ामुद्दीन में पीपीएल अधिकारियों से "फ़ोनोग्राफ़िक प्रदर्शन अनुज्ञप्ति" नामक एक विशेष अनुज्ञप्ति प्राप्त करना भी आवश्यक था।

25. तथ्यों के आधार पर इसे दोहराना महत्वपूर्ण है कि

(i) प्रतिवादीगण 1 से 3 में किसी से भी एकमात्र सूचना प्रतिवादी 1 नोवेक्स से मैरियट को दिनांक 14 दिसंबर 2020 का पत्राचार है जो अभिलेख पर है,

(ii) अभिलेख पर किसी भी व्यक्ति से प्रतिवादी 2 या प्रतिवादी 3 की ओर कोई पत्राचार नहीं हुआ है,

(iii) इसी तरह, वादी सहित होटल और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के बीच सूचना/अनुबंधों के बारे में यह केवल मैरियट का दिनांक 14 दिसंबर 2020 का ई-मेल है जो नोवेक्स से किसी भी मांग को संदर्भित करता है, और

(iv) जबकि अन्य प्रत्यर्थीगण ने भी वादी के साथ अपने अनुबंध में एक खंड पेश किया है जिसमें उन्हें रिकॉर्डिंग चलाने से पहले प्रतिवादीगण 1-3 से अनुज्ञप्ति/एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जिसमें उक्त प्रतिवादी प्रतिलिप्यधिकार रखते हैं, इस संबंध में प्रतिवादी 1 से 3 द्वारा किसी मांग के कारण आवश्यकता को शामिल किए जाने का दावा नहीं किया गया है।

26. वादी ने प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 27 अगस्त 2019 की निम्नलिखित सार्वजनिक सूचना सं. 10-26/2019-सीओ पर भरोसा किया है:

<u>"सार्वजनिक सूचना</u>

विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या किसी विवाह संबंधी समारोह के दौरान ध्वनि रिकॉर्डिंग के उपयोग के उद्देश्य हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है। अभ्यावेदनों का परीक्षण किया गया।

2. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 52 में कुछ ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जो प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन नहीं है। विशेष रूप से उपरोक्त धारा की उपधारा (1)(यक) में कहा गया है कि:

"किसी साहित्यिक, नाटकीय और संगीतमय काम का प्रदर्शन या ऐसे काम के बारे में जनता के लिये संवाद किसी प्रामाणिक धार्मिक समारोह के दौरान ध्वनि रिकॉर्डिंग के बारे में जनता को सूचित करना केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आयोजित आधिकारिक समारोह का आदेश देता है।

स्पष्टीकरण - खंड के प्रयोजन हेतु विवाह बारात और विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सव सहित धार्मिक समारोह।"

3. अधिनियम की धारा 52(1)(यक) में निहित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, उसके स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाता है, यह स्पष्ट है कि विवाह बारात और विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सवों सहित धार्मिक समारोह के दौरान किसी भी ध्वनि रिकॉर्डिंग का उपयोग प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन नहीं है और इसलिए उक्त उद्देश्य के लिए कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

<u>प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन एवं लिखित प्रस्तुतियाँ</u>

<u>प्रतिवादी 1 का लिखित कथन</u>

27. प्रतिवादी 1 ने अपनी प्रारंभिक आपत्तियों में प्रस्तुत किया है कि वादी ने उन घटनाओं की प्रकृति या प्रकार का भी प्रकटीकरण नहीं किया है जिन्हें वह आयोजित करने का उद्देश्य रखता है। इसलिए, आवश्यक तथ्यों को बताए बिना विधि की एक कल्पनात्मक घोषणा की मांग की जा रही है। इस तरह का वाद विधि में संधार्य नहीं रखा जा सकता।

28. आगे यह तर्क दिया गया है कि सि.प्र.सं. के आदेश II नियम 3 विशेष रूप से विभिन्न प्रतिवादीगण के खिलाफ अलग-अलग वाद हेतुक के संयोजन को निर्धारित करता है जहां कार्रवाई के सभी वाद हेतुक एक ही वाद में सभी प्रतिवादीगण पर लागू नहीं होते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक होटल के संबंध में वादी की शिकायत अलग-अलग है। समान रूप से, यह नहीं कहा जा सकता है कि होटलों के खिलाफ वादी का वाद हेतुक प्रतिवादी 1 के खिलाफ वाद हेतुक के समान होगा। इसलिए, दोनों वाद हेतुक को एक वाद में नहीं जोड़ा जा सकता है जिसमें होटल सहित प्रतिवादी 1 को प्रतिवादी के रूप में अभियोजित किया गया है।

29. यह बताया गया है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52(1)(यक) केवल वास्तविक कार्यों पर लागू होती है। कोई विशेष कार्य प्रामाणिक है या नहीं यह व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों और शामिल कार्यक्रम की प्रकृति पर

निर्भर करेगा। उस सीमा तक "विवाह समारोह" जिसकी धारा 52(1)(यक) के स्पष्टीकरण में संकेत मिलता है, को प्रावधान के मुख्य भाग में परिकल्पित धार्मिक समारोहों में शामिल होना होगा। यह प्रस्तुत करने की मांग की गई है कि जिस तरह के गाने पर प्रतिवादी 1 का प्रतिलिप्यधिकार है, वे उस तरह के नहीं हैं जो वास्तविक धार्मिक समारोहों में बजाए जाते हैं।

30. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अभिव्यक्ति "विवाह से जुड़े सामाजिक उत्सव" में विवाह से पहले और विवाह के बाद होने वाली विविध पार्टियाँ और उत्सव शामिल नहीं होंगे। यह प्रस्तुत किया गया है ये काफी हद तक यह अतिरंजना जैसी हैं और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52(1)(यक) को लागू करते समय विधान मंडल का उददेश्य ऐसे अतिरंजना को वैध बनाने का कभी नहीं हो सकता है।

31. किसी भी कार्यक्रम में यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी जिन समारोहों की मेजबानी करना चाहता है और उक्त समारोहों में बजाए जाने वाले गीतों/रिकॉर्डिंग की प्रकृति के बारे में आवश्यक विवरण के अभाव में वाद खारिज करने योग्य है।

32. प्रतिवादी 1 द्वारा ***फोनोग्राफ़िक परफॉरमेंस बनाम पंजाब राज्य*** मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और ***देवेन्द्रकुमार रामचन्द्र द्विवेदी बनाम गुजरात राज्य*** मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया गया है।

33. अंत में, प्रतिवादी 1 ने अपने लिखित कथन में प्रस्तुत किया है कि प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 27 अगस्त 2019 की सार्वजनिक सूचना विधि के अधिकार के बिना है। यह दोहराया गया है कि वादी द्वारा प्रतिवादी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना रिकॉर्डिंग का सार्वजनिक प्रदर्शन जिसमें प्रतिवादी प्रतिलिप्यधिकार रखता है प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 51 के अर्थ के तहत प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।

<u>प्रतिवादी 1 की अदिनांकित लिखित प्रस्तुतियाँ</u>

34. प्रतिवादी ने दो लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की हैं जिनमें से एक अदिनांकित है और दूसरी दिनांक 20 फरवरी 2023 की है।

35. अपनी पहली अदिनांकित लिखित प्रस्तुतियों में प्रतिवादी 1 का तर्क है कि वाद में चार प्रार्थनाओं में से प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत केवल प्रार्थना (घ) की मांग की जा सकती है।

36. जहां तक वादी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 पर निर्भरता का प्रश्न है प्रतिवादी 1 का तर्क है कि वादी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत प्रतिलिप्यधिकार से संबंधित किसी भी राहत का दावा करने का हकदार नहीं है। ***ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब होल्डिंग्स आयरलैंड अनलिमिटेड कंपनी बनाम नैटको फार्मा एंड नोवेक्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया*** में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम एक स्व-निहित विधि है जो प्रतिलिप्यधिकार से संबंधित सभी विवादों को सम्मिलित करता है और प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई भी उपाय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के बाहर नहीं मांगा जा सकता है।

37. प्रतिवादी 1 ने प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 को पेटेंट अधिनियम, 2000 की धारा 105(1) से अलग करने की भी मांग की है। यह तर्क दिया जा रहा है कि पेटेंट अधिनियम की धारा 105(1) के विपरीत जो यह घोषणा करने की अनुमति देती है कि प्रस्तावित कार्रवाई पेटेंट का उल्लंघन नहीं होगा इसका प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं है। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत वादी द्वारा प्रार्थना (क) की मांग नहीं की जा सकती है। जहां तक प्रार्थना (ख) और (ग) का संबंध है क्योंकि वे प्रार्थना (क) पर निर्भर है, यह तर्क दिया जाता है कि उक्त प्रार्थनाएं भी झूठी नहीं होंगी। इसके अलावा, प्रतिवादी 1 का तर्क है, प्रार्थना (ग) प्रभावी ढंग से स्वेच्छा से प्राप्त अनुज्ञप्ति को रद्द करने की मांग करती है, जिसे विधिवत नहीं दिया जा सकता है।

<u>प्रतिवादी 1 की दिनांक 20 फरवरी 2023 की लिखित प्रस्तुतियाँ</u>

38. इन प्रस्तुतियों की शुरुआत में प्रतिवादी 1 ने अपना तर्क दोहराया कि यदि वर्तमान जैसे वाद की अनुमति दी जाती है तो वादी देश भर के सभी होटलों के खिलाफ एक ही वाद चलाने में सक्षम होगा एवं गैर-उल्लंघन के संबंध में घोषणा की मांग करेगा। प्रतिवादी 1 के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।

39. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी 1 द्वारा दी गई धमकी यदि थी भी तो मैरियट को थी न कि वादी को इसलिए, एक बार मैरियट ने प्रतिवादी 1 के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जैसा कि दिनांक 14 दिसंबर 2020 के नोटिस में निहित था और उसके अनुपालन में वादी सहित अपने अनुबंध को संशोधित किया उसके बाद वादी यह तर्क देते हुए कि प्रतिवादी 1 ने निराधार धमकियां दी थीं, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत वाद दायर नहीं कर सका ऐसा कोई भी वाद यदि कोई था तो केवल मैरियट द्वारा ही दायर किया जा सकता था। मैरियट ने प्रतिवादी 1 के अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय लिया, इसलिए निराधार धमकियों के तर्ज के आधार पर कोई वाद प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत बिलकुल भी संधार्य नहीं था; कम से कम वादी के कहने पर तो नही था। ऐसी परिस्थितियों में वादी स्वयं को धारा 60 के प्रयोजनार्थ "व्यथित व्यक्ति" के रूप में नहीं मान सकता है।

40. इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 51 के तहत, यह केवल कार्यक्रम का मेजबान, या डिस्क जॉकी (डीजे) या उस स्थान का मालिक है जहां कार्यक्रम होना है जो प्रतिलिप्यधिकार धारक से प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम के मेजबान की ओर से वादी को ऐसा प्रतिलिप्यधिकार लेने के लिए अधिकृत करने वाला कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं रखा गया है। इस कारण से भी यह प्रस्तुत किया गया है कि वाद संधार्य नहीं है।

41. अगला तर्क यह है कि सि.प्र.सं. के आदेश I नियम 3 जैसे वर्तमान वाद पर रोक लगाता है। यह बताया गया है कि आदेश I के नियम 3 के खंड (क) और (ख) को संचयी रूप से संतुष्ट किया जाना आवश्यक है जैसा कि दो खंडों के बीच संयोजन "और" के उपयोग से स्पष्ट है। यह बताया गया है कि खंड (क) वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं है। प्रतिवादी 1 द्वारा मैरियट को लिखे गए दिनांक 14 दिसंबर 2020 के पत्र को या तो एक ही अधिनियम या लेनदेन के रूप में नहीं माना जा सकता है ,या होटल और वादी के बीच अनुबंधों की तुलना में कार्यों या लेनदेन की एक श्रृंखला के रूप में नहीं माना जा सकता है, या उक्त अनुबंधों में वह शर्त जिससे वादी व्यथित होने का दावा करता है। ये व्यक्तिगत कार्य/लेनदेन हैं। इसलिए, सि.प्र.सं. के आदेश I के नियम 3 को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक वाद में नहीं जोड़ा जा सकता है।

42. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश I के नियम 3 का खंड (ख) भी संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्रत्येक घटना के लिए वाद हेतुक उस विशेष कार्यक्रम पर निर्भर होगा। इसलिए, वाद में बहस मूलत: आयोजित होने वाले कार्यक्रम की प्रकृति और प्रकार पर निर्भर करती है।

43. प्रतिवादी 1 आगे प्रस्तुत करता है कि वाद सि.प्र.सं. के आदेश II नियम 3 के तहत भी वर्जित है। आदेश II नियम 3 किसी वाद में एक ही प्रतिवादी के खिलाफ या यहां तक कि एक से अधिक प्रतिवादीगण के खिलाफ कार्रवाई के अलग-अलग कारणों को जोड़ने की अनुमति देता है जहां वाद हेतुक ऐसे सभी प्रतिवादीगण के लिए सामान्य है/हैं। यहां, चूंकि वादी प्रत्येक होटल के संबंध में कार्रवाई के अलग-अलग कारण और प्रतिवादी 1 से 3 के संबंध में कार्रवाई के अलग-अलग कारण की दलील दे रहा है सि.प्र.सं. के आदेश II नियम 3 को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई के ऐसे सभी कारणों को एक साथ एक वाद में नहीं जोड़ा जा सकता है। यह बताया गया है कि 1 से 3 प्रतिवादीगण के बीच भी कोई संबंध नहीं है। वे असंबंधित स्वतंत्र संस्थाएं हैं और उनकी गतिविधियों एवं कार्यों का एक-दूसरे से कोई संबंध नहीं है।

44. प्रतिवादी 1 इस उद्देश्य के लिए **शिव नारायण बनाम माणिकलाल** में सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर भरोसा करता है।

45. आगे यह तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा मांगी गई राहत प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 से परे है जैसा कि वाद के पैरा 32 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी 1 ने ***ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब होल्डिंग्स*** और ***टाइम वार्नर एंटरटेनमेंट्स कंपनी, एल.पी. बनाम कोलंबिया पिक्चर्स इंडस्ट्रीज*** के पैरा 9 पर भरोसा करते हुए दोहराया कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम एक पूर्ण संहिता है और इसके बाहर प्रतिलिप्यधिकार से संबंधित किसी भी राहत का दावा नहीं किया जा सकता है।

46. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अनुरूप और उपरोक्त तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिवादी 1 यह प्रस्तुत करता है कि धारा 34 को लागू करने के लिए वादी को यह स्थापित करना होगा कि वह विधिक स्वरूप या विधिक प्रास्थिति का हकदार है। वाद में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के तहत वादी को मिलने वाली किसी भी पात्रता या हक से वंचित होने का दावा नहीं किया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी किसी भी विधिक स्वरूप या किसी विधिक हक के अस्तित्व को बनाने में विफल रहा है जिसे प्रतिवादी इनकार करते हैं ताकि धारा 34 के तहत घोषणा हेतु वाद संधार्य रखा जा सके।

47. वास्तव में, प्रतिवादी 1 का तर्क है कि वादी की शिकायत अनिवार्य रूप से प्रतिवादी 4 से 8 और वादी के बीच अनुबंध के खंड से उत्पन्न होती है जिसमें वादी को उन रिकॉर्डिंग जिसमें प्रतिवादी 4 से 8 के परिसर में किसी भी कार्यक्रम की मेजबानी करने की अनुमति देने से पहले उक्त प्रतिवादीगण के पास प्रतिलिप्यधिकार है जिसमें ऐसी रिकॉर्डिंग चलाने के संबंध में प्रतिवादी 1 से 3 तक एनओसी/अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए कहा गया है। इसलिए, जिसकी मांग की गयी है वह एक अनुबंध में पक्षकारगण के अधिकारों और दायित्व के संबंध में एक घोषणा है जैसा कि इस न्यायालय ने ***प्रिंसटन निकेतन प्राइवेट लिमिटेड***

बनाम फैज मुर्तजा अली मामले में पैरा 5 से 9 में कहा था, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के तहत इसकी मांग नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी 1, ***गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाम जगमोहन सिंह*** पर भरोसा करते हुए पुनः यह प्रस्तुति दोहराता है कि धारा 34 के तहत एक वाद को संधार्य बनाये रखने हेतु वादी में एक विधिक स्वरूप का अस्तित्व एवं स्थापना आवश्यक है जिसे प्रतिवादी अस्वीकार कर रहे हैं।

48. प्रतिवादी 1 का कहना है कि वादी को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत "व्यथित व्यक्ति" के रूप में नहीं माना जा सकता है। एक बार जब होटल प्रतिवादी 1 के अनुरोध पर सहमत हो गए तो वादी को रिकॉर्डिंग चलाने से पहले प्रतिवादी 1 से अनुज्ञप्ति/एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जिसमें प्रतिवादी 1 प्रतिलिप्यधिकार रखता है तथा वादी प्रतिवादी 1 के विरुद्ध विद्यमान शिकायत का दावा नहीं कर सकता है। इस प्रकार, वादी को "व्यथित व्यक्ति" के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि "व्यथित व्यक्ति" "रुचि रखने वाले व्यक्ति" से भिन्न है। "व्यथित व्यक्ति" वह है जो विधिक अधिकार से वंचित है या उसे विधिक शिकायत का सामना करना पड़ा है क्योंकि उसे गलत तरीके से उस चीज से वंचित किया गया है जिसका वह हकदार है। ***तिरूपति बिल्डिंग्स बनाम आरबीआई*** में, यह बताया गया है, "व्यथित व्यक्ति" अभिव्यक्ति को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे विधिक क्षति हुई है न कि वह जो उस लाभ से निराश है जो उसे कोई अन्य आदेश दिए जाने पर प्राप्त हो सकता था। इस संदर्भ में, ***एमआर मिनी बनाम केरल राज्य*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा जताया गया है।

<u>प्रतिवादी 2 का लिखित कथन</u>

49. प्रतिवादी 2 ने अपने लिखित कथन में कहा है कि प्रतिवादी 2 द्वारा वादी को कभी कोई धमकी नहीं दी गई थी और ऐसा कोई दस्तावेज जो ऐसी किसी धमकी को दर्शाता है अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादी 1 का यह तर्क कि प्रतिवादी 1 से 3 स्वतंत्र असंबद्ध संस्थाएं हैं और इसलिए, उन सभी के खिलाफ

एक ही वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है जो प्रतिवादी 2 द्वारा दोहराया गया है।

<u>प्रतिवादी 2 की लिखित प्रस्तुतियाँ दिनांकित 20 फरवरी 2023</u>

50. दिनांक 20 फरवरी 2023 को अपनी लिखित प्रस्तुतियों में, शुरुआत में प्रतिवादी 2 अपने इस तर्क को दोहराता है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है और प्रतिलिप्यधिकार से संबंधित राहत उक्त अधिनियम की सीमा के भीतर मांगी जानी चाहिए। ऊपर बताए गए निर्णयों के अलावा प्रतिवादी 1 ने इस उद्देश्य हेतु ***टैकला कॉर्पोरेशन बनाम सुरवो घोष*** के पैरा 12 पर भी भरोसा जताया है।

51. यह अभिकथन किया जाता है कि वादपत्र प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 से संबंधित वाद हेतुक का प्रकटीकरण नहीं करता है। प्रतिवादी 1 या प्रतिवादी 2 की ओर से वादी से कोई कोई पत्राचार नहीं हुआ है। वादपत्र केवल प्रतिवादी 1 से प्रतिवादी 6 मैरियट तक एकमात्र पत्राचार को संदर्भित करता है। उक्त पत्राचार प्राप्त होने पर यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी 6 या तो प्रतिवादी 1 के खिलाफ प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत वाद दायर कर सकता था या पत्र को नजरअंदाज कर सकता था या पत्र को स्वीकार कर सकता था और कार्यक्रम प्रबंधकों के साथ अपने अनुबंध में एक खंड शामिल कर सकता था जिसमें किसी भी रिकॉर्डिंग को चलाने से पहले प्रतिवादी 1 से अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता होती थी जिसमें उसके पास प्रतिलिप्यधिकार होता है। एक बार जब प्रतिवादी 6 ने तीसरा विकल्प चुन लिया तो वादी वर्तमान वाद के माध्यम से प्रतिवादी 1 द्वारा शामिल संविदात्मक अवधि में संशोधन की मांग नहीं कर सका जो उसका अपना विशेषाधिकार था। होटल और वादी के बीच अनुबंध में उक्त शर्त को शामिल करने को खतरे के रूप में नहीं माना जा सकता है और यह पूरी तरह से मैरियट - या किसी अन्य होटल प्रतिवादी में निहित अनुबंध की स्वतंत्रता के दायरे में था। इसलिए, वादी यह घोषणा करने के लिए न्यायालय में आवेदन नहीं कर सका कि होटल अपने अनुबंध में ऐसी शर्त

शामिल नहीं कर सकता है। यदि शर्त वादी को स्वीकार्य नहीं थी, तो उसके पास अनुबंध में प्रवेश न करने का विकल्प था।

52. प्रतिवादी 7-आईएचसीएल द्वारा उठाए गए एक विवाद का उल्लेख इस आशय से किया गया है कि रिकॉर्डिंग चलाने से पहले वादी को प्रतिलिप्यधिकार धारकों से एनओसी/प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 23 का उल्लंघन है एवं प्रतिवादी 2 प्रस्तुत करता है कि वादी द्वारा कभी भी ऐसे किसी मामले का समर्थन नहीं नहीं किया गया था और वादपत्र में उस आशय की कोई घोषणात्मक या व्यादेश राहत नहीं मांगी गई थी। किसी भी स्थिति में, धारा 23 केवल संविदाओं पर लागू होती है, प्रस्तावित अनुबंधों पर नहीं। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम में चलाई जाने वाली रिकॉर्डिंग में प्रतिलिप्यधिकार धारक से प्रतिलिप्यधिकार/एनओसी प्राप्त करने की शर्त को अवैध शर्त नहीं माना जा सकता है।

53. प्रतिवादी 2 ने प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के प्रावधान पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा जताया है कि प्रावधान का लाभ वादी को उपलब्ध नहीं होगा। यह बताया गया है कि प्रावधान के अनुसार यदि प्रतिलिप्यधिकार धारक प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन के लिए वाद संस्थित करता है तो धारा 60 लागू नहीं होगी। धारा 60 पर आधारित, प्रतिवादी 2 द्वारा दो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं।

54. पहला यह है कि परंतुक स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि धारा 60 केवल उन कार्यों पर लागू होती है जो पहले ही हो चुके हैं न कि प्रस्तावित कार्यों पर। यदि किसी ऐसी कार्रवाई के लिए वाद दायर किया जा सकता है जो अभी तक नहीं हुई है तो प्रतिवादी 2 का कहना है कि परंतुक निरर्थक और अनुचित बन जाएगा क्योंकि परंतुक का लाभ केवल उस कार्य के संबंध में उपलब्ध होगा जो पहले ही हो चुका है। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा और परंतुक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पहले का लाभ कथित उल्लंघनकर्ता को उपलब्ध है और

दूसरे का लाभ प्रतिलिप्यधिकार के धारक को उपलब्ध है जिसका कथित रूप से उल्लंघन किया गया है।

55. दूसरा आधार जिस पर परंतुक को लागू करके वादी पर धारा 60 की प्रयोज्यता का विरोध किया जाता है - जिसकी लिखित प्रस्तुतियों की तुलना में न्यायपीठ के समक्ष मौखिक बहस के दौरान अधिक संयाचना की गई है - वह यह है कि यदि वादी को धारा 60 के तहत वर्तमान वाद संस्थित करने की अनुमति दी जाती है, तो प्रतिवादी 1 से 3 को परन्तुक के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा क्योंकि वे होटलों के खिलाफ उल्लंघन का वाद दायर नहीं कर सकते हैं जिन्होंने उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधो को स्वीकार कर लिया था तथा वादी के खिलाफ उल्लंघन का वाद भी नहीं चला सकते थे क्योंकि अभी तक इसके द्वारा उल्लंघन का कोई कार्य नहीं किया गया है। इस कारण से भी यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि वादी को धारा 60 के तहत वर्तमान वाद दायर करने की अनुमति दी जानी थी वादी धारा 60 के परंतुक का लाभ प्रतिवादी को दिए बिना गैर-उल्लंघन की डिक्री मिल जाएगी जो वैधानिक योजना के विपरीत होगा।

56. वास्तव में, यह प्रस्तुत किया गया है कि परंतुक धारा 60 को ही प्रमाणित करता है कि प्रतिलिप्यधिकार धारक को केवल प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन की धमकी नहीं देनी चाहिए बल्कि यदि वह चाहे तो उल्लंघन हेतु वाद संस्थित कर सकता है। यही कारण है कि यदि प्रतिलिप्यधिकार धारक प्रतिलिप्यधिकार के कथित उल्लंघनकर्ता को धमकी देकर ही संतुष्ट हो जाता है तो धारा 60 के तहत कथित उल्लंघनकर्ता द्वारा निराधार धमकियों के खिलाफ सुरक्षा हेतु वाद संस्थित किया जा सकता है जो प्रतिलिप्यधिकार धारक द्वारा दायर किए गए उल्लंघन के वाद पर समाप्त हो जाएगा।

57. इन कारणों से भी यह तर्क दिया जाता है कि धारा 60 केवल उन होटलों पर लागू होती है जिनके लिए प्रतिवादी 1 ने धमकी दी थी तथा वादी पर नहीं और जहां कथित उल्लंघन अभी तक नहीं हुआ है वहां यह लागू नहीं हो सकती है।

58. उपरोक्त संदर्भ में, प्रतिवादी 1 ने इस बिंदु पर कई अधिकारियों का उदाहरण दिया है कि विधि की व्याख्या करते समय जिसमें एक परंतुक होता है उसे उचित अर्थ को भी अनंतिम तक बढ़ाया जाना चाहिए और धारा को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि, ये ऐसे सिद्धांत हैं जो सुव्यवस्थित हैं और उस संबंध में उद्धृत निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

59. आगे, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 से निपटते हुए प्रतिवादी 2 अपनी लिखित प्रस्तुतियों में यह प्रस्तुत करता है कि धारा 34 के तहत वर्तमान वाद को संधार्य बनाए रखने के लिए वादी को यह दर्शाना होगा कि वह विधिक स्वरूप का हकदार है। जिसे प्रतिवादीगण द्वारा देने से इंकार किया जा रहा था। विधिक स्वरूप का तात्पर्य किसी व्यक्ति की विधिक स्थिति से है, न कि किसी कार्य के विधिक स्वरूप से। वर्तमान मामले में जिस घोषणा की मांग की जा रही थी वह वादी की स्थिति के लिए नहीं थी बल्कि उस कार्य की स्थिति के लिए थी जिसे वादी करने का उद्देश्य रखता था। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के तहत संधार्य नहीं रखा जा सकता है। इस संदर्भ में, ***ए.सी. मुथैया बनाम बी.सी.सी.आई.*** पर भी भरोसा जताया गया है, जो यह मानता है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम एवं पेटेंट अधिनियम के तहत आधारहीन धमकी की कार्यवाही विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 का अपवाद है।

60. आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52(1)(यक) तलवार के रूप में नहीं बल्कि ढाल के रूप में कार्य करती है। अन्य शब्दों में, यदि प्रावधान लागू होता है तो प्रतिलिप्यधिकार धारक उल्लंघन के लिए वाद संस्थित करने में सक्षम नहीं होगा तथा ऐसा कोई वाद दायर होने की स्थिति में कथित उल्लंघनकर्ता प्रावधान की सुरक्षा का हकदार होगा। इसलिए धारा 52(1)(यक) का प्रयोग करते हुए किसी भी कार्य को करने से पहले वाद दायर नहीं किया जा सकता है।

61. अन्यथा भी, प्रतिवादी 2 प्रस्तुत करता है वादी अपने परिसर में संगीत बजाने के लिए प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करने की शर्त लगाने वाले होटलों के खिलाफ प्रतिबंध की मांग नहीं कर सकता था। ऐसी शर्त लगाना अनुबंध की स्वतंत्रता के दायरे में आता है जिसमें न्यायालय वैध रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

62. वर्तमान वाद की संधार्यता को विवादित करने के लिए प्रतिवादी 2 धारा 52(1)(यक) में निहित विशिष्ट शब्दों का भी उल्लेख करता है। यह बताया गया है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52(1)(यक) का स्पष्टीकरण "एक विवाह बारात तथा विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सव" को संदर्भित करता है। यह बताया गया है कि वादी ने कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया है कि उससे विवाह बारात के लिए कोई एनओसी/अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए कहा गया था। इसलिए, वादी की शिकायत विवाह से जुड़े सामाजिक उत्सवों के लिए एनओसी/अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता तक ही सीमित थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 52(1)(यक) के मुख्य भाग में निहित अभिव्यक्ति "वास्तविक" के संयोजन में पढ़े गए ये शब्द विवाद को पूरी तरह से तथ्यात्मक बना देते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करना होगा कि क्या विवादित समारोह विवाह से जुड़ा एक वास्तविक सामाजिक उत्सव था। इसलिए, होने वाले समारोह से संबंधित किसी भी तथ्य के बिना एक संक्षिप्त घोषणा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के तहत नहीं मांगी जा सकती है।

63. वास्तव में, यह प्रस्तुत किया गया है कि जो मांगा जा रहा है वह विधिक स्थिति के संबंध में एक घोषणा है जो पहले से ही विधि में स्पष्ट रूप से निर्धारित है। धारा 52(1)(यक) जिसे स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाता है, स्पष्ट रूप से यह तय करती है कि विवाह बारात और विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सव यदि वास्तविक हों तो उसमें बजाए जाने वाले गानों या अन्य रिकॉर्डिंग के प्रतिलिप्यधिकार धारक से अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए, केवल

इस वैधानिक विधिक स्थिति की घोषणा करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। इसलिए, यदि कोई वाद किसी घोषणा के लिए दायर किया जा रहा है तो यह विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में होगा। इस संदर्भ में, प्रतिवादी 2 यह भी इंगित करता है कि वाद में प्रार्थना (घ) ने घटनाओं की पहचान किए बिना धारा 52(1)(यक) के तहत आने वाले कार्यक्रमों के संबंध में एनओसी/अनुज्ञप्ति मांगने वाले प्रतिवादीगण के खिलाफ व्यादेश आदेश की मांग की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी प्रार्थना संधार्य नहीं है।

64. प्रतिवादी 2, अपनी लिखित प्रस्तुतियों में, इस तर्क को भी दोहराता है कि सि.प्र.सं. के आदेश I नियम 3 को ध्यान में रखते हुए वाद असत्य नहीं होगा क्योंकि प्रावधान के लिए एक ही कार्य या लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले कई प्रतिवादीगण के विरुद्ध संस्थित किए गए वाद में अनुतोष का अधिकार आवश्यक है। वर्तमान मामले में, यह प्रस्तुत किया गया है कि जिन कार्यों/लेनदेन से वादी व्यथित था तथा वे एक दूसरे से स्वतंत्र थे। इसलिए, उन्हें एक वाद में जोड़ा नहीं जा सका।

<u>प्रतिवादी 3 का लिखित कथन</u>

65. प्रतिवादी 3, अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करता है कि वादपत्र किसी भी स्थायी वाद हेतुक से पूर्णतः अनुरक्षणीय है। प्रतिवादी 3 प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52(1)(यक) के लाभ हेतु वादी की हकदारी पर विवाद नहीं करता है। मूलतः लिखित कथन के अनुसार, प्रतिवादी 3 से एनओसी/अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता केवल धारा 52(1)(यक) के लाभ के लिए वादी की हकदारी को सत्यापित करने के लिए है। इसी कारण से, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी 3 ऐसी अनुज्ञप्ति/एनओसी निःशुल्क प्रदान करता है। ऐसे आयोजनों के लिए कोई रॉयल्टी या अनुज्ञप्ति शुल्क नहीं लिया जाता है।

66. प्रतिवादी 3 वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 की प्रयोज्यता का भी विरोध करता है। यह आरोप लगाया गया है कि वाद भ्रामक वाद हेतुक पर आधारित है जहां कोई मौजूद नहीं है। प्रतिवादी 1 से 3 में से किसी ने भी वादी से कोई संवाद नहीं किया है जो वादी को प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन हेतु किसी भी कार्यवाही की धमकी देता है। इसलिए, प्रतिवादी 3 के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 का प्रयोग पूर्णतः वास्तविकता के अभाव में है। प्रतिवादी 3 आगे प्रस्तुत करता है कि, अपने अनुज्ञप्ति प्रपत्र में, अब उसने एक नोट शामिल किया है जो स्पष्ट करता है कि वह विधि के अनुसार विवाह से जुड़े विवाह बारात या सामाजिक उत्सव के रूप में घोषित किसी भी कार्यक्रम या समारोह के लिए कोई रॉयल्टी या अनुज्ञप्ति शुल्क नहीं लेता है।" और कि, ऐसे दावों को सत्यापित करने के प्रयोजनों हेतु प्रतिवादी 3 द्वारा निःशुल्क अनुज्ञप्ति जारी की गयी थी। इस तरह के निःशुल्क अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को केवल प्रतिवादी 3 को यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रदान करने की आवश्यकता है कि यह कार्यक्रम एक विवाह से संबंधित समारोह है जिसका निमंत्रण पत्र या उस संस्था का पत्र जो उस स्थान का रखरखाव करती है या संचालित करती है जहां कार्यक्रम आयोजित होने का प्रस्ताव है, जिसमें यह घोषणा की गई है कि एक विवाह से संबंधित समारोह के लिए बुकिंग की गई है।

67. प्रतिवादी 3 द्वारा दी गई शेष प्रस्तुतियाँ प्रतिवादी 1 व 2 द्वारा अपने लिखित कथनों में दी गई दलीलों के समान हैं और इसलिए दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है।

<u>वादी की प्रतिकृतियाँ एवं लिखित प्रस्तुतियाँ</u>

<u>प्रतिवादी 1 नोवेक्स के लिखित कथन की प्रतिकृति</u>

68. वादी ने, प्रतिवादी 1 नोवेक्स के लिखित कथन की प्रतिकृति में प्रस्तुत किया है कि धारा 52(1)(यक) के स्पष्टीकरण में निहित "विवाह से जुड़े सामाजिक

उत्सव" शब्दों की व्याख्या व्यापक तरीके से की जानी आवश्यक है न कि प्रतिबंधात्मक तरीके से। वादी की प्रस्तुतियों के अनुसार विवाह की बारात और विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सवों के अन्य सभी कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया जाएगा।

69. संधार्यता की दृष्टि से वादी का निवेदन है कि सि.प्र.सं. वादी को एक ही प्रतिवादी या प्रतिवादीगण के खिलाफ संयुक्त रूप से कई वाद हेतुक में शामिल होने या एकजुट होने का अधिकार देता है विशेषत: यदि वाद हेतुक तथ्यों के एक ही समूह से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में, वादी का कहना है, सि.प्र.सं. के आदेश II के नियम 221 में वादी को ऐसे सभी दावों को एक वाद में उठाने की आवश्यकता होती है। वर्तमान वादपत्र में वाद हेतुक प्रतिवादी 1 से 3 की कथित रूप से अनुचित और अवैध मांगों तथा रिकॉर्डिंग चलाने हेतु एनओसी प्राप्त करने के लिए वादी को विवश करने के उनके कथित कृत्यों से उत्पन्न होता है जिसमें वे प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52(1)(यक) के स्पष्टीकरण में वैधानिक रूप से प्रदान किए गए अपवाद के बावजूद शादियों और विवाह समारोहों से संबंधित कार्यक्रमों में प्रतिलिप्यधिकार रखते हैं। इन परिस्थितियों में वादी सभी प्रतिवादीगण के खिलाफ एक वाद दायर करने के अपने अधिकार के तहत है।

70. प्रतिकृति में आगे आरोप लगाया गया है कि वादी की ओर से नोवेक्स से माँगा गया अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में विवाह समारोहों के शांतिपूर्ण आयोजन में नोवेक्स द्वारा बाधा डालने की पूरी संभावना थी। इसलिए, इसने वादी को ऐसी स्थिति में डाल दिया जिसमें उसके पास नोवेक्स की अवैध मांगों के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वादी ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करने की मांग की है कि एक अन्य कार्यक्रम प्रबंधक कंपनी राशी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को वास्तव में अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करने हेतु नोवेक्स के एक अधिकारी को बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। इस लेनदेन से संबंधित दस्तावेज भी वादपत्र के साथ अभिलेख पर रखे गए हैं।

71. प्रतिकृति में आगे दावा किया गया है कि वादी द्वारा आयोजित किए जा रहे विवाह समारोहों की वास्तविकता संदेह में नहीं है। वास्तव में, प्रतिकृति का दावा है कि वादी ने अभिलेख पर उसके द्वारा आयोजित विवाह समारोहों से संबंधित दस्तावेज रखे हैं जो इसकी *वास्तविकता* को स्थापित करते हैं। वादी प्रस्तुत करता है कि वादी द्वारा अपने मुवक्किलों से ली गई राशि भी वर्तमान विवाद के लिए अप्रासंगिक है। वादी के अनुसार यह तथ्य कि वादी ने अतीत में नोवेक्स से भी अनुज्ञप्ति प्राप्त की थी, इसमें कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि अनुज्ञप्ति प्रपीड़न एवं विबाध्यता के तहत प्राप्त की गई थी।

72. प्रतिकृति में आगे आरोप लगाया गया है कि नोवेक्स की मांग ध्वनि रिकॉर्डिंग चलाने से पहले अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करना या एनओसी प्राप्त करना जिसमें वह प्रतिलिप्यधिकार रखता है देश की विधि के विरुद्ध है क्योंकि यह प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52(1)(यक) का स्पष्ट उल्लंघन है।

<u>प्रतिवादी 2 पीपीएल के लिखित कथन की प्रतिकृति</u>

73. प्रतिवादी 2 पीपीएल के लिखित कथन के उत्तर के रूप में दायर प्रतिकृति में वादी की प्रस्तुतियाँ काफी हद तक प्रतिवादी 1 नोवेक्स के लिखित कथन के लिए दायर प्रतिकृति में निहित प्रस्तुतियों के समान हैं। संधार्यता की दृष्टि से, प्रतिकृति के पैरा 20 में यह कहा गया है कि वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ एकल वाद दायर करने का हकदार था क्योंकि "अनुतोष का अधिकार एक ही कार्य या लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला अर्थात् दिनांक 12.01.2021 से दिनांक 15.01.2021 के बीच निर्धारित विवाहों का आयोजन एवं मेजबानी और संबंधित धार्मिक और सामाजिक उत्सव" से उत्पन्न होता है। "इस प्रकार", यह तर्क दिया गया है, "वर्तमान वाद में प्रतिवादीगण को इस माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्य और विधि के प्रश्नों को समझने की सम्पूर्णता हेतु एक ही वाद में एक साथ जोड़ा गया है"।

<u>प्रतिवादी 3 आईपीआरएस के लिखित कथन की प्रतिकृति</u>

74. वादी द्वारा आईपीआरएस के लिखित कथन में दायर प्रतिकृति के पैरा 1 में कहा गया है कि वादी ने वर्तमान वाद दायर किया है कि "प्रतिवादीगण के निरंतर एवं अवैध आचरण के कारण वादी को विवाह समारोहों के दौरान बजाई जाने वाली ध्वनि रिकॉर्डिंग के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु अनुज्ञप्ति मांगने के लिए बाध्य किया जो प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 52(1)(यक) के साथ-साथ ऐसी अवैध मांगों को आगे बढ़ाने में वादी के खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 द्वारा निराधार कार्यवाही के कारणों के तहत निर्धारित विधि का स्पष्ट उल्लंघन है"।

75. वादी द्वारा यह भी दावा किया गया है कि प्रतिवादी 3 द्वारा, किसी भी विवाह बरात या उससे जुड़े उत्सव में किसी भी रिकॉर्डिंग जिसमें प्रतिवादी 3 प्रतिलिप्यधिकार रखता है, चलाने से पहले अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की मांग प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52(1)(यक) के विरुद्ध है तथा इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) द्वारा व्यवसाय जारी रखने के वादी के गारंटीकृत अधिकार में बाधा डालता है।

76. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस स्तर पर न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कोई विशेष कार्यक्रम जिसे वादी आयोजित करने का प्रस्ताव करता है वह स्पष्टीकरण की सहपठित धारा 52(1)(यक) के दायरे में आएगी या नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी 3 द्वारा बिना अनुज्ञप्ति/एनओसी प्राप्त किए किसी भी विवाह समारोह में इसकी रिकॉर्डिंग रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना प्रथम दृष्टया अवैध है, जिसके कारण वादी को वर्तमान वाद को बनाए रखने का अधिकार मिल जाता है।

<u>वादी द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ</u>

77. वादी ने अपनी लिखित प्रस्तुतियों में दावा किया है कि वादपत्र में जिन कार्रवाइयों पर चर्चा की गई है, वे हैं (i) प्रतिवादीगण 1 से 3 द्वारा होटलों को दी गई धमकियाँ जिसमें उन्हें किसी भी विवाह समारोह में रिकॉर्डिंग चलाने से पूर्व

वादी को उनसे अनुज्ञप्ति/एनओसी लेने के लिए बाध्य किया जिसमें वे प्रतिलिप्यधिकार रखते हैं तथा (ii) होटलों द्वारा परिणामी कार्रवाइयां वादी को ऐसी अनुज्ञप्ति/एनओसी प्राप्त किए बिना विवाहों या विवाहों से जुड़े उत्सवों में प्रतिवादी 1 से 3 के स्वामित्व या नियंत्रण वाले संगीत का उपयोग करने या बजाने की अनुमति नहीं देना। इस प्रयोजन के लिए वादी ने उपरोक्त पैरा 20 से 24 के विभिन्न उप पैराओं में पहले से ही उद्धृत दस्तावेजों का सहारा लिया है।

78. इसलिए, वादी यह प्रस्तुत करता है कि यह एक घोषणा की मांग कर रहा है कि उसे विवाह या विवाहों से जुड़े सामाजिक उत्सवों के दौरान प्रतिवादी 1 से 3 के स्वामित्व/नियंत्रण वाली संगीत रिकॉर्डिंग को चलाने या उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता नहीं है।

79. संधार्यता के अनुसार, वादी का कहना है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 व्यापक एवं संक्षिप्त शर्तों में दी गई है तथा इसमें वर्तमान जैसे वाद को शामिल किया जाएगा। वादी ने इस उद्देश्य के लिए ***सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेंज बनाम महाराजा बृज नाथ सिंह जी देव*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 15 और ***जीन टेक आईएनसी बनाम ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया*** मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैरा 68 और 114 पर भरोसा जताया है।

80. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अतिरिक्त वादी का तर्क है कि वर्तमान वाद प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत भी होगा क्योंकि वादी उक्त प्रावधान के अर्थ में "व्यथित व्यक्ति" के रूप में माने जाने का हकदार है। यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी व्यक्ति को धारा 60 के तहत व्यथित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जिस धमकी के खिलाफ वाद दायर किया गया है वह ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ही हो। भले ही धमकी किसी तीसरे व्यक्ति के खिलाफ दी गई हो ऐसी धमकी से व्यथित कोई भी व्यक्ति जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल होगा जिसका व्यवसाय इस तरह की धमकी से प्रभावित होता है यह घोषणा करने हेतु वाद दायर कर सकता है कि धमकी

निराधार थी। इस संदर्भ में, वादी ने इस प्रस्ताव हेतु ***बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एम.वी. दाभोलकर*** के (i) पैरा 27 व 28 पर भरोसा किया है कि "व्यथित व्यक्ति" शब्द की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए और (ii) ***समीर अग्रवाल बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग*** के पैरा 20, इस प्रस्ताव के लिये कि अभिव्यक्ति "व्यथित व्यक्ति" की व्याख्या विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी और वाक्यांश के लिए कोई कठोर सटीक या व्यापक अर्थ नहीं दिया जा सकता है। यह दावा किया गया है कि वादी की शिकायत न केवल वादी के लिए है जिसका व्यवसाय करने का अधिकार प्रतिवादी के कृत्यों से बाधित होता है बल्कि उन व्यक्तियों की ओर से भी है जिन्होंने वादी को विवाह समारोह आयोजित करने के लिए नियुक्त किया था।

81. ***प्रेम लाला नाहटा बनाम चंडी प्रसाद सिकारिया*** के पैरा 12 के आधार पर लिखित प्रस्तुतियों में आगे कहा गया है कि पक्षकारों की गलतफहमी से कोई वाद निष्फल नहीं होता है।

82. वादी ने सि.प्र.सं. के आदेश I नियम 8 पर भी भरोसा किया है यह प्रतिविरोध करने के लिए कि वाद समस्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध संधार्य था।

83. आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादीगण 1 से 3 वाद के वास्तविक और आवश्यक उचित पक्षकार हैं जिनके खिलाफ वादी की मुख्य शिकायत निर्देशित है। वादी के अनुसार होटलों को पक्षकार बनाना आवश्यक हो गया है क्योंकि होटल कम से कम प्रतिरोध का रास्ता अपना रहे हैं और वादी द्वारा मांगी गई किसी भी घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए होटलों को पक्षकार के रूप में अभियोजित करना होगा।

84. वादी ने यह तर्क देने के लिये ***गंगा राम हॉस्पिटल ट्रस्ट बनाम एमसीडी*** के पैरा 9 से 11 पर भी भरोसा किया है कि किसी भी वैधानिक रोक के अभाव में प्रत्येक नागरिक में वाद दायर करने का अधिकार निहित है।

बार में प्रतिद्वंद्वी तर्क

85. पुनरावृत्ति से बचने के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा बार में पहले से ही दी गई प्रस्तुतियों के संदर्भ को हटा दिया जाएगा, जो पहले से ही इस निर्णय में पक्षकारों द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों के संदर्भ में शामिल हैं।

86. विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक मल्होत्रा ने वादी की ओर से बहस शुरू की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वादी वाद में राहत का दावा करने के अपने अधिकार को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 तक सीमित नहीं कर रहा है। श्री मल्होत्रा का कहना है कि यह मानते हुए भी कि धारा 60 में "इससे व्यथित कोई भी व्यक्ति" शब्द वादी को शामिल करने हेतु पर्याप्त रूप से व्यापक थे। वह "किसी अन्य व्यक्ति" और "इससे व्यथित किसी व्यक्ति" शब्दों के बीच अंतर की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं इन दोनों को धारा 60 में स्थान मिलता है। वह बताते हैं कि "ऐसे व्यक्ति" के बजाय "उससे व्यथित कोई भी व्यक्ति" शब्द का उपयोग प्रावधान को व्यापक विस्तार प्रदान करने धमकी के प्रतिकूल रूप से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के विधान-मंडल के उद्देश्य को इंगित करता है।

87. इसके अतिरिक्त, श्री मल्होत्रा का कहना है कि प्रतिवादी 1 से मैरियट को दिनांक 14 दिसंबर 2020 के पत्राचार में यह भी आरोप लगाया गया है कि रिकॉर्डिंग के कार्यक्रमों में जिसका प्रतिवादी 1 के पास प्रतिलिप्यधिकार है जो वादी द्वारा विवाह समारोहों में बजाया जा रहा है वादी भी प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन हेतु उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, श्री मल्होत्रा बताते हैं कि होटलों का यह आग्रह कि वादी को व्यावसायिक रूप से वादी को प्रभावित करने वाली रिकॉर्डिंग के प्रतिलिप्यधिकार धारक से अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी चाहिए जिससे प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के अर्थ के अंतर्गत वादी को "व्यथित व्यक्ति" बना दिया गया।

88. श्री मल्होत्रा का कहना है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52(1)(यक) को ध्यान में रखते हुए जब तक प्रतिवादी यह दिखाने में सक्षम नहीं हो जाता कि वादी, विवाह के उत्सव की आड़ में, किसी अन्य कार्यक्रम की

मेजबानी कर रहा था तब तक वादी मांग के अनुसार व्यादेश का हकदार था। इस संदर्भ में, श्री मल्होत्रा ने ***यूनिवर्सिटी ऑफ़ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बनाम रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज*** मामले में इस न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ के निर्णय के पैरा 31 पर भरोसा किया है।

89. श्री मल्होत्रा को उत्तर देते हुए प्रतिवादी 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चंदर एम लाल ने शुरू में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 14 में निर्धारित "प्रतिलिप्यधिकार" के अर्थ और उन व्यक्तियों पर ध्यान आकर्षित किया जो प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं। उनका कहना है कि धारा 14(ङ)(iii) के तहत प्रतिवादी 1 से 3 के पास उन रिकॉर्डिंग्स को जिनमें उनके पास प्रतिलिप्यधिकार है जनता को बताने का विशेष अधिकार था। धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण 1 से 3 के अलावा कोई भी व्यक्ति जिसने संबंधित प्रतिलिप्यधिकार धारक-प्रतिवादी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना उक्त रिकॉर्डिंग को जनता तक पहुंचाया, वास्तव में, एक उल्लंघनकर्ता था। वर्तमान मामले में, वास्तव में, धारा 51(क)(i) के तहत प्राथमिक उल्लंघनकर्ता डीजे होगा और धारा 51(क)(ii) के तहत होटल होंगे। इस प्रकार, प्रतिवादी 1 से 3 केवल डीजे या होटलों के खिलाफ उल्लंघन की कार्यवाही शुरू करने में समर्थ होंगे।

90. श्री लाल ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी 1 से 3 द्वारा होटल को दी गई कथित धमकी के बावजूद वादी के पास होटल के खिलाफ कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं हो सकता है क्योंकि होटल एक निजी स्थान है। तथ्य मात्र यह है कि होटलों के इस आग्रह के परिणामस्वरूप कि वादी प्रतिवादी 1 से 3 से अनुज्ञप्ति/एनओसी प्राप्त करे तो वादी को व्यय वहन करना होगा तथा उनका मानना है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के अर्थ के अंतर्गत वादी को "पीड़ित व्यक्ति" नहीं बनाया जा सकता "पीड़ित व्यक्ति" की शिकायत उसके प्रस्तुतीकरण में प्रतिलिप्यधिकार धारकों द्वारा दावा किए गए प्रतिलिप्यधिकार के निकटवर्ती होनी चाहिए।

91. श्री लाल प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादीगण 1 से 3 के खिलाफ संयुक्त वाद संधार्य नहीं है, क्योंकि वाद हेतुक और वादी की शिकायत प्रत्येक उक्त प्रतिवादीगण के संबंध में विशेष और अलग है। इसी तरह, श्री लाल वर्तमान कार्यवाही में प्रतिवादी के रूप में एफएचआरएआई को शामिल करने पर गंभीरता से आपत्ति जताते हैं। एफएचआरएआई को प्रतिवादी के रूप में शामिल करके श्री लाल का कहना है कि वादी देश के सभी होटलों को समाविष्ट करने वाली बहू प्रयोजनीय घोषणा प्राप्त करने की मांग नहीं कर सकता है।

92. वादपत्र के पैरा 2 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए श्री लाल का कहना है कि वादी की शिकायत केवल एक आशंका पर आधारित है। उनका कहना है कि इस तरह का वाद संधार्य नहीं है। वाद में प्रार्थना के अनुसार श्री लाल का कहना है कि प्रार्थना (क) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की सीमा से कहीं आगे तक जाती है। उनका कहना है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम न्यायालय द्वारा घोषणा जारी करने की अनुमति नहीं देता है कि कोई विशेष अधिनियम प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा जो वास्तव में प्रार्थना (क) द्वारा मांगा जा रहा है। प्रार्थना (ख) के अनुसार, श्री लाल प्रस्तुत करते हैं कि धारा 52 को घोषणा प्राप्त करने के लिए आधार बनाने हेतु तलवार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और इसका उद्देश्य केवल उल्लंघन के वाद के खिलाफ बचाव करना है।

93. श्री लाल प्रस्तुत करते है कि वादी जो मांग रहा है वह एक तरह का सर्वबंधी आदेश है। वादी द्वारा मांगे गए इस तरह का आदेश देने से धारा 60 स्वीकार्य सीमा से आगे बढ़ जाएगी। वाद में प्रार्थना (घ), जो प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रतिबंध की मांग करती है जिसमें वादी को विवाह बरातों और विवाहों से जुड़े समारोहों हेतु प्रतिवादीगण 1-3 से अनुज्ञप्ति/एनओसी लेने की आवश्यकता होती है और श्री लाल प्रस्तुत करते है कि यह निर्देश दिया जाता है कि कोई भी नोटिस या संचार जिसके लिए ऐसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है वह अवैध है तथा यह धारा 60 की अनुमति से परे है।

94. श्री लाल प्रस्तुत करते हैं कि वाद में प्रार्थनाओं को न्यायनिर्णीत करते समय न्यायालय को "विवाह से जुड़े सामाजिक उत्सवों" की अभिव्यक्ति को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। उनका मानना है कि इस अधिनियम के तहत कार्यक्रम दर कार्यक्रम के आधार पर मामले की जांच की आवश्यकता होगी और कोई बहुप्रयोजनीय न्यादेश नहीं मांगा जा सकता है।

95. श्री लाल ने वादपत्र के पैरा 14 पर विशेष ध्यान आकर्षित किया है जो इस प्रकार है:

> "14. हाल ही में, प्रतिवादीगण 1 से 3 के अवैध आचरण से वादी को परेशान किया गया है जिन्होंने प्रतिवादीगण सं. 4 से 8 के स्वामित्व/संचालन वाले होटल स्थलों पर विवाह के दौरान वादी द्वारा बजाई गई किसी भी ध्वनि रिकॉर्डिंग हेतु प्रतिवादीगण सं. 1-3 से प्रतिवादीगण सं. 4 से 8 और संभवतः, प्रतिवादी सं. 9 के अन्य होटल सदस्यों को निराक्षेप प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने और जमा करने का निर्देश दिया है यह सूचित किए जाने के बावजूद कि इस तरह का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में "उचित व्यवहार" है और धारा 52(1)(यक) के आधार पर उल्लंघनकारी कार्यों की परिभाषा से इसे स्पष्ट रूप से अपवर्जित रखा गया है।"

श्री लाल प्रस्तुत करते हैं कि वादपत्र का पैरा 14 वास्तव में वाद का संपूर्ण आधार है। उनका कहना है कि वादी होटल प्रतिवादी 4 से 8 के खिलाफ प्रतिवादी 1 से 3 द्वारा रखी गई शर्तों को स्वीकार करने, यदि कोई हो, या उक्त प्रतिवादीगण से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना वादी द्वारा अपने परिसर के उपयोग की अनुमति न देने के लिए कोई व्यादेश नहीं मांग सकता है। वास्तव में, श्री लाल का कहना है कि प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 27 अगस्त 2019 की सार्वजनिक सूचना को ***नौवेक्स कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ*** मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही अभिखंडित कर दिया गया है। इसलिए, निष्कर्ष यह है कि वादी को उन रिकॉर्डिंग

को चलाने के लिए प्रतिवादी 1-3 से अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी जिसका उनके पास प्रतिलिप्यधिकार है।

96. श्री लाल प्रस्तुत करते है कि वास्तव में, वादी जिसकी मांग कर रहा है वह प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में मौजूद किसी भी समानांतर प्रावधान के बिना पेटेंट अधिनियम की धारा 105 के संदर्भ में एक घोषणा है। वह बताते हैं कि पेटेंट अधिनियम में जो प्रावधान प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के समानांतर है वह धारा 105 नहीं बल्कि धारा 106 है।

97. अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, श्री लाल ने ***अजय इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बनाम शिरो कानाओ ऑफ इबाराकी सिटी*** मामले में इस न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ के निर्णय के पैरा(ओं) 8, 9, 11, 16, 31 व 33 से 35 पर भरोसा जताया है।

98. श्री लाल का मानना है कि धारा 60 में अभिव्यक्ति "इससे व्यथित कोई भी व्यक्ति" आवश्यक रूप से एक उल्लंघनकर्ता को संदर्भित करती है। वे प्रस्तुत करते हैं कि कोई व्यक्ति जो उल्लंघनकर्ता नहीं है केवल प्रतिलिप्यधिकार धारकों जिस रिकॉर्डिंग पर उनका प्रतिलिप्यधिकार है उसे चलाने से पहले उनसे अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के आग्रह के कारण हुई वित्तीय कठिनाइयों के कारण धारा 60 के तहत व्यथित होने का दावा नहीं कर सकता है। अन्यथा, वे प्रस्तुत करते हैं कि यहां तक कि वर एवं वधु और वे व्यक्ति जो विवाह समारोहों के लिए भुगतान कर रहे हैं धारा 60 के अर्थ के तहत "व्यथित व्यक्ति" बन जाएंगे। इस संदर्भ में, उन्होंने ***आदि फिरोजशाह गांधी बनाम एच. एम. सीरवई*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 7, 8, 10 व 11 तथा ***हार्डी ट्रेडिंग लिमिटेड बनाम एडिसन पेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड*** मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 28 से 33 पर भरोसा जताया है।

99. श्री लाल प्रस्तुत करते हैं कि धारा 60 को होटलों द्वारा इस घोषणा के लिए लागू किया जा सकता है कि प्रतिलिप्यधिकार मालिकों द्वारा उन्हें दी गई धमकियाँ निराधार हैं तब तक जब तक प्रतिलिप्यधिकार मालिक उल्लंघन का

वाद दायर नहीं करते। किसी भी स्थिति में, वादी "व्यथित व्यक्ति" होने का दावा नहीं कर सकता। इस संदर्भ में, उन्होंने ***इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम ज्यूपिटर इंफोसिस लिमिटेड*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 29 पर भरोसा किया है। उनका कहना है कि वादी के पास प्रतिवादी 1 से 3 के खिलाफ कार्रवाई का कारण नहीं हो सकता है जो उनके द्वारा होटलों को दी गई धमकियां यदि कोई हो से उत्पन्न हुई हो। इस संदर्भ में वह एक बार फिर इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में पेटेंट अधिनियम की धारा 105 के समानांतर कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 की परिधि के भीतर उपचार के अधिकार की मांग की जानी चाहिए।

100. श्री लाल प्रस्तुत करते हैं कि वादी के लिए प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के *असंबद्ध* विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 को लागू करना अस्वीकार्य होगा। इसके अतिरिक्त, उनका कहना है कि धारा 34 को वादी के स्वामित्व से इनकार करने वाले या इनकार करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लागू किया जा सकता है। प्रतिवादी 1 यह प्रस्तुत करता है कि वह वादी के किसी भी स्वामित्व से इनकार नहीं कर रहा है या इनकार करने में रुचि नहीं रखता है। श्री लाल प्रस्तुत करते हैं कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 का सहारा लेकर एक वादी अप्रत्यक्ष रूप से पेटेंट अधिनियम की धारा 105 के समानांतर प्रतिलिप्यधिकार में राहत नहीं मांग सकता है, जब विधानमंडल ने जानबूझकर प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में ऐसे किसी भी समानांतर प्रावधान को शामिल करना छोड़ दिया हो।

101. श्री लाल प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52 कोई प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करती है। इसके प्रावधानों का उद्देश्य प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन के किसी भी दावे के खिलाफ बचाव के रूप में उपयोग करना है। श्री लाल इस उद्देश्य हेतु, ***के. टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 110 तथा ***वार्नर ब्रदर्स***

एंटरटेनमेंट बनाम संतोष वी. जी. में इस न्यायालय के निर्णय के पैरा 29 व 66 पर भरोसा जताते हैं।

102. श्री लाल प्रस्तुत करते है कि एक न्यायिक निर्णय उन तथ्यों पर दिया जाना चाहिए जो न्यायालय के समक्ष हैं। न्यायालय एक व्यापक निर्णय पारित नहीं कर सकता जो बहु प्रयोजनीय तरीके से काम करेगा। वह प्रस्तुत करते हैं कि वाद पत्र में मांगी गई राहत प्रदान करने से हर विवाह से जुड़े सभी सामाजिक उत्सवों पर लागू होने वाली रिकॉर्डिंग को चलाने हेतु प्रस्तावित प्रतिलिप्यधिकार धारक से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। क्या श्री लाल प्रश्न करते हैं कि ऐसा बहु प्रयोजनीय आदेश पारित किया जा सकता है?

103. इस प्रतिविरोध पर जोर देते हुए कि सि.प्र.सं. के आदेश I नियम 3 व आदेश II नियम 3 द्वारा वाद वर्जित है, श्री लाल निम्नलिखित इंगित करते हैं:

(i) प्रतिवादी 1 के प्रतिलिप्यधिकार का प्रतिवादी 2 एवं प्रतिवादी 3 के प्रतिलिप्यधिकार से कोई लेना-देना नहीं है।

(ii) धमकी, यदि कोई हो, केवल प्रतिवादी 1 द्वारा मैरियट को दी गई है। प्रतिवादी 2 या 3 द्वारा किसी भी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई है।

(iii) प्रतिवादी 3 का प्रतिलिप्यधिकार ध्वनि रिकॉर्डिंग में नहीं है, बल्कि अंतर्निहित कार्यों में है।

(iv) इसलिए, कोई संयुक्त वाद हेतुक नहीं है जो सभी 3 प्रतिवादीगण 1 से 3 को सम्मिलित करेगा। विभिन्न प्रतिवादीगण हेतु विशिष्ट वाद हेतुक को एक वाद में नहीं जोड़ा जा सकता है।

(v) सि.प्र.सं. के आदेश I नियम 3 के खंड (क) व (ख) के बीच संयोजन "और" इंगित करता है कि दोनों खंडों को संचयी रूप से संतुष्ट होना होगा।

(vi) खंड (क) स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले पर लागू नहीं था।

(vii) आदेश II नियम 3 में "उसके सिवाय जैसा अन्यथा उपबंधित है" शब्दों को आदेश II नियम 3 की तुलना में आदेश I नियम 3 को प्रमुखता दी गई है।

(viii) आदेश II नियम 3 में केवल एक ही वाद में कार्रवाई की कई श्रेणी में शामिल होने की अनुमति दी गई है जहां कार्रवाई की सभी श्रेणी सभी प्रतिवादीगण पर लागू होती हैं। श्री लाल ने इस संदर्भ में ***शिव नारायण*** मामले का उल्लेख किया, जिसमें विशेष रूप से पैरा 2.4, 2.5 व 30 पर जोर दिया गया है।

104. अंततः, ***सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम चिंतामणि राव*** पर भरोसा जताते हुए, श्री लाल प्रस्तुत करते हैं कि वादी द्वारा मांगे गए अनुतोष न्यायालय द्वारा दी जाने वाली शर्तों के अनुसार अधिक बहुप्रयोजनीय हैं।

105. प्रतिवादी 3 आईपीआरएस की ओर से बहस करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक चिब ने वादी के पक्ष में किसी भी प्रवर्तनीय विधिक अधिकार के अस्तित्व पर सवाल उठाया। वे प्रस्तुत करते है कि वादी द्वारा मांगे गए किसी भी व्यादेश का अनुदान प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के प्रति हिंसा होगी। उनका मानना है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60, इसके तहत परिकल्पित घोषणात्मक अनुतोष की तुलना में अद्वितीय है। प्रावधान केवल धमकी के संबंध में एक घोषणा की परिकल्पना करता है, न कि भविष्य में दी जाने वाली धमकी के खिलाफ मालिकाना अधिकारों, क्षति या व्यादेश के संबंध में।

106. जहां तक विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 का संबंध है, श्री चिब प्रस्तुत करते हैं कि प्रावधान को लागू करने हेतु, संपत्ति पर अधिकार के रूप में वादी में विधिक स्थिति के अस्तित्व की आवश्यकता होती है, जिसका प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के बाहर, श्री चिब प्रस्तुत करते है कि राहत का दावा केवल सि.प्र.सं. के आदेश VII

के नियम 7 या धारा 9 के तहत किया जा सकता है। इनमें से कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा क्योंकि वर्तमान मामले में कोई संपत्ति शामिल नहीं है। वादी के पक्ष में कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं होने के कारण श्री चिब प्रस्तुत करते हैं कि यह वाद स्वयं संधार्य नहीं है और इस उद्देश्य हेतु ***एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किट कमिटी बनाम गिरधरभाई रामजीभाई छायानारा*** और ***वेरुआरेड्डी रामराघव रेड्डी बनाम कोंडुरु सेशु रेड्डी*** पर आश्रित है।

107. श्री चिब का कहना है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 केवल उल्लंघन के पिछले कृत्यों से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए वह ***मौहम्मद अब्दुल खादर बनाम फिनेले, फ्लेमिंग एंड कंपनी*** को उद्धृत करते हैं।

108. श्री चिब से नियंत्रण लेते हुए और प्रतिवादी 3 की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि एक बार जब होटलों ने प्रतिवादी 1 के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ अपने अनुबंध में रिकॉर्डिंग में प्रतिलिप्यधिकार धारक से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की शर्त शामिल कर ली, जिसे चलाने का प्रस्ताव किया गया था, तो उल्लंघन की संभावना समाप्त हो जाती है। इसलिए, किसी भी कथित धमकी के आधार पर कोई भी वाद हेतुक इसके बाद जारी नहीं रह सकता है। श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 का उद्देश्य कभी भी ऐसे प्रावधान के रूप में काम करना नहीं था जिसके तहत संभावित भविष्य के उल्लंघन के वाद को पहले से ही खारिज किया जा सके। वास्तव में, धारा 60 के प्रावधान ने यह स्पष्ट कर दिया कि उल्लंघन का वाद दायर करने पर धारा 60 की कार्यवाही वास्तव में समाप्त हो जाएगी। श्री सिब्बल अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में ***ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज बनाम सारेगामा इंडिया लिमिटेड*** के पैरा 6 व 7, ***म्यूजिक इंडिया बनाम सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड*** मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय का पैरा 6 एवं ***द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड टैक्स एडवाइजर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड*** में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के पैरा 2 को उद्धृत

करते हैं। श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी स्थिति में, वादी के पास अपने पक्षकार के खिलाफ वाद हेतुक का कोई वैध कारण नहीं हो सकता है।

109. श्री सिब्बल, श्री लाल द्वारा धारा 60 के प्रावधान पर रखे गए भरोसे को दोहराते हैं और प्रावधान के विधिक प्रभाव पर ***एस. सुंदरम पिल्लई बनाम वी.आर. पट्टाभिरामन*** और ***द्वारका दास प्रसाद बनाम द्वारका दास सराफ*** के पैरा 43 व 44 का उद्धरण हैं। वे प्रस्तुत करते है कि धारा 60 की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि प्रावधान को पूरी तरह से अक्षम या निरर्थक कर दिया जाए। वह इस संबंध में ***गौरी शंकर गौर बनाम उ.प्र. राज्य*** के पैरा 11 और ***दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन*** के पैरा 23 व 25 को उद्धृत करते हैं। इसके अतिरिक्त, इस उद्देश्य के लिए, ***रेनेसां होटल होल्डिंग्स आईएनसी. बनाम बी. विजया साई*** के पैरा 66 व 67 को उद्धृत करते हैं, श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि एक अधिनियम की व्याख्या समग्र रूप से की जानी चाहिए, जिसके व्यक्तिगत प्रावधानों की व्याख्या संदर्भ में की जानी चाहिए।

110. श्री सिब्बल का कहना है कि वादी की शिकायत अनिवार्य रूप से वादी के साथ अपने अनुबंधों में होटलों द्वारा शामिल की गई पूर्व शर्त के खिलाफ है, जिसमें वादी को रिकॉर्डिंग के प्रतिलिप्यधिकार धारकों से अनुज्ञप्ति या एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिसे वादी अपने परिसर में आयोजित होने वाले विवाह समारोहों में चलाने का प्रस्ताव रखता है। इस प्रकार, वादी सि.प्र.सं. की धारा 60 के अर्थ के तहत "व्यथित व्यक्ति" होने का दावा नहीं कर सकता है। वादी जिसकी मांग कर रहा है वह प्रतिवादी होटलों को वादी के साथ अपने अनुबंध की शर्तों को संशोधित करने का निर्देश देना है। वह प्रस्तुत करता है कि ऐसी राहत प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के तहत नहीं मांगी जा सकती है।

111. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए, श्री सिब्बल का कहना है कि यह प्रावधान केवल वहीं लागू होता है जहां

किसी व्यक्ति का "विधिक स्वरूप" संदेह में हो। वे प्रस्तुत करते है कि अभिव्यक्ति "विधिक स्वरूप" व्यक्ति की विधिक प्रास्थिति को दर्शाती है। इसलिए, धारा 34 को उचित रूप से लागू करने के लिए, वादी को अपनी विधिक प्रास्थिति हेतु धमकी सिद्ध करनी होगी, न कि उस कार्य के विधिक स्वरूप के लिए जिसे वादी करने का प्रस्ताव करता है। वर्तमान वाद में मांगी गई घोषणा वादी के विधिक स्वरूप के संबंध में नहीं है बल्कि रिकॉर्डिंग चलाने के कार्य के विधिक स्वरूप के संबंध में है जिसमें प्रतिवादीगण 1 से 3 के पास प्रतिलिप्यधिकार है, इस आशय से कि, रिकॉर्डिंग को चलाने से, प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन का कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि यह वादी की विधिक स्थिति या विधिक स्वरूप के संबंध में कोई घोषणा नहीं होगी। इस संबंध में वह ***गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाम जगमोहन सिंह*** मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैरा 11, ***भूप सिंह बनाम तारिफ सिंह*** मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 21 और ***मेजर जनरल शांता शमशेर जंग बहादुर राणा बनाम कमानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड*** में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 30, 44, 45 और 49 का उद्धरण देते हैं। वादी के शामिल होने का कोई विधिक स्वरूप नहीं है, श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 लागू नहीं होगी।

112. श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि वादपत्र का वाद हेतुक मांगी गई राहत के अवलोकन में समझा जाना चाहिए। उनका मानना है कि वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत इस घोषणा हेतु पुनरावृत्ति मात्र है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम द्वारा पहले से ही गैर-उल्लंघनकारी घोषित किया गया एक कार्य वास्तव में उल्लंघनकारी नहीं है। वे प्रस्तुत करते हैं कि वाद हेतुक घटना विशिष्ट होनी चाहिए, अमूर्त नहीं।

113. श्री सिब्बल वर्तमान आवेदन में प्रार्थनाओं का आगे उल्लेख करते हैं। वह प्रस्तुत करते हैं कि प्रार्थना (क) वाद का निर्णय आने तक प्रतिवादी के खिलाफ वादी को प्रतिवादी 1 से 3 तक "शादी बारात और शादी से जुड़े समारोहों हेतु"

अनुज्ञप्ति/एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता को प्रतिबंधित करने की मांग करती है। श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि प्रार्थना अपनी शर्तों में पूरी तरह से संक्षिप्त है और न तो विवाह बरात की प्रकृति का प्रकटीकरण करती है और न ही विवाह समारोह की, जिसके संबंध में अंतरिम व्यादेश की मांगी गई है। वे प्रस्तुत करते हैं कि न तो ऐसा कोई दावा है और न ही ऐसी कोई सामग्री है जो यह दर्शाती हो कि वादी को विवाह बरात हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। जहां तक "विवाह से जुड़े समारोहों" के संदर्भ में प्रार्थना का सवाल है श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि धारा 52(1)(यक) का स्पष्टीकरण "विवाह से जुड़े सामाजिक उत्सव" को संदर्भित करता है। "समारोहों" की प्रकृति, जिसके संबंध में व्यादेश की मांगी गई है, का भी प्रकटीकरण नहीं किया गया है। इसलिए, श्री सिब्बल के अनुसार, यह पहचानना संभव नहीं है कि क्या उक्त समारोह "विवाह से जुड़े सामाजिक उत्सव" होंगे।

114. इसी तरह, श्री सिब्बल का कहना है कि धारा 52(1)(यक) का लाभ केवल विवाह से जुड़े वास्तविक सामाजिक उत्सवों के लिए उपलब्ध है। वे प्रस्तुत करते हैं कि किसी विशेष मामले में विवाह से जुड़े सामाजिक उत्सव वास्तविक हैं या नहीं यह उस विशेष मामले के तथ्यों और उसके विषय बनाने वाली घटना पर निर्भर करेगा।

115. धारा 52(1) के प्रत्येक खंड की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि वादी के लिए भारी राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से की गई अतिरंजना को धारा 52(1)(यक) के अंतर्गत सम्मिलित करने का उद्देश्य नहीं है। उन्होंने इस प्रस्ताव हेतु ***एंटरटेनमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड बनाम सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड*** मामले में निर्णय के पैरा 71 और ***नोवेक्स कम्युनिकेशंस*** में निर्णय के पैरा 1, 6 से 14, 18 से 22 और 26, ***ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब होल्डिंग्स*** के पैरा 17 ज और झ, ***ए.सी. मुथैया*** के पैरा 35 और ***सुंदरम पिल्लई*** के पैरा 53 से समर्थन प्राप्त करने की भी मांग की है। ***विश्रांति राजकुमारी देसाई बनाम प्रशासनिक न्यायाधिकरण*** में बॉम्बे उच्च न्यायालय के

निर्णय पर भरोसा करते हुए, श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि एक वैधानिक प्रावधान का स्पष्टीकरण केवल प्रावधान की व्याख्या करता है और इसके दायरे को विस्तृत या संक्षिप्त नहीं कर सकता है। किसी भी मामले में, उन्होंने ***शैलेश धैर्यवान बनाम मोहन बालाकृष्णन लुल्ला*** का उद्धरण देते हुए कहा कि धारा 52(1)(यक), के साथ-साथ उसके स्पष्टीकरण का भी उद्देश्यपूर्ण अर्थ लगाया जाना आवश्यक था।

116. प्रतिवादीगण 4 से 6 ने वादी का समर्थन किया।

117. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52(1) के विभिन्न खंडों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, एफएचआरएआई के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजीव सिंधवानी प्रस्तुत करते हैं कि जहां खंड का उद्देश्य केवल गैर-व्यावसायिक उद्यमों पर लागू होना था, वहां इसे विशेष रूप से कहा गया था, जैसा कि धारा 52 (1) के खंड (कघ), (ट), (ठ) (ढ), (ण) व (यख) के मामले में है। वे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 52(1)(यक) के स्पष्टीकरण को व्यापक रूप से समझा जाना आवश्यक है, जिसके लिए वह ***संपदा शुल्क नियंत्रक बनाम कांतिलाल त्रिकमलाल*** और ***आंध्र प्रदेश सरकार बनाम कॉर्पोरेशन बैंक*** के पैरा 3, 7, 8, 9 व 12 पर भरोसा जताते हैं। उसका मानना है कि धारा 52(1)(यक) के स्पष्टीकरण को व्यापक रूप से समझा जाना आवश्यक है, इस उद्देश्य के लिए वह ***संपदा शुल्क नियंत्रक बनाम कांतिलाल त्रिकमलाल*** और ***आ.प्र. सरकार बनाम कॉर्पोरेशन बैंक*** के पैरा 3, 7, 8, 9 और 12 पर भरोसा करता है।

118. वाद की पोषणीयता के पहलू पर, श्री सिंधवानी प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 घोषणा के दावा करने के अधिकार का एकमात्र निधान नहीं है, और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम न्यायालय के मूल नागरिक अधिकारिता को समाप्त नहीं करता है। वे समर्थन में, ***सुप्रीम जनरल***

फिल्म्स एक्सचेंज, के पैरा 1,6,7 और 13 से 15**,** ***जीन टैक*** के पैरा 30 और 69 और ***गंगा राम अस्पताल ट्रस्ट*** के पैरा 9,10,12 और 14 को उदधृत करते हैं।

119. श्री सिंधवानी प्रस्तुत करते हैं कि, भले ही यह माना जाए कि वाद सि.प्र.स. के आदेश I नियम 3 के अनुसार नहीं था, परिणाम केवल वही होगा जो आदेश I नियम 3क में परिकल्पित है। श्री सिंधवानी ने वाद की पोषणीयता का समर्थन करने के लिए आदेश I नियम 10 (2) और आदेश II नियम 4 का भी उद्धरण दिया है। वह प्रस्तुत करता है कि यह किसी का मामला नहीं है कि वाद में आवश्यक पक्षकार पूरे नहीं हुए; प्रतिवादी केवल यह आग्रह करना चाहते हैं कि अनावश्यक पक्षों को अभियोजित किया गया था। अनावश्यक पक्षकारों को अभियोजित करने से वाद निष्फल नहीं होता है, जैसा कि ***प्रेम लला नहाता*** के पैरा 9 से 11 और 13 में अभिनिर्धारित किया गया है।

120. श्री सिंधवानी प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52 (यक) घटना तटस्थ है और, कई स्थानों पर, स्थल तटस्थ भी है।

121. किसी विषय पर प्रतिवादी के इस तर्क के अनुरूप कि वादी अनिवार्य रूप से होटलों और कार्यक्रम प्रबंधकों के बीच अनुबंध में संशोधन की मांग कर रहा है, श्री सिंधवानी प्रस्तुत करते हैं कि संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 23 अमान्य या अवैध अनुबंधों के साथ-साथ ऐसे अनुबंधों को भी प्रस्तुत करती है जो

सार्वजनिक नीति के विपरीत अनुचित हैं। वह इस उद्देश्य के लिए, ***एपेक्स लेबोरेटरीज बनाम डिप्टी सीआईटी*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा 14, 31 और 34 पर भरोसा करते हैं।

122. श्री सिंधवानी प्रस्तुत करते हैं कि होटलों को कार्यक्रम प्रबंधन कंपनियों के साथ अनुबंधों में प्रतिलिप्यधिकार धारकों से एनओसी/लाइसेंस प्राप्त करने की शर्त को शामिल करना पड़ा। उन्होंने इस संदर्भ में, वादपत्र के जवाब के माध्यम से एफ.एच.आर.ए.आई. द्वारा दायर लिखित बयान के पैरा 80 और 14 की ओर ध्यान आकर्षित किया हैः

123. अपनी दलीलों के समर्थन में, श्री सिंधवानी ***ऑडियो वॉयस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विवेक खन्ना*** .में इस न्यायालय के निर्णय के पैरा 13, 14 और 28 पर भरोसा करते हैं। उन्होंने ***ऐशानी चांदना मेहरा बनाम राजेश चांदना*** में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के पैरा 5, 12 और 20 का भी उद्धरण दिया और साथ ही ***राजेश चांदना बनाम ऐशानी चांदना मेहरा*** में अपील में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के निर्णय का भी उद्धरण दिया।

124. प्रत्युत्तर में तर्क देते हुए, श्री राज शेखर राव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सबसे पहले सि.प्र.सं. के आदेश I नियम 3 पर प्रतिपादित वाद की पोषणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति को संबोधित किया। वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान वाद दायर

करने के लिए वाद हेतुक, प्रतिवादी 1 नोवेक्स द्वारा मैरियट को 14 दिसंबर 2020 का पत्र था, साथ ही मैरियट से परिणामी ईमेल था, जिसमें सभी कार्यक्रम प्रबंधन कंपनियों को रिकॉर्डिंग के प्रतिलिप्यधिकार धारकों से लाइसेंस/एन.ओ.सी. प्राप्त करने की आवश्यकता थी जो ऐसे कार्यक्रमों में चलाई जाएगी। इसलिए, उनके अनुसार, विचार के लिए विधि का एकमात्र और सामान्य प्रश्न यह था कि क्या वादी द्वारा प्रतिलिप्यधिकार धारकों से ऐसा लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता थी। श्री राव प्रस्तुत करते हैं कि आदेश I नियम 3 (क) केवल तभी प्रासंगिक होगा जब होटल मुकदमे के लिए आवश्यक पक्षकार हों। श्री राव के अनुसार, होटल केवल उचित पक्षकार हैं। वाद हेतुक 14 दिसंबर 2020 के पत्र से निकलता है, जिसे नोवेक्स ने मैरियट को संबोधित किया था। श्री राव प्रस्तुत करते हैं कि वादी अनिवार्य रूप से एक घोषणा की मांग कर रहा था कि क्या वादी 1 नोवेक्स इस प्रकार होटलों को खतरे में डाल सकता है।

125. श्री राव प्रस्तुत करते हैं कि यह उनके कक्षीकार के प्रत्येक होटल के संबंध में व्यक्तिगत वाद दायर करने के लिए खुला होगा और उसके बाद उन्हें समेकित किया जाएगा। समान रूप से, वह प्रस्तुत करता है कि वह सि.प्र.स. के आदेश I नियम 8 क सह पठित आदेश I नियम 8 के तहत एक प्रतिनिधि वाद दायर कर सकता था। इन दो अधिक बोझिल और समय लेने वाली कार्यवाहियों के बजाय, एकल वाद दायर करने का अधिक शीघ्र रास्ता चुनने में, श्री राव का कहना है कि

उनके कक्षीकार के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने विधि का उल्लंघन किया है। यदि प्रत्येक अनुबंध को एक व्यक्तिगत वाद का विषय बनाया जाना था, तो श्री राव स्पष्ट रूप से अलंकारिक रूप से प्रस्तुत करते हैं कि 50,000 वाद दायर करने पड़ सकते थे।

126. श्री राव के अनुसार, धारा 52 (1) (यक) का प्रावधान बिलकुल स्पष्ट है। वह प्रस्तुत करता है कि कोई भी वादी द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठा रहा है। वह बताते हैं कि हर औसत शादी के साथ तीन से चार समारोह जुड़े होते हैं। प्रतिवादी 1 से 3 की मांग, वह प्रस्तुत करता है, विधिक अधिकार के बिना उनके अनुचित संवर्धन का परिणाम है। अपने तर्क को समझने योग्य के लिए कि, ऐसी परिस्थितियों में, वादी एक "पीड़ित व्यक्ति" के रूप में व्यवहार करने का हकदार है, श्री राव ***समीर अग्रवाल*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा 19 से 21 पर भरोसा करते हैं।

127. श्री राव ने न्यायालय से तकनीकी पहलुओं पर आगे बढ़ने के बजाय विवाद पर निर्णय देने और इसे शांत करने का आग्रह किया। वह इस उद्देश्य के लिए, सि.प्र.स. की धारा 9 पर भी भरोसा करते हैं, यह तर्क देने के लिए कि सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और इस संदर्भ में, ***धुलाभाई बनाम म.प्र. राज्य*** पर भरोसा करते हैं। वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान मामले में, वादी द्वारा होटलों और उसके ग्राहक

के बीच अनुबंधों में किसी भी संशोधन की मांग करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि होटल केवल अस्पष्ट हो रहे हैं और नोवेक्स के डर से काम कर रहे हैं , जो मौजूदा विधिक प्रावधानों के नोवेक्स द्वारा दुरुपयोग से उत्पन्न होता है।

विश्लेषण

I. <u>समग्र दृष्टिकोण</u>

128. आरंभ में, न्यायालय के समक्ष वाद की समोच्च रूपरेखा की सराहना करना आवश्यक है, दिग्दर्शन में, वाद में तथ्यों की पृष्ठभूमि में।

129. किसी भी समय किसी भी प्रतिवादी द्वारा वादी को किसी भी प्रकार की धमकी दिए जाने का कोई प्रकथन या साक्ष्य नहीं है।

130. एकमात्र दस्तावेज़, जो किसी भी प्रकार के खतरे को दर्शाता है, प्रतिवादी 1 नोवेक्स द्वारा मैरियट को लिखा गया 14 दिसंबर 2020 का पत्र है। उक्त पत्र से प्रासंगिक अंश, पैरा 20 पूर्वोक्त में विस्तार से उदधृत हैं। उक्त पत्र के पैरा 3 में यह विचार व्यक्त किया गया है कि, यदि कोई होटल या अन्य परिसर अपने स्थल को जनता के लिए, ऐसे काम के लिए संचार के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है, जिसमें कोई अन्य व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार रखता है, तो ऐसे व्यक्ति से लाइसेंस के बिना, यह प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 51 (क) (ii) के अर्थ के भीतर प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन होगा। पैरा 4 मैरियट को आगाह

करता है कि धारा 51 (क) के तहत-यह न केवल अपने कार्यक्रमों/समारोह में ध्वनि रिकॉर्डिंग बजाने वाला व्यक्ति है जो प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है, बल्कि कार्यक्रम स्थल (होटल/सभागार/भोज आदि) के प्रभारी व्यक्ति भी (जो होगा) उल्लंघन के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। इस पैरा में, इसलिए, नोवेक्स ने राय दी है कि, उपरोक्त लाइसेंस प्राप्त किए बिना जनता को प्रतिलिप्यधिकार सामग्री के संचार की स्थिति में, प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन ध्वनि रिकॉर्डिंग बजाने वाले व्यक्ति और होटल/सभागार/भोज आदि द्वारा किया जाएगा जो इसलिए स्थल के रूप में कार्य करता है।

II. <u>धारा 51-वादी प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघनकर्ता नहीं हो सकता है।</u>

131. श्री लाल का मानना है कि यह प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 51 का स्पष्ट आदेश है, और मैं सहमत हूं। उन व्यक्तियों की श्रेणियां जो धारा 51 के तहत प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघनकर्ता हो सकते हैं, अनावश्यक विवरण के बिना,

(i) कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है, ऐसा करने का अनन्य अधिकार प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी में निहित है, उस संबंध में ऐसे स्वामी से लाइसेंस प्राप्त किए बिना [धारा 51 (क) (झ)],

(ii) कोई भी व्यक्ति जो लाभ के लिए, इस तरह के प्रतिलिप्यधिकार किए गए काम के संचार के लिए किसी भी स्थान का उपयोग जनता के लिए करने की अनुमति देता है, उस संबंध में ऐसे स्वामी से लाइसेंस प्राप्त किए बिना [धारा 51 (क) (ii)],

(iii) कोई भी व्यक्ति जो प्रतिलिप्यधिकार कार्य की किसी भी उल्लंघनकारी प्रतियों को बिक्री के लिए या किराये पर देता है, बिक्री करता है या किराये पर देता है या विस्थापित करता है या बिक्री या किराये पर देने की पेशकश करता है [धारा 51(ख)(i)],

(iv) कोई भी व्यक्ति जो व्यापार के लिए या उस हद तक वितरण करता है जो पारंपरिक रूप से प्रतिलिप्यधिकार स्वामी, उल्लंघनकारी कार्य को प्रभावित करता है, [धारा 51 (ख) (ii)],

(v) कोई भी व्यक्ति जो व्यापार के माध्यम से उल्लंघनकारी कार्य को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है [धारा 51 (ख) (iii)] और

(vi) कोई भी व्यक्ति जो भारत में काम की किसी भी उल्लंघनकारी प्रति का आयात करता है [धारा 51 (ख) (iv)]।

हम इनमें से केवल (i) और (ii) के उल्लंघनकर्ताओं के बारे में चिंतित हैं। श्रेणी (i) में वे व्यक्ति शामिल हैं जो कुछ भी करते हैं, ऐसा करने का विशेष अधिकार, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम द्वारा, प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को प्रदान किया

जाता है। गीतों की रिकॉर्डिंग के स्वामी के मामले में, उन्हें समारोहों में बजाया जाता है और जनता के बीच संप्रेषित किया जाता है, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के तहत प्रतिलिप्यधिकार स्वामी में निहित अधिकार, हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक सीमा तक, रिकॉर्डिंग को चलाने और जनता तक पहुंचाने का अधिकार है। श्रेणी (i), धारा 51 (क) (i) से संबंधित है, इसलिए, उस व्यक्ति से संबंधित होगी, जो प्रतिलिप्यधिकार स्वामी से लाइसेंस के बिना, जनता के अनुसार अपनी रिकॉर्डिंग चलाता है या संप्रेषित करता है। धारा 51 (क) (ii), स्पष्ट रूप से, वर्तमान मामले में, उन होटलों या अन्य स्थानों को शामिल करेगी जहां उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ऐसी रिकॉर्डिंग की जाती है।

132. जैसा कि श्री लाल ने सही ढंग से प्रस्तुत किया है, वादी जैसी कार्यक्रम प्रबंधन कंपनी प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 51 (क) के उपखंड (i) या (ii) के अंतर्गत नहीं आएगी। न तो वादी उन रिकॉर्डिंग्स के साथ कुछ करता है जिनमें प्रतिवादी 1 से 3 के पास प्रतिलिप्यधिकार है, ऐसा करने का अधिकार प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम द्वारा उक्त प्रतिवादियों पर निहित है, न ही वादी उस स्थान का स्वामी या नियंत्रक है जहां ये गतिविधियाँ होती हैं। <u>इसलिए, वादी किसी भी स्थिति में, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 51 के अर्थ के भीतर- "प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघनकर्ता" नहीं हो सकता है।</u>

III. <u>वादी को कोई धमकी नहीं दी गई</u>

133. स्पष्ट रूप से इस विधिक स्थिति के प्रति सचेत, नोवेक्स से मैरियट को 14 दिसंबर 2020 को दिए गए संचार में भी आरोप लगाया गया है कि, यदि रिकॉर्डिंग, जिसमें प्रतिवादी 1 नोवेक्स के पास प्रतिलिप्यधिकार है, मैरियट में शादी समारोहों में चलाया जाता है, तो ध्वनि रिकॉर्डिंग बजाने वाला व्यक्ति और मैरियट, दोनों ही प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होंगे।

134. इसलिए, पत्र में मैरियट को पूर्व चेतावनी देने के लिए आगे बढ़ा है कि, यदि यह पहली बार में, नोवेक्स से ध्वनि रिकॉर्डिंग में गैर-विशिष्ट सार्वजनिक प्रदर्शन अधिकार प्राप्त किए बिना ऐसी रिकॉर्डिंग को चलाने की अनुमति देता है, तो यह नोवेक्स के प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन होगा।

135. इसलिए 14 दिसंबर 2020 के पत्र में वादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन की कार्यवाही की धमकी नहीं दी गई है या यह आरोप नहीं लगाया गया है कि यदि वादी द्वारा मैरियट में आयोजित विवाह समारोह में, जिस रिकॉर्डिंग में नोवेक्स के पास प्रतिलिप्यधिकार है, उसे नोवेक्स से लाइसेंस के बिना चलाया जाता है, तो वादी प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन का दोषी होगा। उस संबंध में दायित्व, 14 दिसंबर 2020 के पत्र के अनुसार, स्पष्ट रूप से मैरियट या ध्वनि रिकॉर्डिंग बजाने वाले व्यक्ति का होगा, न कि वादी का।

136. <u>वादी का यह तर्क कि 14 दिसंबर 2020 के पत्र में न केवल मैरियट बल्कि वादी को भी धमकी दी गई है, इसलिए, गलत है।</u>

IV. प्रतिवादी 2 और 3 ने किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं बताया है; होटलों से संचार द्वारा भी कोई खतरा नहीं है।

137. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, नोवेक्स से मैरियट को 14 दिसंबर 2020 का पत्र एकमात्र पत्र है जो एक खतरे को दर्शाता है। अनुबंधों की प्रासंगिक शर्तें, और वादी को अपने परिसर में विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति देने के लिए वादी के साथ अपने संचार में होटलों द्वारा निर्धारित शर्तों के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वादी को प्रतिवादी 1 से 3 से एन.ओ.सी./लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कोई खतरा नहीं है। प्रतिवादी 1 से 3 तक लाइसेंस/एन.ओ.सी. प्राप्त करने की आवश्यकता, जैसा कि प्रतिवादी का सही तर्क है, केवल एक संविदात्मक शर्त है। यह कोई धमकी नहीं है।

138. कम से कम इस तरह की संविदात्मक शर्त को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के अर्थ के भीतर एक खतरे के रूप में माना जा सकता है।

V. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60-धारा 105 और 106, पेटेंट अधिनियम के साथ तुलना-धारा 60 केवल पहले से किए गए उल्लंघन के कार्यों पर लागू होती है--

"कोई भी व्यक्ति जिससे व्यथित होता है"

139. उस ने कहा, आइए हम जांच करें कि क्या मैरियट को 14 दिसंबर 2020 के पत्र द्वारा दी गई धमकी, उस तरह की धमकी है प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 में शामिल की गई है। इस संदर्भ में, धारा 60 में प्रयुक्त सटीक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

140. धारा 60 में प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को "किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिलिप्यधिकार के कथित उल्लंघन के संबंध में दायित्व की किसी भी विधिक कार्यवाही" की धमकी देने की परिकल्पना की गई है। स्पष्ट रूप से पढ़ें, इन शब्दों में, जो विचार किया गया है, वह एक खतरा है कि, एक ऐसे कार्य के संबंध में, जो प्रतिलिप्यधिकार स्वामी के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन, विधिक कार्यवाही या दायित्व का गठन करेगा। आमतौर पर किसी अधिनियम के संबंध में प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन का कोई अभिकथन नहीं हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ है। अतः, धारा 60 के प्रारंभिक शब्द स्वयं इंगित करते हैं कि वे प्रतिलिप्यधिकार के कथित उल्लंघन का उल्लेख करते हैं जो पहले ही हो चुका है, और प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को उस संबंध में विधिक कार्यवाही के साथ कथित उल्लंघनकर्ता को धमकी देने की परिकल्पना करते हैं।

141. यह सही व्याख्या है जो धारा 60 में दिए गए शब्दों से स्पष्ट हो जाती है। प्रावधान में आगे कहा गया है कि, जहां इस तरह की धमकी दी जाती है, धमकी से पीड़ित कोई भी व्यक्ति एक घोषणात्मक मुकदमा दायर कर सकता है कि -

कथित उल्लंघन, जिससे धमकियां संबंधित थीं, वास्तव में धमकी देने वाले व्यक्ति के किसी भी विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं था। भूतकाल का उपयोग "नहीं था" इंगित करता है, अचूक रूप से, कि उल्लंघन का अभिकथन एक ऐसे कार्य के संबंध में है जो पहले ही हो चुका है। धारा 60 उस व्यक्ति को, जिसे धमकी दी गई है, एक घोषणात्मक वाद दायर करने की अनुमति देती है कि कथित उल्लंघन, जिससे धमकी संबंधित है, वास्तव में उल्लंघन नहीं था। इसलिए, जो स्पष्ट रूप से परिकल्पित है, वह यह है कि (i) एक कार्य व्यक्ति ए द्वारा किया गया है, (ii) व्यक्ति बी का अभिकथन है कि ऐसा कार्य करके व्यक्ति ए ने प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन किया है, और (iii) व्यक्ति बी, इसलिए, व्यक्ति ए को प्रतिलिप्यधिकार के ऐसे कथित उल्लंघन के संबंध में विधिक कार्यवाही या दायित्व की धमकी देता है, जिसके बाद (iv) व्यक्ति ए को यह घोषणा करने के लिए एक घोषणात्मक वाद दायर करने का अधिकार है कि किया गया कार्य प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन नहीं था।

142. पेटेंट अधिनियम की धारा 105 और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 में उपयोग किए गए शब्दों की तुलना इस स्थिति को स्पष्ट करती है। जैसा कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 60 के मामले में, पेटेंट अधिनियम की धारा 105 भी संचालित होती है- "विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 में निहित कुछ भी होने के बावजूद"। यह किसी भी व्यक्ति को यह घोषणा करने के

लिए एक वाद दायर करने का अधिकार देता है कि उसके द्वारा किसी भी प्रक्रिया का उपयोग, या उसके द्वारा किसी भी वस्तु का निर्माण, उपयोग या बिक्री, पेटेंटी के खिलाफ पेटेंट के दावे का उल्लंघन नहीं है, या नहीं करेगा। भेद स्पष्ट है। वास्तव में, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पेटेंट अधिनियम की धारा 105 के समानांतर हो-एक ऐसा पहलू जिस पर वर्तमान में विचार किया जाएगा-शब्दों का उपयोग-यह इंगित नहीं करता है कि यह प्रावधान उस कार्य के संबंध में लागू होता है जो किए जाने की प्रक्रिया के साथ-साथ भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में भी लागू होता है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 में विधायिका द्वारा "नहीं था" शब्दों का उपयोग, पेटेंट अधिनियम की धारा 105 में "नहीं करता है, या नहीं होगा" शब्दों के उपयोग के साथ देखा जाता है, इंगित करता है कि विधानमंडल उस भाषा में सचेत और सावधान रही है जो वह नियोजित करती है, और यह कि, "नहीं था" शब्दों का उपयोग करके, धारा 60 को केवल पिछले कार्यों के संबंध में लागू करने का एक जानबूझकर इरादा है, यानी ऐसे कार्य जो प्रतिलिप्यधिकार धारक द्वारा प्रतिबद्ध हैं और जिन पर प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन का गठन करने का अभिकथन लगाया जा रहा है।

143. यदि कोई पेटेंट अधिनियम की धारा 106 को संदर्भित करता है, जो वास्तव में, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 का सहायक प्रावधान है, तो यह

पेटेंट उल्लंघन के आधारहीन खतरों के मामले में राहत देने के लिए न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। बशर्ते कि इस नियम में कुछ भी धारा 60 के विपरीत, पेटेंट अधिनियम की धारा 106, उप-धारा (2) में प्रावधान नहीं किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि, जहां उल्लंघन की निराधार धमकी से व्यथित व्यक्ति कार्यवाही शुरू करता है, उक्त कार्यवाही की धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक वाद, "जब तक कि ऐसे वाद में प्रतिवादी यह साबित नहीं करता कि जिन कार्यों के संबंध में कार्यवाही की धमकी दी गई थी, वे पेटेंट का उल्लंघन होंगे, या यदि किए जाएंगे, तो वे पेटेंट का उल्लंघन होंगे...", वादी उसके द्वारा मांगी गई राहत का हकदार होगा। इटैलिक किए गए शब्दों के उपयोग से, विधानमंडल ने जानबूझकर धारा 106 के दायरे को न केवल उन कार्यों तक बढ़ाया है जो वास्तव में प्रतिबद्ध हैं, बल्कि भविष्य में किए जा सकने वाले कार्यों के लिए भी हैं। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 में ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता है।

144. यद्यपि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 में "नहीं था" शब्दों का उपयोग, विशेष रूप से पेटेंट अधिनियम की धारा 105 और 106 में प्रयुक्त शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है, यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि धारा 60 केवल उन कार्यों पर लागू होती है जो पहले से ही प्रतिबद्ध हैं और जो वर्तमान में, प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन की प्रकृति में होने का अभिकथन लगाया जा रहा है, प्रतिलिप्यधिकार धारक द्वारा विधिक कार्यवाही और दायित्व के खतरों के

परिणामस्वरूप, धारा 60 का परंतुक, जिसके लिए पेटेंट अधिनियम में कोई समानांतर नहीं है, संदेह से परे स्थिति को स्पष्ट करता है। परंतुक में प्रावधान है कि धारा 60 तब लागू नहीं होगी जब धमकी देने वाला व्यक्ति, उचित परिश्रम के साथ, अपने द्वारा दावा किए गए प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करता है और वाद चलाता है। प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन के लिए कार्रवाई संस्थित या अभियोजित की जा सकती है, केवल उल्लंघन के एक अधिनियम के संबंध में जो पहले से ही प्रतिबद्ध है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम किसी ऐसे कार्य के संबंध में उल्लंघन कार्यवाही का प्रावधान या परिकल्पना नहीं करता है जो अभी होना बाकी है। अतः परंतुक स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि धारा 60 केवल कथित उल्लंघन के कार्य पर लागू होती है जो पहले ही हो चुका है।

145. श्री लाल और श्री सिब्बल अपनी इस दलील में सही हैं कि कोई भी अन्य व्याख्या परंतुक को निरर्थक और पूरी तरह से अप्रभावी बना देगी। यदि धारा 60 का लाभ उन कार्यों के संबंध में भी दिया जाता है जो अभी भी विचाराधीन हैं, और अभी तक किए जाने हैं, तो परिणाम यह होगा कि, कार्य को करने से पहले, जो व्यक्ति इसे करने का इरादा रखता है, वह धारा 60 के तहत, यह घोषणा करने के लिए एक वाद स्थापित करने के लिए कि *अधिनियम प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन नहीं होगा* यदि प्रतिबद्ध है (जो, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया

गया है, धारा 60 अनुमति नहीं देती है) और, इस तरह के अग्रिम निर्णय को सुरक्षित करके, प्रतिलिप्यधिकार धारक को परंतुक का लाभ उठाने की संभावना को बाधित कर देता है।

146. मैं श्री लाल की इस दलील से पूरी तरह सहमत हूं कि धारा 60 का संरचनात्मक आशय स्पष्ट और अत्रुटिपूर्ण है। प्रावधान में जो परिकल्पना की गई है, वह प्रतिलिप्यधिकार धारक द्वारा कथित उल्लंघनकर्ता द्वारा पहले से किए गए कार्य के संबंध में दायित्व और विधिक कार्यवाही की धमकियों के साथ प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन का अभिकथन है। आम तौर पर, यदि उल्लंघन का कोई कार्य किया जाता है, तो प्रतिलिप्यधिकार धारक से उल्लंघन और उसके जारी रहने के खिलाफ उपाय के लिए वाद दायर करने की अपेक्षा की जाती है। यदि, इसके बजाय, प्रतिलिप्यधिकार धारक केवल कथित उल्लंघनकर्ता को धमकी देने का विकल्प चुनता है, तो कथित उल्लंघनकर्ता, यदि ऐसी धमकियां निराधार हैं, तो धारा 60 के तहत एक वाद दायर करने का हकदार होगा, इस घोषणा के लिए कि कार्य प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन का नहीं था, और खतरों के साथ-साथ नुकसान की निरंतरता के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त करता है। जिस क्षण प्रतिलिप्यधिकार धारक कथित उल्लंघनकर्ता के खिलाफ प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन के लिए वाद दायर करेगा, धारा 60 लागू नहीं होगी। स्पष्ट रूप से, इसलिए, धारा 60 का उद्देश्य प्रतिलिप्यधिकार धारक को उल्लंघन की कार्यवाही शुरू करने

के लिए प्रेरित करना है, यदि वह महसूस करता है कि प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन हुआ है, बजाय इसके कि वह केवल वापस बैठकर कथित उल्लंघनकर्ता को धमकी दे। एक बार जब वह कार्यवाही शुरू कर देता है-यदि उचित तत्परता के साथ किया जाता है-तो उल्लंघन की घोषणा और धमकियों के खिलाफ निषेधाज्ञा का मुकदमा नहीं रहेगा।

147. किसी भी तरह से देखा जाए, इसलिए, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 केवल दायित्व की धमकी और प्रतिलिप्यधिकार के कथित उल्लंघन के कृत्यों के संबंध में आयोजित विधिक कार्यवाही के संबंध में लागू होती है जो पहले से ही प्रतिबद्ध हैं।

148. इस प्रकार देखा गया कि इस कारण से भी, 14 दिसंबर 2020 के पत्र द्वारा मैरियट को नोवेक्स द्वारा दी गई विधिक कार्यवाही की धमकी, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 द्वारा परिकल्पित खतरे की प्रकृति में नहीं थी, क्योंकि यह एक ऐसे कार्य से संबंधित थी जो अभी तक प्रतिबद्ध नहीं किया गया है।

149. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 का प्रावधान भी अभियोक्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के निवेदन का समर्थन करता है, कि धारा 60 के उद्देश्यों के लिए पीड़ित व्यक्ति को कथित उल्लंघनकर्ता होना चाहिए, न कि

कोई तीसरा व्यक्ति, जो वैधानिक रूप से कोई उल्लंघनकर्ता नहीं हो सकता है और जिसके खिलाफ प्रतिलिप्यधिकार धारक द्वारा विधिक कार्यवाही के उल्लंघन का कोई खतरा नहीं है। पुनः, यदि ऐसे तीसरे व्यक्ति को धारा 60 के तहत गैर-उल्लंघन की घोषणा के लिए वाद दायर करने की अनुमति दी जाती है, तो प्रतिलिप्यधिकार धारक को प्रावधान के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि उल्लंघन के लिए वाद केवल उल्लंघनकर्ता के खिलाफ होगा।

150. इस तरह की विधिक स्थिति को मस्टर पारित करने की अनुमति देने के विशिष्ट परिणाम वर्तमान मामले के तथ्यों से भी स्पष्ट हैं। नोवेक्स द्वारा दी गई धमकी मैरियट को दी गई थी। मैरियट झुक गया, और, वादी के साथ अपने अनुबंध में, वादी को नोवेक्स से एनओसी/लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता वाली एक धारा शामिल की। मैरियट ने नोवेक्स की मांग/अनुरोध के अनुसार कार्य किया है, नोवेक्स स्पष्ट रूप से मैरियट के खिलाफ कोई उल्लंघन वाद नहीं चला सकता है, इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के सामने, मैरियट और वादी के बीच अनुबंध में, एनओसी/लाइसेंस की आवश्यकता है रिकॉर्डिंग से पहले नोवेक्स से प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसमें नोवेक्स प्रतिलिप्यधिकार रखता है, मैरियट में आयोजित किसी भी शादी समारोह में बजाया जाता है, किसी भी उल्लंघन होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, नोवेक्स कभी भी धारा 60 के प्रावधान के तहत उल्लंघन का वाद दायर करने की स्थिति में नहीं होगा। यदि वर्तमान वाद

पर वादी के आग्रह पर विचार किया जाना था, तो परिणाम यह होगा कि, किसी भी उल्लंघन की कोई संभावना नहीं होने के साथ, और नोवेक्स को किसी भी उल्लंघन के वाद को स्थापित करने के अपने अधिकार से अक्षम होने के कारण, वादी को किसी भी उल्लंघनकारी कार्य के होने से पहले न्यायालय का रुख करने और गैर-उल्लंघन के बारे में घोषणा प्राप्त करने का अधिकार होगा, और चूंकि परंतुक को लागू नहीं किया जाएगा, नोवेक्स इसका लाभ लेने के लिए शक्तिहीन हो जाएगा।

151. स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, इसलिए, कि यह केवल एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ धारा 60 के प्रावधान के तहत प्रतिलिप्यधिकार धारक द्वारा उल्लंघन का वाद दायर किया जाएगा, जिसे प्रावधान का लाभ दिया जा सकता है। एक व्यक्ति जिस पर धारा 60 के परन्तुक के तहत उल्लंघन के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए, प्रावधान के मुख्य भाग के अर्थ के भीतर एक "व्यथित व्यक्ति" नहीं हो सकता है। किसी अन्य व्याख्या के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति को धारा 60 के मुख्य भाग का लाभ मिलेगा, जबकि प्रतिलिप्यधिकार धारक को इसके परंतुक के लाभ से वंचित किया जाएगा।

152. न्यायालय के लिए किसी ऐसे विधिक प्रावधान को स्वीकार करने की अनुमति नहीं है, जिसमें एक परंतुक शामिल हो, ऐसी व्याख्या जो परंतुक को अनुचित, अनावश्यक या निरर्थक बना दे। परंतुक प्रावधान के मुख्य निकाय के

रूप में धारा 60 का उतना ही हिस्सा है, और समान सम्मान का हकदार है। प्रावधान के हिस्से को परंतुक में निर्वासित करना केवल विधायी प्रारूपण का मामला है, और यह परंतुक के महत्व को कम नहीं करता है। इसलिए, धारा 60 की इस तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती है कि इसके प्रावधान को पीछे छोड़ दिया जाए।

153. यद्यपि, तर्क देते हुए, धारा 60 के तहत एक वाद वर्तमान मामले के तथ्यों में बनाए रखने योग्य होता, तो उस वाद को मैरियट द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए था, न कि वादी द्वारा। मैरियट ने इस तरह के किसी भी वाद को स्थापित करने का विकल्प नहीं चुना और इसके बजाय, नोवेक्स की मांग पर सहमति व्यक्त की। नोवेक्स द्वारा मैरियट को दी गई धमकी वाष्पित हो गई। वादी के लिए वर्तमान वाद के माध्यम से, एक बार फिर खतरे में जान फूंकने की अनुमति नहीं है, केवल इसलिए कि मैरियट द्वारा लागू की जाने वाली संविदात्मक शर्तों का पालन करने से बचा जा सके।

154. इस तथ्य पर जोर देते हुए कि धारा 60 में "कोई भी व्यक्ति" शब्दों का उपयोग किया गया है, जबकि उस व्यक्ति का उल्लेख करते हुए जो उसके तहत एक वाद स्थापित करेगा, वादी इस तथ्य की दृष्टि खो देता है कि "कोई भी व्यक्ति" शब्द के बाद "एतद्द्वारा व्यथित" शब्द होते हैं। शब्द "एतद्द्वारा" स्पष्ट रूप से प्रतिलिप्यधिकार धारक द्वारा दी गई धमकी को संदर्भित करता है,

जिसका प्रावधान के पहले भाग में उल्लेख किया गया है। इसलिए, प्रतिलिप्यधिकार धारक द्वारा दी गई धमकी से पीड़ित व्यक्ति ही धारा 60 के तहत वाद स्थापित कर सकता है।

155. कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम,संस्करण I, वॉल्यूम IV**,** जैसा कि ***कलवा सुधाकर रेड्डी बनाम मंडला सुधाकर रेड्डी*** में उदधृत किया गया है कि-मोटे तौर पर कहने के लिए, एक पक्ष या व्यक्ति एक निर्णय से व्यथित होता है जब वह केवल उसके व्यक्तिगत, आर्थिक और स्वामित्व अधिकारों पर सीधे और हानिकारक रूप से काम करता है। ***महाराष्ट्र बार काउंसिल*** के अनुसार, ऐसा केवल तभी होता है जब निर्णय किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूल होता है, जिसके परिणामस्वरूप उसके विधिक अधिकारों से इनकार या वंचित किया जाता है, उस व्यक्ति के "व्यथित" होने का दावा किया जा सकता है। सि.प्र.स. के आदेश XLVII नियम 1 सह पठित प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 22 (3) (च) के संदर्भ में अभिव्यक्ति "व्यथित पक्षकारों" से निपटते हुए, उच्चतम न्यायालय ने ***गोपबंधु बिस्वाल बनाम कृष्ण चंद्र मोहंती*** में अभिनिर्धारित किया;

> “इन शब्दों का अर्थ है एक व्यक्ति जो आक्षेपित कार्रवाई या आदेश से सीधे प्रभावित होता है। केवल वे व्यक्ति जो आक्षेपित आदेश से सीधे और तुरंत प्रभावित होते हैं, उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 सह

पठित प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 22(3)(च) के तहत "व्यथित पक्ष" माना जा सकता है।''

156. ***आदि फिरोजशाह गांधी*** में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 37 में नियोजित अभिव्यक्ति "किसी भी व्यथित व्यक्ति" को, उनके द्वारा चुनौती दिए गए आदेश की तुलना में, स्वयं शिकायत का सामना करना पड़ा, या उसी आदेश से व्यथित होना पड़ा क्योंकि यह उसे प्रभावित करता था। रिपोर्ट के पैरा -11 में निहित निम्नलिखित तर्क पर, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बरी करने के आदेश से व्यथित नहीं कहा जा सकता है, केवल इसलिए कि, उसके विचार में, दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराया जाना चाहिए था:

> —11.इन मामलों से यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो मामले के परिणाम से निराश महसूस करता है, वह "व्यथित व्यक्ति" नहीं है। *वह उस लाभ से निराश होगा जो उसे मिलता अगर आदेश दूसरी तरफ जाता। आदेश से उसे गलत तरीके से किसी चीज़ से वंचित करके विधिक शिकायत होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक विधिक शिकायत है और महत्वपूर्ण मामलों के बारे में शिकायत नहीं है, लेकिन उसकी विधिक शिकायत उसे चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।* यह कि आदेश गलत है या यह किसी ऐसे व्यक्ति को बरी करता है जिसे वह समझता है कि दोषी ठहराया जाना चाहिए, यह अपने आप में विधिक शिकायत को जन्म नहीं देता है।॥
>
> (जोर दिया गया)

157. ***एम.आर. मिनी*** में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के विशिष्ट रूप से सम्मानित शब्द, जिन पर प्रतिवादियों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निर्भरता रखते हैं, इस संबंध में विधिक स्थिति को सटीक रूप से चित्रित करते हैं:

> —3.... हो सकता है कि राज्य उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय क्रम से, पिछड़े क्षेत्र क्रम से या अन्यथा, अलग से या किसी भी संवैधानिक रूप से अनुमेय संयोजन में वर्गीकृत कर सकता था। हम यहाँ किसी भी अलग प्रवेश योजना या आरक्षण परियोजना के तहत याचिकाकर्ता की संभावनाओं से चिंतित नहीं हैं। रहस्यमय आशंकाएँ न्यायिक अनुमानों से परे हैं। एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि विश्वविद्यालय क्रम से सीटों का आवंटन वैध है, तो याचिकाकर्ता का दुर्भाग्य निश्चित है, *यदि हम इस सन्दर्भ में उस अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हर प्रतिकूलता क्षति नहीं होती। न्यायिक उपचार हर घाव को ठीक नहीं कर सकता है क्योंकि विधि का अनुशासन न्यायालयों को अपनी सीमा के भीतर रखता है।*॥
>
> (जोर दिया गया)

158. <u>अभिकथित प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघनकर्ता नहीं होने के नाते, और वह व्यक्ति नहीं होने के नाते जिसे नोवेक्स ने 14 दिसंबर 2020 के अपने नोटिस द्वारा विधिक कार्यवाही की धमकी दी थी, मेरे विचार में, वादी को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के अर्थ के भीतर एक व्यथित व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है, ताकि वह प्रतिवादियों के खिलाफ वर्तमान वाद स्थापित करने का हकदार हो।</u>

159. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी दलील में सही हैं कि वादी की शिकायत, वास्तव में, नोवेक्स द्वारा किसी भी उल्लंघन की कार्यवाही

की स्थापना के खिलाफ नहीं है, या यहां तक कि मैरियट के संबंध में नोवेक्स द्वारा दी गई धमकी के खिलाफ भी नहीं है-क्योंकि धमकी वादी तक नहीं थी-लेकिन मैरियट और अन्य होटलों द्वारा निर्धारित शर्तों में, वादी को अपने परिसर में शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति देने के लिए, उक्त समारोहों में बजाए जाने वाले रिकॉर्डिंग में प्रतिलिप्यधिकार धारकों से एनओसी/लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को शामिल करने के खिलाफ है। इसलिए, अनिवार्य रूप से वाद वह है जो वादी और मैरियट, या अन्य होटलों के बीच अनुबंध की शर्तों में संशोधन की मांग करता है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत वाद दायर नहीं किया जा सकता है। धारा 60 के तहत स्थापित किए गए वाद में निम्न उपाय उपलब्ध हैं (i) एक घोषणा कि प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन का कथित कार्य वास्तव में ऐसा कार्य नहीं था, (ii) और धमकियों के जारी रहने के खिलाफ व्यादेश और (iii) ऐसी धमकियों के कारण वादी को हुए नुकसान। वादी को कभी कोई धमकी नहीं दी गई है, और किसी द्वारा भी वादी के खिलाफ प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, मैं प्रतिवादियों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सहमत हूं कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 का लाभ वादी को नहीं मिल सकता है। जैसा कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सही ढंग से बताया है, एक बार जब मैरियट ने नोवेक्स के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और वादी के साथ अपने अनुबंध में,

नोवेक्स से एन.ओ.सी./लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को शामिल किया, तो दायित्व या विधिक कार्यवाही का कोई खतरा नहीं बचा। मैरियट दम तोड़ दिया, दूसरे शब्दों में, वास्तव में, नोवेक्स का खतरा वाष्पित हो गया। खतरा अब जीवित नहीं है, स्पष्ट रूप से खतरे के जारी रहने के खिलाफ किसी भी व्यादेश का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। वादी के खिलाफ प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, वादी गैर-उल्लंघन की घोषणा के लिए वाद दायर नहीं कर सकता था। वादी धारा 60 के खंड (ख) के तहत हर्जाने के लिए वाद भी नहीं कर सकता था, क्योंकि खंड में इस तरह की धमकियों के कारण नुकसान की आवश्यकता होती थी। इसलिए, वादी द्वारा दी गई धमकी और नुकसान, यदि कोई हो, के बीच की निकटता खंड (ख) के लागू होने के लिए अनिवार्य है।

160. वर्तमान मामले में, मैरियट को धमकी दी गई थी। यह धमकी मैरियट पर सशर्त थी कि वह अपने परिसर में शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति दे, रिकॉर्डिंग चलाएँ जिसमें नोवेक्स के पास प्रतिलिप्यधिकार था, नोवेक्स से लाइसेंस/एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना। जैसा कि वादी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सही ढंग से प्रस्तुत किया है, कम से कम प्रतिरोध के मार्ग का पालन करने का विकल्प चुना, और वादी के साथ अपने नियमों और शर्तों में, नोवेक्स से एन.ओ.सी./लाइसेंस प्राप्त करने की शर्त शामिल की। इस प्रकार,

नोवेक्स की मांग संतुष्ट हो गई। शर्त, जिसकी गैर-पूर्ति नोवेक्स द्वारा रखे गए खतरे को प्रेरित करेगी, मैरियट द्वारा भी संतुष्ट थी। चूंकि खतरा अब नहीं रहा, इसलिए यह नहीं माना जा सका कि धमकी के कारण वादी को कोई नुकसान हुआ है। यदि वादी को मैरियट के साथ अनुबंध में शामिल करके किसी भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ता है, इस शर्त के लिए कि वादी को नोवेक्स से एन.ओ.सी./लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, या उस कारण से किसी अन्य संबंध में पीड़ित होता है, तो वादी के साथ उपचार कहीं और होता है, और नोवेक्स के खिलाफ नहीं, बल्कि मैरियट के खिलाफ निर्देशित किया जाएगा। वादी और मैरियट के बीच विवाद अनिवार्य रूप से अनुबंध के दायरे में बढ़ेगा। मैं प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सहमत हूं कि, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत वर्तमान वाद स्थापित करके, वादी मैरियट के साथ अपने अनुबंध की शर्तों में संशोधन की मांग नहीं कर सकता है।

161. श्री सिंधवानी का यह तर्क कि होटलों और कार्यक्रम प्रबंधन कंपनियों के बीच अनुबंधों में, वादी सहित, शादी समारोहों की रिकॉर्डिंग में प्रतिलिप्यधिकार धारकों से एन.ओ.सी./लाइसेंस लेने की शर्त को विबाध्यता के तहत शामिल किया गया था, इन कार्यवाही में जांच नहीं की जा सकती है। इस तरह के किसी भी

विबाध्यता का कोई साक्ष्य नहीं है। विबाध्यता तथ्य की एक दलील है, जिसे साक्ष्य में स्थापित किया जाना है।

162. इस संदर्भ में, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि, मैरियट से वादी को दिनांक 22 दिसंबर 2020 के संचार को छोड़कर, जिसमें उनके बीच अनुबंध की शर्तों में, नोवेक्स से लाइसेंस/एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता को उस संबंध में नोवेक्स की मांग का परिणाम होने का संकेत दिया गया था, अभिलेख पर रखे गए किसी भी अन्य अनुबंध में ऐसा कोई संकेत नहीं पाया गया है, जिसका वादी एक हिस्सा है। किसी भी अन्य अनुबंध में, जिसके लिए पैरा 22 से 24 *पूर्वोक्त* में उल्लेख किया गया है, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि एन.ओ.सी./लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता वाली शर्त किसी भी प्रतिवादी 1 से 3 द्वारा किसी भी मांग के अनुसार थी। इसलिए विबाध्यता का सवाल ही नहीं उठता।

163. जो मुझे विवाद के एक अन्य पहलू पर लाता है, जिसके बारे में प्रतिवादियों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रस्तुतिकरण स्वीकृति के योग्य है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत, किसी भी व्यक्ति के कहने पर, प्रतिवादी 2 और 3 के खिलाफ, उन तथ्यों पर, जो अभिलेख में रखे गए हैं, कोई वाद नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उक्त प्रतिवादियों में से किसी ने कभी भी मैरियट या किसी अन्य

प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही स्थापित करने की धमकी दी है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, एकमात्र दस्तावेज, जिसमें इस तरह का खतरा पाया जाता है, नोवेक्स से मैरियट को 14 दिसंबर 2020 का संचार है। इस लिए, उस कारण से भी, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत, न्यायालय के समक्ष तथ्यों पर, प्रतिवादी 2 और 3 के खिलाफ कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता था।

164. इस लिए, वर्तमान वाद वादी द्वारा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत दायर नहीं किया जा सकता था।

VI. क्या प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम प्रतिलिप्यधिकार से संबंधित उपचार की मांग के लिए अन्य विधियों की उपलब्धता को रोकता है-विशेष रूप से विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34?

165. वादी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है, और प्रतिलिप्यधिकार, या प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन से संबंधित सभी राहत, अनिवार्य रूप से प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के तहत मांगी जानी चाहिए। इस संदर्भ में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***ब्रिस्टल मायर्स, नोवेक्स कम्युनिकेशन***, ***टाइम वार्नर एंटरटेनमेंट*** और ***टेकला कॉर्पोरेशन*** को उद्धृत किया है। श्री सिंधवानी, इसके

विपरीत, तर्क देते हैं कि सि.प्र.सं. के तहत, एक वाद स्थापित करके घोषणा की मांग करने का अधिकार, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 द्वारा समाप्त नहीं किया गया है और इस उद्देश्य के लिए ***सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेंज, जीन टेक और गंगा राम अस्पताल ट्रस्ट*** पर निर्भर है ।

166. ***ब्रिस्टल मायर्स,*** पैरा 17ङ में, निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः

> —ङ. पेटेंट अधिनियम पेटेंट से संबंधित विधि का एकमात्र भंडार है। पेटेंट के संबंध में कोई अंतर्निहित या सामान्य विधिक अधिकार नहीं है, जैसा कि व्यापार चिह्नों के संबंध में मौजूद है। जिस तरह पेटेंट अधिनियम पेटेंट से संबंधित विधि में संशोधन और समेकन के लिए एक अधिनियम है, उसी तरह प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम भी प्रतिलिप्यधिकार से संबंधित विधि में संशोधन और समेकन के लिए एक अधिनियम है और इसके संबंध में ***टाइम वार्नर एंटरटेनमेंट कंपनी एल.पी. बनाम आर.पी.जी. नेटकॉम ग्लोब, एंटरटेनमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड बनाम सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कृषिका लुल्ला बनाम श्याम विट्ठलराव देवकट्टा, नेविगेटर्स लॉजिस्टिक्स लिमिटेड बनाम।काशिफ कुरैशी, सतीश कुमार बनाम खुशबू सिंह,*** में अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिलिप्यधिकार एक वैधानिक अधिकार है और प्रतिलिप्यधिकार का कोई सामान्य विधि अधिकार नहीं है और अधिनियम के बाहर कोई प्रतिलिप्यधिकार मौजूद नहीं है या दावा किया जा सकता है। ***क्रोक्स इंक यू.एस.ए. बनाम एक्वालाइट इंडिया लिमिटेड और माइकोलयूब इंडिया लिमिटेड बनाम सौरभ इंडस्ट्रीज*** में डिजाइन अधिनियम, 2000 के संबंध में भी यही देखा गया है। उद्योग पेटेंट के संबंध में भी यही स्थिति होगी। पेटेंट से संबंधित किसी भी अधिकार का दावा केवल पेटेंट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है और कहीं और नहीं।

167. ***नोवेक्स*** जिसे प्रतिवादी 1 द्वारा वादी के रूप में स्थापित किया गया था, में हमारे सामने मामले के समान विवाद शामिल था, लेकिन इसके विपरीत। नोवेक्स, उस मामले में, नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन (एन.आर.ए.) के निर्णय के खिलाफ एक वाद दायर किया - प्रतिवादी - सार्वजनिक रूप से रिकॉर्डिंग करने से पहले नोवेक्स से लाइसेंस प्राप्त नहीं करने के लिए जिसमें नोवेक्स ने प्रतिलिप्यधिकार रखा था, जैसा कि 9 दिसंबर 2015 और 22 दिसंबर 2015 के पत्रों द्वारा सूचित किया गया था। नोवेक्स ने इसलिए यह घोषणा करने की मांग की कि उक्त पत्र अवैध, अमान्य और साथ ही एक व्यादेश था, जिसमें एन.आर.ए. के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से उन किसी भी रिकॉर्डिंग का प्रदर्शन करने से रोका गया था जिसमें नोवेक्स ने लाइसेंस प्राप्त किए बिना प्रतिलिप्यधिकार रखा था। इस न्यायालय ने एक विद्वान एकल न्यायाधीश के माध्यम से कहा कि, हालांकि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 ने प्रतिलिप्यधिकार धारक द्वारा उठाए जा रहे प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन की निराधार धमकियों के खिलाफ वाद दायर करने की अनुमति दी है, लेकिन प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, जो इसके विपरीत काम करता है। इसके अलावा, रिपोर्ट के पैरा 21 में, इस न्यायालय ने राय दी कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 को उस व्यक्ति द्वारा उल्लंघन का आरोप लगाए बिना प्रतिलिप्यधिकार की घोषणा की मांग करने के लिए लागू नहीं किया

जा सकता है जिसके खिलाफ घोषणा का दावा किया गया था। यह अवलोकन, वास्तव में इंगित करेगा कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 पूरी तरह से पुरोबंधित नहीं है, यहां तक कि जहां मांगी गई राहत कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में भी। तैयार संदर्भ के लिए, निर्णय के पैरा 20 और 21 को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

> "20. प्रतिलिप्यधिकार एक वैधानिक अधिकार है। परिनियम यानी प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, हालांकि प्रतिलिप्यधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति पर वाद करने और दूसरे को विधिक कार्यवाही और उसके उल्लंघन के लिए दायित्व के साथ धमकी देने का अधिकार निहित करता है, लेकिन प्रतिलिप्यधिकार से इनकार करने वाले व्यक्ति पर वाद करने का ऐसा अधिकार निहित नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 वादी द्वारा दावा किए गए प्रतिलिप्यधिकार से इनकार कर रहा है। प्रतिलिप्यधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धारा 55 के तहत प्रदत्त एकमात्र अधिकार उसके उल्लंघन के लिए वाद करना है। यह वादी का मामला नहीं है कि प्रतिवादी सं. 1 एसोसिएशन वादी द्वारा दावा किए गए प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन कर रहा है। केवल प्रतिलिप्यधिकार से इनकार, जैसा कि प्रतिवादी सं. 1 कर रहा है, अधिनियम की धारा 51 के तहत उल्लंघन का गठन नहीं करता है।
>
> 21. जहाँ तक विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ का संबंध है, मेरी राय में इसे उस व्यक्ति द्वारा उल्लंघन का आरोप लगाए बिना प्रतिलिप्यधिकार की घोषणा का दावा करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है जिसके खिलाफ घोषणा का दावा किया गया है। प्रतिलिप्यधिकार केवल अधिनियम का निर्माण है और एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है, इसके लिए दावे स्वयंसिद्ध रूप से केवल अधिनियम द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं, न कि अधिनियम के बाहर।

168. ***टाइम वार्नर एंटरटैनमेंट*** में पैरा 9 और 10, जिस पर श्री लाल भरोसा करते है, इस प्रकार है:

> "9. उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थियों-वादियों के इस तर्क को प्रतिग्रहण करना संभव नहीं है कि वे अपकृत्य विधि के तहत व्यादेश के हकदार हैं। यह अधिनियम स्वयं प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में वैधानिक अधिकारों को निर्धारित करता है और विशेष रूप से प्रदान करता है और जहां वैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है, वहां उपचार भी प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 16 विशेष रूप से किसी व्यक्ति को अधिनियम या किसी अन्य लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार किसी भी काम में प्रतिलिप्यधिकार या किसी अन्य समान अधिकार का दावा करने से रोकती है। प्रतिलिप्याधिकार मौजूद है और केवल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार या किसी भी विधि के तहत दावा किया जा सकता है जो उस समय लागू था जब अधिनियम लागू किया गया था। अपीलार्थी-वादी प्रतिलिप्यधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं और अधिनियम के प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन के लिए वाद नहीं कर सकते हैं। प्रतिलिप्यधिकार विधि के तहत सामान्य विधिक अधिकारों को पहले प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1911 की धारा 31 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसे प्रतिलिप्यधिकार से संबंधित विधि में संशोधन और समेकन के लिए अधिनियमित किया गया था। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1911 की धारा 31 निम्नानुसार हैः
>
> > —31. **सामान्य विधिक अधिकारों का निराकरण**— कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम या तत्काल लागू किसी अन्य वैधानिक अधिनियम के प्रावधानों के तहत और उसके अनुसार के अलावा, किसी भी साहित्यिक, नाटकीय, संगीत या कलात्मक कार्य में, चाहे वह प्रकाशित हो या अप्रकाशित, प्रतिलिप्यधिकार या किसी भी समान अधिकार का हकदार होगा, लेकिन इस धारा में कुछ

भी विश्वास या विश्वास के भंग को रोकने के किसी अधिकार को निराकृत करना या अधिकारिता को निरस्त करने के रूप में नहीं समझा जाएगा।

10. इसलिए, उपरोक्त प्रावधान का प्रभाव सभी सामान्य विधिक अधिकारों को निरस्त करने का था, जैसा कि वे मौजूद थे। इसलिए, एक व्यक्ति केवल उक्त अधिनियम के प्रावधानों और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1911 के अधिनियमित होने पर लागू किसी अन्य वैधानिक अधिनियम के तहत प्रतिलिप्यधिकार का हकदार था। अधिनियम की धारा 16 को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1911 की धारा 31 के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए।

169. श्री लाल और श्री सिब्बल द्वारा उद्धृत निर्णय, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, मेरी सुविचारित राय में, वर्तमान जैसे मामले में विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 की उपलब्धता को पुरोबंधित नहीं करते हैं। इस बारे में कि क्या अभियोक्ता विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के तहत वर्तमान वाद में मांगी गई राहत की मांग कर सकता है, यह पूरी तरह से एक अलग मामला है, जिसे वर्तमान में संबोधित किया जाएगा। श्री लाल और श्री सिब्बल द्वारा प्रस्तुत बहुप्रयोजनीय प्रतिपादना, कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के बाहर किसी भी प्रावधान के तहत प्रतिलिप्यधिकार से संबंधित कोई राहत नहीं मांगी जा सकती है, हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधिक रूप से पारित करने के लिए बहुत व्यापक है। ***ब्रिस्टल मायर्स*** इस बात से चिंतित था कि क्या व्यापार-चिन्ह के मामले में, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के बाहर प्रतिलिप्यधिकार का

कोई सामान्य विधिक अधिकार मौजूद था। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिलिप्याधिकार का कोई भी अधिकार अनिवार्य रूप से प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के चार कोनों तक ही सीमित होना चाहिए। इसी तरह, ***टाइम वार्नर एंटरटेनमेंट*** इस बात से भी चिंतित था कि क्या अपकृत्य विधि के तहत एक व्यादेश, जो सामान्य विधि के दायरे से संबंधित है, प्रतिलिप्यधिकार से संबंधित है, का दावा किया जा सकता है। यहाँ भी, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिलिप्याधिकार का कोई भी अधिकार प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम से उत्पन्न होना चाहिए। यह प्रतिपादना,कह सकते हैं, व्यावहारिक रूप से एक सत्यवाद है। स्पष्ट रूप से, प्रतिलिप्यधिकार का अधिकार प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के प्रावधानों से प्राप्त किया जाना चाहिए। वास्तव में और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के बाहर, विधि में प्रतिलिप्यधिकार का कोई अधिकार मौजूद नहीं है।

170. हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली कार्यवाही, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के तहत शुरू नहीं की जा सकती है। वास्तव में, नवंबर 10 का निर्णय इसके विपरीत संकेत देता प्रतीत होता है।

171. यहां तक कि इस आधार पर कि, केवल एक स्व-निहित कोड होने के कारण, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम विशिष्ट राहत अधिनियम, या उसकी धारा

34 की प्रयोज्यता को पुरोबंधित नहीं कर सकता है, फिर भी यह देखा जाना बाकी है कि क्या वर्तमान वाद में मांगी गई राहत धारा 34 के तहत दावा की जा सकती है।

VII. क्या विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 लागू होती है?- धारा 34 के बाहर घोषणात्मक डिक्री पारित करने की शक्ति

172. सीधे शब्दों में कहें तो विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगी। धारा 34 एक न्यायालय को स्थिति या अधिकार की घोषणा जारी करने का अधिकार देती है। जो व्यक्ति इस तरह की घोषणा चाहता है, वह प्रावधान के अनुसार, "किसी भी कानूनी चरित्र या किसी भी संपत्ति के रूप में किसी भी अधिकार के हकदार व्यक्ति" होने के लिए है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी, जिसके विरुद्ध वाद स्थापित किया गया है, को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ऐसे चरित्र या अधिकार पर अपने अधिकार को अस्वीकार करता है या अस्वीकार करने में रुचि रखता है।

173. स्पष्ट रूप से, प्रतिवादी, वर्तमान मामले में, किसी भी संपत्ति के लिए वादी के अधिकार या वादी के विधिक चरित्र से इनकार नहीं कर रहे हैं। वादी के विधिक चरित्र या संपत्ति के लिए वादी के अधिकार की प्रकृति के बारे में वाद में प्रकथन मौन हैं, जिसे प्रतिवादियों के आक्षेपित कार्यों ने खतरे में डाल दिया है।

174. ***भूप सिंह*** में, वादी भूप सिंह ने अपने पितृत्व के बारे में एक घोषणा की मांग की; कि वह गंगा सहाय का नहीं, बल्कि मोहकम सिंह का पुत्र था। निचली दो अदालतों के समक्ष विफल होने के बाद, दोनों का मानना था कि भूप सिंह इस तरह की घोषणा की मांग नहीं कर सकता था, भूप सिंह मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ले गया। उच्च न्यायालय ने विचार के लिए उसके समक्ष उठे पहले मुद्दे की पहचान इस रूप में की कि क्या मामले की परिस्थितियों में, भूप सिंह माता-पिता की घोषणा के हकदार था या नहीं। निर्णय विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 42 के संदर्भ में वापस किया गया था, जो विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 के साथ समान था। उच्च न्यायालय ने अपनी चर्चा शुरू की जिसमें रिपोर्ट के पैरा 9 में निम्नलिखित टिप्पणियां दी गई हैंः

> "9. इस धारा के अनुसार, एक वादी को केवल घोषणा के लिए वाद लाने से पहले जो सर्वोपरि शर्त पूरी करनी चाहिए, वह यह है कि वह किसी भी 'विधिक चरित्र' या किसी भी 'संपत्ति के वाद में किसी भी अधिकार' का हकदार होना चाहिए। वादपत्र पर, जैसा कि तैयार किया गया है, किसी भी संपत्ति के किसी भी अधिकार का कोई सवाल ही नहीं उठा। वास्तव में, वादपत्र में किसी भी संपत्ति का कोई संदर्भ नहीं था, संपत्ति के किसी भी अधिकार के संबंध में बहुत कम राहत मांगी गई थी। तब एकमात्र सवाल यह है कि क्या अपने वादपत्र में वादी ने आरोप लगाया था कि वह इस खंड के अर्थ के भीतर किसी भी 'विधिक चरित्र' का हकदार था।"

इसके पश्चात, उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 21 में यह स्पष्ट किया कि उसके विचार में, पूर्ववर्ती विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 में निहित शब्द-"विधिक चरित्र"-पर सही व्याख्या क्या रखी जानी चाहिए, इस प्रकारः

> "21. इससे पहले कि मैं उन मामलों का उल्लेख करूं जिनमें विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 में 'विधिक चरित्र' शब्दों की व्याख्या व्यापक महत्व की अभिव्यक्ति के रूप में की गई थी ताकि संबंधित व्यक्ति की स्थिति को अंगीकार किया जा सके, मैं केवल उस अर्थ के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी कर सकता हूं, जो मेरे विचार में, उस अभिव्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। *सबसे पहले, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इन शब्दों में इस धारा के तहत घोषणा की मांग करने वाले व्यक्ति या पक्ष के लिए विशिष्ट संदर्भ है, बिना किसी परिस्थिति से प्रभावित हुए कि क्या उसके पास किसी भी संपत्ति का अधिकार है या नहीं।* 'विधिक चरित्र' और 'किसी भी संपत्ति के रूप में अधिकार' शब्दों का उपयोग अलग-अलग किया गया है और संयोजन के रूप में नहीं किया गया है, ताकि वादी को एक या किसी संपत्ति के अनन्य आधार पर घोषणा का अधिकार दिया जा सके। *एक बार फिर, "चरित्र" शब्द से पहले "विधिक" शब्द का भी कोई महत्व नहीं है। यह घोषणा की मांग करने वाले व्यक्ति की समाज में स्थिति को दर्शाता है। क्या कोई पुरुष दूसरे का वैध पुत्र है, क्या वह दूसरे का दत्तक पिता है, क्या उसने विधिक रूप से किसी विशेष महिला से शादी की है या क्या किसी विशेष परिवार के साथ अपने संबंधों के आधार पर, वह एक निश्चित विशेषाधिकार और रियायत का हकदार है और इस धारा के अर्थ के भीतर उसके "विधिक चरित्र" से जुड़े प्रश्नों के उदाहरण हैं, और अगर उसे कोई खतरा लगता है या उसकी स्थिति को चुनौती देने का कोई डर है, तो वह निश्चित रूप से विधि के न्यायालय में राहत मांग सकता है।* ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थिति को विनिर्णयों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त है जिसका मैं अब उल्लेख करूंगा।"

(जोर दिया गया)

चूंकि भूप सिंह केवल मोहकम सिंह के पुत्र के रूप में अपनी विधिक स्थिति की घोषणा की मांग कर रहा था, उच्च न्यायालय ने भूप सिंह के प्राथमिक उद्देश्य की पहचान करते हुए, वाद शुरू करने में, संभवतः, "केवल अपने पिता के वैध पुत्र के रूप में अपनी स्थिति की न्यायिक मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठा के इस तरह के नुकसान को बनाए रखने के लिए किया था जैसा कि प्रतिवादी करने में कामयाब रहा हो, और किसी भी आगे के खतरे के खिलाफ इसे संरक्षित करने के लिए", वाद को सक्षम होने के लिए अभिनिर्धारित किया।

175. इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा प्रस्तुत गुरुद्वारा प्रबंधक समिति15 में विचाराधीन मुद्दा यह था कि क्या विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के तहत गुरुद्वारे में पूजा करने के अधिकार के संबंध में घोषणा की मांग की जा सकती है। इस न्यायालय ने उक्त मुद्दे का जवाब इस प्रकार दियाः

> *अभिव्यक्ति "विधिक चरित्र" को विधिक स्थिति का पर्याय अभिनिर्धारित किया गया है। मोदी जे ने* ***मेजर जनरल शांता शमशेर जंग बहादुर राणा बनाम कमानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड*** *में इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की है। विद्वान* न्यायाधीश ने यह इंगित किया कि उक्त अभिव्यक्ति "विधिक चरित्र" जो विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में आती है, उन अधिनियमों द्वारा परिभाषित नहीं की गई थी; वे किसी भी पिछले निर्णय का विषय भी नहीं थे। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी कंपनी का प्रबंध निदेशक

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 के अर्थ के भीतर किसी भी विधिक चरित्र का हकदार नहीं था।

इस संबंध में हमारा ध्यान ***वाजिद अली शाह बनाम दियानत-उल-लाह बेग*** की ओर भी आकर्षित किया गया है, जहां सर मु.न्या. पेथेराम ने इस प्रकार कहा:

> *"इस मामले में वादी प्रथम श्रेणी में से एक के रूप में वाद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका कोई "विधिक चरित्र" नहीं है जिससे कोई इनकार करता है:वह केवल एक मुसलमान के रूप में अपने चरित्र का दावा करता है, और उस पर सवाल नहीं उठाया गया है। न ही वह अपने लिए किसी भी संपत्ति के अधिकार का दावा करता है, और प्रतिवादी के किसी भी कार्य से किसी भी संपत्ति के अधिकार से इनकार नहीं किया गया है।* इसलिए, वाद धारा 42 आदि के प्रावधानों के तहत नहीं आता है।

जीपीसी के नियंत्रण वाले गुरुद्वारों में पूजा करने और यहां तक कि दिल्ली में रहने वाले सिख समुदाय के सदस्यों के रूप में जीपीसी के सदस्यों का चुनाव करने के वर्तमान वादी के अधिकार से इनकार नहीं किया गया है। फिर भी उपरोक्त चरित्र किसी भी संपत्ति के अधिकार का दावा नहीं होगा; वाद में प्रतिवादियों के किसी भी कार्य से मु.न्या. पेथेरम की भाषा में किसी भी संपत्ति के अधिकार से इनकार नहीं किया गया है।

हम यह नहीं देखते हैं कि ***सत नारायण गुरवाला बनाम हनुमान प्रसाद*** में निर्णय, वादी के लिए किसी भी सहायता का है। इस मामले में, अभिव्यक्ति-'विधिक चरित्र' को मताधिकार के अधिकार और नगर समिति के लिए चुने जाने के अधिकार को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक

माना गया था। यह दिल्ली नगर समिति के नामांकन पत्रों को गलत तरीके से खारिज करने का मामला था।

हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान वादियों के पक्ष में कोई घोषणा नहीं की जा सकती है क्योंकि उनका कोई विधिक चरित्र नहीं है, जो विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 के तहत घोषणा देने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।

इस लिए, मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, वर्तमान वादियों द्वारा घोषणा के लिए वाद बनाए रखने योग्य नहीं है।

176. पूर्ववर्ती विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 के संदर्भ में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ***मेजर जनरल शांता शमशेर जंग बहादुर राणा*** में अभिनिर्धारित किया कि धारा 42 में निहित अभिव्यक्ति-'विधिक चरित्र' का अर्थ-'कानूनी प्रास्थिति' है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि स्वामित्व अधिकार किसी भी "विधिक स्थिति" या "विधिक चरित्र" में परिणत नहीं हुए। विधिक चरित्र में परिणत होने वाला अधिकार व्यक्तिगत प्रकृति का होना चाहिए। धारा 42 के प्रयोजनों के लिए "विधिक चरित्र" का गठन करने का परीक्षण, इस प्रकार निर्णय के पैरा 49 में पहचाना गया था:

> "49. इसलिए, हॉलैंड ने जो कहा है उसे दोहराने के लिए, एक विधिक अधिकार को व्यक्तिगत अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और यह किसी की स्थिति के बराबर होगा, और एक स्वामित्व अधिकार से अलग है, जब इसमें किसी भी असंबद्ध से उत्पन्न होने वाले व्यक्तित्व की विशिष्टता शामिल होती है अधिनियम की प्रकृति जिसे अंतर्निहित व्यक्ति घटना वाले व्यक्ति के विरुद्ध लागू कर सकता है। व्यक्तियों के विधि में

मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व ऐसा है जो उन विधिक संबंधों को अनिश्चित काल के लिए संशोधित करता है जिनमें व्यक्तित्व से ओत-प्रोत व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यह तब विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 में उल्लिखित विधिक स्थिति या "विधिक चरित्र" का परीक्षण प्रतीत होता है।"

177. ***प्रिंसटन निकेतन*** में, इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश एस. रवींद्र भट (जैसा कि वे उस समय थे) द्वारा प्रतिपादित, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 की रूपरेखा की सटीक पहचान की। उस मामले में, वादी ने एक घोषणा की मांग की कि दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में पहले प्रतिवादी द्वारा निष्पादित, बेचने का समझौता अवैध, अमान्य और वादी पर बाध्यकारी नहीं था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी की कोई विधिक स्थिति नहीं थी जिसके लिए वह घोषणा की मांग कर रहा था और वाद को कायम नहीं रख सकता था। निर्णय के पैरा 8 को इस संदर्भ में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

"8.इस वाद मामले में, वादी चाहता है कि न्यायालय यह घोषित करे कि पहले और दूसरे प्रतिवादी के बीच दर्ज किया गया एक तथाकथित रद्द अनुबंध, शून्य और अप्रभावी है। वाद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहले प्रतिवादी को वाद संपत्ति के मृतक मालिक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में पेश किया गया था। पटना सिविल न्यायालय में लंबित वाद एक मालिकाना हक का वाद है, जिसमें संपत्ति के संबंध में स्वामित्व या अन्य संबंधित राहत का सवाल है। वर्तमान वादी उस वाद में पक्षकार नहीं है; माना जाता है कि संपत्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं है। इसने अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन का दावा नहीं किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 2000 में किया गया था। वाद अभिकथनों के अनुसार, ऐसा करने का अवसर तब उत्पन्न होगा जब स्वामित्व वाद का निपटारा किया जाएगा (संभवतः पहले प्रतिवादी के सफल होने की स्थिति में)। वादी वाद संपत्ति में किसी भी ग्रहणाधिकार, या बोझ, या इस तरह के ब्याज का दावा नहीं करता है, जो एक ब्याज का गठन करता है, जैसा कि विधि द्वारा ज्ञात है। वाद की संपत्ति पर उसका अधिकतम अधिकार आकस्मिक है (और

एक अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर है, अर्थात मालिकाना हक़ वाद में सफल होने वाला पहला प्रतिवादी)। इसके अलावा, वादी के पास दूसरे प्रतिवादी के साथ अनुबंध की गोपनीयता नहीं है। ये सभी तथ्य, पिछली चर्चा की पृष्ठभूमि में पढ़े गए हैं कि क्या सही है या स्थिति क्या है, यह दर्शाता है कि मांगी गई घोषणा वाद के किसी भी पक्ष के विधिक अधिकार या विधिक स्थिति से संबंधित नहीं है। दस्तावेज़ सबसे पहले है- वादपत्र के अनुसार, लागू नहीं, रद्द कर दिया गया है। दूसरा, इसने पक्षकारों के बीच कर्तव्यों और दायित्वों को लागू किया; वादी के पास वाद संपत्ति का कोई अधिकार या हक़ नहीं है, और इसलिए, इसे आक्षेप करने की अधिस्थिति नहीं है।

178. उच्चतम न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीश की न्यायपीठ ने ***ए.सी. मुथैया*** में निर्णय के पैरा 35 में स्पष्ट रूप से कहा है कि एक घोषणात्मक डिक्री केवल विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में पारित की जा सकती है, और महत्वपूर्ण रूप से, इसका एकमात्र अपवाद प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम और पेटेंट अधिनियम में पाया जा सकता है, जो धारा 34 के बावजूद, यह घोषणा करने के लिए एक वाद की स्थापना की अनुमति देता है कि प्रतिलिप्यधिकार या पेटेंट के उल्लंघन का खतरा आधारहीन है। ***ए. सी. मुथैया*** का पैरा-35 प्रजनन के योग्य है, विस्तार सेः

"35.इसके अलावा, अपीलकर्ता ने दोनों वाद में घोषणात्मक डिक्री की मांग की है। हालाँकि, मांगी गई घोषणाएँ केवल विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 के संदर्भ में दी जा सकती हैं। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 को पढ़ने से संकेत मिलता है कि वादी को विधिक चरित्र या किसी अधिकार का हकदार होने के लिए घोषणात्मक राहत लेनी होगी। एकमात्र अपवाद विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम

> और पेटेंट अधिनियम में पाई जा सकती है, जिसमें विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के बावजूद यह घोषणा करने के लिए वाद दायर किया जा सकता है कि प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन का कोई खतरा या पेटेंट आधारहीन है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41 (जे) में प्रावधान है कि दावा किए गए व्यादेश को तब अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए जब वादी का मामले में कोई व्यक्तिगत हित न हो। प्रत्युत्तर के पैरा 18 में किए गए प्रकथन विशिष्ट राहत अधिनियम के प्रावधानों को अपीलकर्ता द्वारा दो वादों में दिए गए तथ्यों पर लागू नहीं करते हैं।
>
> (जोर दिया गया)

179. यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की एक पूर्व न्यायपीठ ने भी **सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेंज** में, यह निर्णय दिया था कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 42 में घोषणात्मक डिक्री प्रदान करने की शक्ति समाप्त नहीं थी। हालाँकि, मैं ***ए. सी. मुथैया*** का अनुसरण करने के लिए इच्छुक हूँ, न केवल इसलिए कि यह एक बाद का निर्णय है, और विशेष रूप से वर्तमान विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 से संबंधित है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन की धमकियों के घोषणात्मक फरमानों की मांग करने के अधिकार को ध्यान में रखता है, जिसे वादी के खिलाफ प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत आधारहीन माना जा रहा है।

180. विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि निर्णय द्वारा उक्त प्रावधान के संबंध में घोषित विधि के संदर्भ में पहले से ही

उपरोक्त उद्धृत किया गया है, वादी द्वारा मांगी गई घोषणा उसके विधिक चरित्र या किसी भी संपत्ति के अधिकार से संबंधित नहीं है। किसी भी प्रतिवादी द्वारा वादी के संपत्ति के अधिकार या किसी भी तरह से इसके विधिक चरित्र से इनकार नहीं किया गया है। वादी की शिकायत होटल और वादी के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों में एक संविदात्मक शर्त से उत्पन्न होती है, जिसमें वादी को उन व्यक्तियों से लाइसेंस/एन.ओ.सी. प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जो रिकॉर्डिंग में प्रतिलिप्यधिकार रखते हैं जिसे वादी अपने विवाह समारोहों में चलाने का प्रस्ताव करता है। कल्पना के किसी भी विस्तार से यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह की संविदात्मक शर्त वादी की विधिक स्थिति या संपत्ति के अधिकार से इनकार करने के बराबर है। इसलिए, वर्तमान वाद में जो घोषणा मांगी जा रही है, वह स्पष्ट रूप से विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के दायरे से बाहर है।

181. तर्क के लिए, यह मानते हुए कि घोषणा करने का अधिकार विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 तक ही सीमित नहीं है, फिर भी, वर्तमान मामले के तथ्यों में, क्या वादी द्वारा वाद में प्रार्थनाओं के संदर्भ में एक घोषणा की मांग की जा सकती है?

VIII. <u>धारा 52 (1) (यक), प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम-वाद में प्रार्थनाएँ</u>

182. चूंकि घोषणा पूरी तरह से प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52 (1) (यक) पर आधारित है, जिसे उसके स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाता है, इसलिए उक्त प्रावधान का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

183. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52 उन कृत्यों को सूचीबद्ध करती है जो उल्लंघन का गठन नहीं करेंगे। जिन परिस्थितियों में प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन किया गया है, वे धारा 51 में पाए जाते हैं। वादी धारा 52 (1) (यक) के लाभ का दावा करता है। यह वादी का मामला नहीं है, भले ही धारा 52 (1) (यक) उस पर लागू नहीं होती है, फिर भी यह रिकॉर्डिंग चलाने से पहले प्रतिवादी 1 से 3 से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें वे शादी समारोहों में प्रतिलिप्यधिकार रखते हैं। इसलिए, धारा 51 का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

184. धारा 52 (1) (यक), प्रासंगिक सीमा तक, आदेश देती है कि किसी भी प्रामाणिक धार्मिक समारोह के दौरान जनता को किसी साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कार्य या ध्वनि रिकॉर्डिंग का संचार प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। धारा 52 (1) (यक) का स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः

> *"स्पष्टीकरण/-* इस धारा के प्रयोजन के लिए,[81] विवाह जुलूस और विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सवों सहित[81] धार्मिक समारोह।

185. प्रावधान पर आते हुए, धारा 52 (1) (यक) निर्दिष्ट करती है कि यह केवल किसी भी प्रामाणिक धार्मिक समारोह के दौरान ध्वनि रिकॉर्डिंग का जनता के लिए संचार है जो प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन के बराबर नहीं होगा। स्पष्टीकरण में "धार्मिक समारोह", "बारात और विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सव" अभिव्यक्ति के दायरे में शामिल हैं। स्पष्टीकरण में मुख्य खंड को एक साथ पढ़ना, इसलिए, यह हमारे उद्देश्यों, संचार, जनता के लिए, विवाह जुलूसों और विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सवों में ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए प्रासंगिक है, बशर्ते कि विवाह बारात, या विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सव, धारा 52 (1) (यक) के लाभ के लिए उपलब्ध होने के लिए वास्तविक होना चाहिए।

186. इस विवाद को स्वीकार करना संभव नहीं है कि एक धार्मिक समारोह का संदर्भ, जैसा कि धारा 52 (1) (यक) में निहित है, को इसके स्पष्टीकरण तक भी पहुंचना चाहिए। एक बार

जब स्पष्टीकरण में धारा 52 (1) (यक) के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति-"धार्मिक समारोह" को शामिल किया जाता है, तो बारात और विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सव, प्रत्येक बारात और विवाह से जुड़े सभी सामाजिक उत्सवों को, वास्तव में, एक-धार्मिक समारोह माना जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि बारात या उससे जुड़े सामाजिक उत्सव किसी धार्मिक चरित्र के हिस्सेदार हों। वास्तव में, यह कुछ हद तक विचित्र प्रतीत होता है कि विवाह बारात, या संबंधित सामाजिक

उत्सवों को धार्मिक होने की आवश्यकता है, ताकि वे धारा 52 (1) (यक) के स्पष्टीकरण के लाभ के हकदार हों।

187. कौन से उत्सव, और कौन से उत्सव, "विवाह से जुड़े सामाजिक उत्सव" के रूप में योग्य होंगे, यह स्पष्ट रूप से तथ्य का एक शुद्ध प्रश्न है, जिसका निर्णय मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाना है। मेरे विचार में, ऐसा कोई सख्त पैमाना नहीं हो सकता है जिसके द्वारा कोई निश्चित रूप से किसी विशेष कार्य या समारोह को विवाह से जुड़े सामाजिक उत्सव के रूप में मान सके। बहस के दौरान यह था कि क्या, उदाहरण के लिए, 25वीं शादी की सालगिरह शादी से जुड़े सामाजिक उत्सव के रूप में योग्य होगी। मेरे विचार में, यह प्रश्न एक आसान समाधान में सक्षम नहीं है। यदि और जब कोई न्यायालय गुण-दोष के आधार पर मुद्दे को उठाता है, तो न्यायालय को "सहयोग" की प्रकृति और सीमा को स्पष्ट करना होगा जो उत्सव को विवाह से जुड़ा हुआ मानने के लिए पर्याप्त होगा। क्या विवाह से जुड़े उत्सवों को उन उत्सवों तक सीमित रखा जाना चाहिए जो विवाह से ठीक पहले या उसके तुरंत बाद होते हैं? उदाहरण के लिए, क्या उनमें विवाह के एक महीने बाद आयोजित होने वाला रिसेप्शन शामिल होगा? क्या चांदी, या सोना, या हीरे की शादी की सालगिरह, शादी से जुड़े एक सामाजिक उत्सव के रूप में योग्य होगी? सामाजिक उत्सवों और विवाह से जुड़े अन्य उत्सवों में क्या अंतर है? मैं इन मुद्दों को केवल इस स्थिति को रेखांकित

करने के लिए उजागर करता हूं कि धारा 52 (1) (यक) के स्पष्टीकरण के आवेदन में विभिन्न कारकों पर विचार करना शामिल हो सकता है, जो बदले में, न्यायालयों के समक्ष मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा, जिसमें घटना की प्रकृति, उत्सव की प्रकृति और उत्सव और विवाह के बीच संबंध की सीमा और प्रकृति शामिल है।

188. फिर से, विवाह से जुड़े हर सामाजिक उत्सव धारा 52 (1) (यक) के लाभ के लिए योग्य नहीं है, जिसे उसके स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाता है। विचाराधीन सामाजिक उत्सव प्रामाणिक होना चाहिए। दुर्भाग्य से, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम इस बारे में कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है कि कब किसी विशेष समारोह को प्रामाणिक माना जा सकता है। यह, फिर से, एक ऐसा मुद्दा होगा जो मामला-दर-मामला आधार पर उत्पन्न हो सकता है। ***शिव सरूप गुप्ता बनाम महेश चंद गुप्ता*** में, उच्चतम न्यायालय ने "सदाशय" को "प्राकृतिक, नकली नहीं, वास्तविक, शुद्ध, ईमानदार" के रूप में परिभाषित किया। उसी निर्णय में अन्यत्र, अभिव्यक्ति को "अच्छे विश्वास में, धोखाधड़ी या धोखे के बिना" के रूप में परिभाषित किया गया था। व्युत्पत्ति के अनुसार, सदाशयता का लैटिन में अर्थ है "अच्छे विश्वास में"।

189. इसलिए, विवाह से जुड़े उत्सवों में रिकॉर्डिंग को बजाने या संचार करने को प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन न माना जाए, इसलिए, दावेदार के लिए यह दावा

करना आवश्यक होगा कि (i) विचाराधीन उत्सव एक "सामाजिक उत्सव" है, (ii) उत्सव विवाह से जुड़ा है और (iii) उत्सव प्रामाणिक है।

190. वर्तमान वाद में प्रार्थना (क) एक घोषणा की मांग करती है कि "अधिनियम की धारा 52 (1) (यक) के तहत प्रदान किए गए प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन से स्पष्ट अपवाद के मद्देनजर, वादी द्वारा या अन्यथा, विवाह और समारोहों में ध्वनि रिकॉर्डिंग और/या संगीत कार्यों और गीतों का उपयोग किए जाने पर कोई प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन नहीं है"। प्रार्थना (ख) और (ग) प्रार्थना (क) के संदर्भ में समान हैं, जहां तक वे "विवाह और संबंधित समारोहों" का उल्लेख करते हैं। प्रार्थना (घ) प्रतिवादियों और उनकी ओर से कार्य करने वाले अन्य सभी लोगों को वादी या अन्य समान संस्थाओं को प्रतिवादी 1 से 3 तक "बारात और विवाह से जुड़े समारोहों के लिए" लाइसेंस/ एन.ओ.सी. लेने की आवश्यकता से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश की डिक्री की मांग करता है।

191. प्रथमदृष्टया ऐसी सर्वव्यापी घोषणा नहीं दी जा सकती है।

192. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52 (1) (यक), हालांकि इसे व्यापक रूप से पढ़ने पर, यह नहीं बताता है कि प्रतिलिप्यधिकार धारक से लाइसेंस प्राप्त किए बिना प्रतिलिप्यधिकार ध्वनि रिकॉर्डिंग "विवाह और उससे जुड़े समारोहों में " चलाए जाने पर प्रतिलिप्यधिका उल्लंघन कभी नहीं होगा। छूट केवल बारात और विवाह से जुड़े सामाजिक उत्सवों पर लागू होती है; बशर्ते, आगे, कि वे सदाशयी हों।

193. इस संदर्भ में, ***देवेंद्र कुमार रामचंद्र द्विवेदी*** के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय, जैसा कि के.एस. राधाकृष्णन, मु.न्या. (जैसा कि उस समय थे) द्वारा लिखा गया था, प्रासंगिक है। याचिकाकर्ता ने उस मामले में उसके द्वारा आयोजित किए जा रहे नवरात्रि गरबा/दांडिया महोत्सव में व्यवधान के खिलाफ राहत मांगी थी। व्यवधान इस आधार पर था कि उक्त उत्सवों में ध्वनि रिकॉर्डिंग को प्रतिलिप्यधिकार धारक से लाइसेंस प्राप्त किए बिना चलाया जा रहा था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस तरह के किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी और इस उद्देश्य के लिए, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52 (1) (यक) पर भरोसा किया गया था।

194. उच्च न्यायालय ने यह विचार अपनाया कि धारा 52 (1) (यक) द्वारा शामिल किया गया अपवाद, संगीत और अन्य गैर-नाटकीय कार्यों के गैर-लाभकारी प्रदर्शनों के लिए था, जिसका उद्देश्य किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति करना नहीं था और न ही निजी वित्तीय लाभ के लिए। निर्णय के पैरा 13 में धारा 52 (1) (यक) के स्पष्टीकरण की सामग्री पर भी ध्यान दिया गया है। निर्णय के पैरा 11 से 14 को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

> "11.धारा 52 (1) अनिवार्य लाइसेंस, दायित्व से पूर्ण छूट और निष्पक्ष या ईमानदार उपयोग जैसे अन्य विशेषाधिकारों के रूप में प्रतिलिप्यधिकार मालिक के अधिकारों पर विभिन्न सीमाओं को छूट देती है। धारा 52 (1), (ट), (ठ) और (यक) आम तौर पर संगीत और अन्य गैर-नाटकीय कार्यों के

गैर-लाभकारी प्रदर्शनों को संदर्भित करती है। बुनियादी जोर इस तरह के कार्यों के प्रत्यक्ष प्रदर्शन को तब छूट देना है जब कोई व्यावसायिक उद्देश्य न हो और जब कोई प्रवेश शुल्क न हो और इसका उपयोग विशेष रूप से शैक्षिक, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता है न कि किसी निजी वित्तीय लाभ के लिए।

12. विशेष रूप से या मुख्य रूप से निवासियों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के हिस्से के रूप में किसी भी आवासीय परिसर में निवासियों के सामान्य उपयोग के लिए सार्वजनिक रूप से सुनाई जाने वाली संगीत रिकॉर्डिंग या किसी संलग्न कमरे या हॉल में गरबा और डांडिया नृत्य प्रदर्शन प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। इसी तरह एक क्लब या इसी तरह के संगठन की गतिविधियाँ जो लाभ के लिए स्थापित या संचालित नहीं की जाती हैं। इसके अलावा, एक शौकिया क्लब या समाज द्वारा एक साहित्यिक नाटकीय या संगीतमय कार्य का प्रदर्शन, यदि प्रदर्शन एक गैर-भुगतान करने वाले दर्शकों को या एक धार्मिक संस्थान के लाभ के लिए दिया जाता है, तो प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। लोक संगीत या सार्वजनिक क्षेत्र संगीत के मामले में भी ऐसा ही है।

13. केंद्र सरकार-राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण आधिकारिक रूप से एक साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कार्य के प्रदर्शन की व्यवस्था कर सकता है, जो प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन नहीं होगा या नवरात्रि पूजा, आरती आदि जैसे प्रामाणिक धार्मिक समारोह के संबंध में भी नहीं होगा, इसलिए विवाह जुलूस या विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सव भी प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन नहीं होंगे।

14. इसलिए, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 52 (1) का मुख्य जोर ऐसे कार्यों के प्रत्यक्ष प्रदर्शन को छूट देना है जब कोई वाणिज्यिक उद्देश्य नहीं है और जब कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और/या जब प्रवेश आय का उपयोग विशेष रूप से शैक्षिक, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किया जाता है और न कि निजी व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए। उपरोक्त सिद्धांत को आम तौर पर 'उचित या ईमानदार उपयोग सिद्धांत' कहा जाता है जो एक प्रतिलिप्यधिकार मालिक द्वारा रखे गए अनन्य अधिकारों पर सबसे महत्वपूर्ण सीमा का गठन करता है। 'उचित उपयोग

सिद्धांत' को पहली बार न्यायाधीश स्टोरी द्वारा वर्ष 1841 में ***फोल्सम बनाम मार्श*** में व्यक्त किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि जीवनी या आलोचनात्मक टिप्पणी तैयार करने के दौरान प्रतिलिप्यधिकार सामग्री को उद्धृत करना क्षम्य हो सकता है, लेकिन अगर इतना अधिक लिया जाता है, तो मूल का मूल्य समझदारी से कम हो जाता है, या मूल लेखक का श्रम काफी हद तक हानिकारक होता है जो दूसरे द्वारा विनियोजित होता है। उचित उपयोग सिद्धांत का एक और उद्देश्य है विज्ञान और उपयोगी कलाओं की प्रगति को बढ़ावा देना। उचित उपयोग सिद्धांत तब लागू होता है जब प्रतिलिप्यधिकार मालिक के अधिकारों का बहुत अधिक शाब्दिक प्रवर्तन ज्ञान तक पहुंच और प्रसार में सार्वजनिक हित के नुकसान के लिए काम करेगा, और प्रतिलिप्यधिकार मालिक को महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान के बिना अनधिकृत प्रतिलिपि को बर्दाश्त किया जा सकता है। उचित उपयोग सिद्धांत कानून और तथ्यों का मिश्रित सवाल है और यदि उपयोग गैर-लाभकारी के बजाय वाणिज्यिक है, तो इसे अनुचित माना जाता है और मालिकों के काम के लिए बाजार पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अन्यथा साबित करने का बोझ आयोजकों पर है। ***सोनी कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका बनाम यूनिवर्सल सिटी स्टूडियो*** में, न्यायालय ने प्रतिलिप्यधिकार किए गए टेलीविजन कार्यक्रम के होम वीडियोटेपिंग के लिए उचित उपयोग के दावे को बनाए रखा - एक उपयोग स्पष्ट रूप से गणना श्रेणियों के भीतर रहा है। ***हार्पर एंड रो प्रकाशक बनाम राष्ट्र एंटरप्राइजेज***, जिसमें राष्ट्रपति फोर्ड की प्रकाशित होने वाली यादों से एक समाचार पत्रिका के उद्धरण शामिल हैं जो उनकी माफी से संबंधित हैं राष्ट्रपति निक्सन-एक उपयोग जो स्पष्ट रूप से समाचार रिपोर्टिंग की गणना की गई श्रेणी के भीतर आता है, न्यायालय ने उचित उपयोग के दावे को खारिज कर दिया।"

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्णय के पैरा 15 ने इस प्रकार निष्कर्ष निकालाः

" यह प्रश्न कि क्या कुछ कार्य अधिनियम की धारा 52 (1) के तहत सूचीबद्ध छूट प्राप्त श्रेणियों में आते हैं, प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार तय किया जाना है। अनुमानित इरादे या उचित उपयोग और उल्लंघन, सार्वजनिक हित आदि के सिद्धांत को किसी दिए गए मामले में हमें मिलने

वाली सामग्री के आधार पर आंका जाना चाहिए। जब इस तरह के प्रतिलिप्यधिकारों का व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दोहन किया जाता है तो कठिनाई उत्पन्न होती है, जो उल्लंघन की शिकायत को जन्म दे सकती है। इस मामले में इस मुद्दे पर आगे विस्तार करना अनावश्यक है क्योंकि तथ्यों के आधार पर हमने पाया है कि याचिकाकर्ता के किसी भी वैधानिक या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(जोर दिया गया)

धारा 52 (1) (यक) के स्पष्टीकरण के लाभ के लिए पात्रता मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी, और जिस घटना के संबंध में लाभ मांगा जा रहा है, इस प्रकार, इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है।

195. चूंकि मैं वर्तमान वाद में उठाए गए विवाद के गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष वापस करने का इरादा नहीं रखता, इसलिए गुजरात के उच्च न्यायालय की तरह मेरे लिए भी प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52 (1) (यक) के दायरे पर और अधिक विस्तार करना अनावश्यक है। हालाँकि, निर्विवाद रूप से, एक संवैधानिक न्यायालय की एक खण्डपीठ द्वारा एक विचार मौजूद है कि धारा (यक) और उसके स्पष्टीकरण सहित धारा 52 (1) के विभिन्न खंडों द्वारा दी गई छूट का उद्देश्य वाणिज्यिक उत्सवों या समारोहों पर लागू होना नहीं है, बल्कि गैर-लाभकारी गतिविधियों को पूरा करना है।

196. उच्चतम न्यायालय ने ***शैलेश धैर्यवान बनाम मोहन बालकृष्ण लुल्ला*** और ***ऋचा मिश्रा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य*** मामले में अपने निर्णय में अभिनिर्धारित

किया है कि वर्तमान में विधि की व्याख्या का सुनहरा नियम, स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ का नियम नहीं है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण निर्माण का नियम है। मामले के उस दृष्टिकोण में, यह आवश्यक हो सकता है, एक व्यक्तिगत मामले में जिसमें धारा 52 (1) (यक) के अपवाद के लाभ का दावा "विवाह से जुड़े सामाजिक उत्सव" के लिए किया जा रहा है, यह जांचने के लिए कि क्या मामला प्रावधान के लाभ के योग्य है। इस तथ्य को नजरअंदाज करना संभव नहीं हो सकता है कि धार्मिक समारोह, साथ ही विवाह बारात भी, गैर-लाभकारी कार्यक्रम हैं, जिनमें कोई व्यावसायिक रंग या चरित्र नहीं होता है। यदि, इसलिए, इनमें से किसी भी अवसर पर एक प्रतिलिप्यधिकार रिकॉर्डिंग चलाई जाती है, तो यह लाभ के विचार से प्रेरित नहीं है, और जनता के अनुसार संचार किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं है। स्पष्ट रूप से, इस तरह के मामले और ऐसी स्थिति के बीच एक गुणात्मक अंतर है जिसमें प्रतिलिप्यधिकार रिकॉर्डिंग, उदाहरण के लिए, बॉलीवुड के हिट गीतों को डीजे द्वारा बजाया जाता है, अक्सर भारी पारिश्रमिक के लिए। ऐसे अवसरों पर रिकॉर्डिंग बजाने वाले डीजे की प्रेरणा स्पष्ट रूप से व्यावसायिक है। प्रामाणिक धार्मिक समारोहों और विवाह कार्येक्रमों की प्रकृति को देखते हुए, यह एक विवादास्पद मुद्दा हो सकता है, जिसे आसानी से हल नहीं किया जा सकता है, कि क्या अतिरंजित विवाह समारोहों में प्रतिलिप्यधिकार रिकॉर्डिंग का ऐसा व्यावसायिक शोषण, धारा 52 (1) (यक) के स्पष्टीकरण के लाभ का हकदार होगा, उन्हें विवाह से जुड़े सामाजिक उत्सवों के रूप में माना जाता है।

197. मैं इस पर कोई अंतिम राय देने से बचता हूं, क्योंकि मेरे सुविचारित विचार में, वर्तमान याचिका दायर की गई सुनवाई योग्य भी नहीं है।हालाँकि, मैं प्रतिवादी 1 से 3 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ कि,

इस स्थिति को देखते हुए, एक सर्वव्यापी घोषणा, इस आशय की कि प्रतिलिप्यधिकार धारकों से कोई लाइसेंस/एन.ओ.सी. लेना आवश्यक नहीं है, जिनके विवाह समारोहों में रिकॉर्डिंग बजाई जाएगी, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रत्येक मामले की जांच उसके अपने तथ्यों पर की जानी चाहिए, जैसा कि ***देवेंद्रकुमार रामचंद्र द्विवेदी*** के पैरा 15 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। श्री सिब्बल अपने निवेदन में सही हैं कि वाद अनिवार्य रूप से अमूर्त रूप में एक अग्रिम निर्णय की मांग करता है, जो अस्वीकार्य है और इसे मांगा या प्रदान नहीं किया जा सकता है। उत्सवों का विवरण प्रदान किए बिना, जिसके संबंध में घोषणा की मांग की जा रही है, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52 (1) (यक) को लागू करना पूर्व दृष्टया गलत है।

198. यदि, इसलिए, कोई न्यायालय विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के मापदंडों से परे भी एक घोषणात्मक डिक्री देने के लिए सक्षम है, तो वर्तमान मामले के तथ्यों में और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52 (1) (यक) को ध्यान में रखते हुए ऐसी डिक्री नहीं दी जा सकती है।

199. वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सि.प्र.सं. के आदेश I नियम 3 और आदेश II नियम 3 के आधार पर वर्तमान वाद की स्थिरता पर भी सवाल उठाया है, और मैं इस मामले में भी उनसे सहमत हूं।

IX. आदेश I नियम 3, सि.प्र.सं.

200. आदेश I नियम 3 कि खंड (क) और (ख) के बीच संयुग्म 'और' यह स्पष्ट करता है कि एक से अधिक व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में एक वाद में शामिल करने से पहले दोनों खंडों की संचयी संतुष्टि आवश्यक है।

201. खंड (ए) राहत के अधिकार की अपेक्षा करता है, जैसा कि वाद में दावा किया गया है, उसी अधिनियम, या संव्यवहार, या कार्यों या संव्यवहार की श्रृंखला के संबंध में या उससे उत्पन्न होने के लिए। वर्तमान मामले में, नोवेक्स और मैरियट के बीच संव्यवहार अद्वितीय है, जिसमें नोवेक्स से किसी अन्य प्रतिवादी के लिए, या प्रतिवादी 2 और 3 से किसी अन्य प्रतिवादी के लिए कोई समान संचार नहीं है। अतः यह एक व्यक्तिगत संव्यवहार है। उक्त संव्यवहार के द्वारा, नोवेक्स ने मैरियट से आह्वान किया कि मैरियट में आयोजित विवाह समारोहों में नोवेक्स के पास प्रतिलिप्यधिकार वाली रिकॉर्डिंग चलाने वाले किसी भी व्यक्ति को उससे लाइसेंस/एन.ओ.सी. प्राप्त करने की आवश्यकता हो। मैरियट ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया और वादी के साथ अनुबंध में इस तरह की शर्त को शामिल किया। इस प्रकार, नोवेक्स और मैरियट के बीच संव्यवहार सफल रहा।

202. इसके बाद मैरियट ने वादी के साथ अपने अनुबंध में एक प्रावधान शामिल किया जिसमें वादी को नोवेक्स से लाइसेंस/एन.ओ.सी. प्राप्त करने की आवश्यकता थी, उन रिकॉर्डिंग के संबंध में जिसमें नोवेक्स के पास प्रतिलिप्यधिकार था। यह

अधिनियम, जाहिर है, मैरियट को लिखने वाले नोवेक्स के कार्य से अलग है, जिसके लिए इस तरह के लाइसेंस/एन.ओ.सी. की आवश्यकता होती है।

203. जहां तक प्रतिवादी 2 और 3 का संबंध है, उनकी ओर से वादी को मांगे गए किसी अन्य प्रतिवादी से कोई संचार नहीं हुआ है, जिसमें रिकॉर्डिंग के संबंध में उनसे लाइसेंस/एन.ओ.सी. लेने की आवश्यकता है, जिसमें वे प्रतिलिप्यधिकार रखते हैं। वास्तव में, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वादी के खिलाफ, या उसके खिलाफ, एक से अधिक प्रतिवादियों द्वारा, एक साथ किया गया हो। प्रतिवादी 1 नोवेक्स ने वादी के खिलाफ निर्देशित कोई कार्य नहीं किया। प्रत्येक होटल प्रतिवादी (प्रतिवादी 4 से 7) ने वादी के साथ अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुबंध को निष्पादित किया। प्रत्येक अनुबंध एक व्यक्तिगत "अधिनियम" है। प्रत्येक कार्यक्रम जिसे वादी आयोजित करने का प्रस्ताव करता है, वह एक अलग कार्यक्रम होगा, जो आयोजन स्थल/होटल के मालिक के साथ एक अलग अनुबंध द्वारा शामिल किया जाएगा। वादी की शिकायत, संबंधित होटल के आग्रह के संबंध में कि प्रतिलिप्यधिकार मालिक से लाइसेंस/एन.ओ.सी प्राप्त किया जाए, इसलिए, ऐसे प्रत्येक होटल के साथ ऐसे प्रत्येक अनुबंध के संबंध में, वाद हेतुक एक अलग कारण होगा, जिससे एक अलग राहत मिलेगी।

204. इस संबंध में, यह महत्वपूर्ण है कि राहतों की समानता को विधि के प्रश्नों की समानता के साथ भ्रमित न किया जाए जो मामले में उत्पन्न हो सकते हैं।

पहला खंड (क) से संबंधित है और दूसरा खंड (ख) से संबंधित है। आदेश I नियम 3 के खंड (क) में शब्दों का उपयोग "चाहे संयुक्त रूप से, अलग-अलग या वैकल्पिक रूप से" यह स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत प्रतिवादियों, जिनके खिलाफ व्यक्तिगत राहत मांगी जाती है, को भी एक वाद में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, जो आवश्यक है, वह यह है कि वादी को ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ, या विकल्प में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ राहत का अधिकार है, और *इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहत का अधिकार एक ही अधिनियम, एक ही संव्यवहार, या कृत्यों की एक ही श्रृंखला या संव्यवहार की श्रृंखला से उत्पन्न होता है।* अलग-अलग होटलों के साथ व्यक्तिगत अनुबंधों को एक ही अधिनियम या संव्यवहार या कृत्यों या संव्यवहार की एक ही श्रृंखला के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए सि.प्र.सं. के आदेश I नियम 3 की मौलिक अनिवार्यता वर्तमान मामले में पूरी नहीं होती है। इसलिए, प्रतिवादी 1 से 3 या प्रतिवादी 4 से 8 के खिलाफ एक संयुक्त वाद नहीं चलाया जा सकता था।

205. इसलिए, वर्तमान वाद में सभी प्रतिवादियों को संयुक्त वाद में शामिल करना आदेश I नियम 3 का उल्लंघन करता है।

X. सि.प्र.सं. का आदेश II नियम 3 - एक परिप्रेक्ष्य दृश्य

206. आदेश II नियम 3 उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनमें एक वाद में वाद हेतुक एक से अधिक कारणों को जोड़ा जा सकता है। आदेश II नियम 3 (1) एक

अभियोक्ता को एक वाद में कार्रवाई के कई कारणों में शामिल होने की अनुमति देता है, *बशर्ते कि वे एक ही प्रतिवादी या एक ही प्रतिवादी के खिलाफ हों एक साथ।* दूसरे शब्दों में, वादी के पास प्रत्येक प्रतिवादी के खिलाफ या सभी प्रतिवादियों के खिलाफ संयुक्त रूप से वाद हेतुक प्रत्येक कारण होना चाहिए।

207. वर्तमान मामले में,

(i) वादी के पास प्रतिवादी 1 नोवेक्स के खिलाफ वाद हेतुक कोई कारण नहीं है, क्योंकि नोवेक्स द्वारा दी गई धमकी केवल मैरियट के लिए है,

(ii) वादी के पास प्रतिवादी 2 या प्रतिवादी 3 के खिलाफ वाद हेतुक कोई कारण नहीं है, क्योंकि उक्त प्रतिवादियों में से किसी ने भी वादी के साथ संवाद नहीं किया है, वादी और उक्त प्रतिवादियों में से किसी के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है, और उक्त प्रतिवादियों में से किसी ने भी वर्तमान मामले में किसी अन्य प्रतिवादी को कोई धमकी नहीं दी है, और

(iii) वादी का वाद हेतुक कारण, प्रत्येक होटल प्रतिवादी 4 से 8 की तुलना में, उस विशेष होटल के साथ निष्पादित अनुबंध के खंड से संबंधित है, जिसमें वादी को नोवेक्स से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, या रिकॉर्डिंग में प्रतिलिप्यधिकार के अन्य धारक जो उत्सवों में बजाए जाने हैं।

208. "वाद हेतुक", अतिसामान्य है, तथ्यों के समूह को दर्शाता है जिसे एक वादी को प्रतिवादियों के खिलाफ राहत प्राप्त करने के लिए साबित करने की आवश्यकता होगी। तथ्यों के समूह में निस्संदेह वह घटना शामिल होगी जिसे वादी आयोजन स्थल पर आयोजित करने और संचालित करने का इरादा रखता है, विशेष होटल के साथ व्यक्तिगत अनुबंध भी शामिल है। ऐसी प्रत्येक शिकायत/कार्रवाई का कारण उस विशेष होटल से संबंधित है। इस प्रकार, वर्तमान मामला कार्रवाई के सभी कारणों की प्रयोज्यता के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, सभी प्रतिवादियों को वाद में एक साथ जोड़ा जा रहा था।

209. आइए हम मामले को परिप्रेक्ष्य में देखें:

(i) नोवेक्स ने मैरियट (प्रतिवादी 6) को लिखा, मैरियट को सूचित किया कि यदि वह अपने परिसर में रिकॉर्डिंग चलाने के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है, जिसमें नोवेक्स के पास प्रतिलिप्यधिकार है, तो इससे पहले नोवेक्स से एन.ओ.सी./लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, मैरियट के साथ-साथ रिकॉर्डिंग चालाने वाला व्यक्ति भी प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन का दोषी होगा, और उसके लिए वाद चलाया जाएगा। इसलिए, नोवेक्स द्वारा मैरियट को दायित्व और विधिक कार्यवाही की धमकी दी गई थी।

(ii) मैरियट, वादी के साथ अपने अनुबंध में, इसलिए, एक खंड शामिल किया जिसमें वादी को रिकॉर्डिंग चलाने से पहले नोवेक्स से

एन.ओ.सी./लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जिसमें नोवेक्स ने प्रतिलिप्यधिकार रखा था। वादी इस शर्त के अधिरोपित होने से व्यथित है।

(iii) नोवेक्स से मैरियट को 14 दिसंबर 2020 का पत्र एकमात्र संचार है जिसमें प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन के कारण विधिक कार्यवाही के दायित्व का खतरा है।

(iv) इस तरह के किसी भी संचार को प्रतिवादी 2 या प्रतिवादी 3 द्वारा संबोधित नहीं किया गया है। वाद में इस आशय की दलील अभिलेख पर मौजूद किसी भी सामग्री से प्रमाणित नहीं होती है।

(v) मैरियट के अलावा, वादी ने केवल जयपुर में ताजमहल पैलेस होटल, आई.टी.सी. होटल्स और शांगरी-ला के इरोस होटल के वादी के साथ अनुबंध की शर्तों का उल्लेख किया है। जबकि इन संचारों में वादी को प्रतिवादी 1 से 3 तक एन.ओ.सी./लाइसेंस प्राप्त करने की भी आवश्यकता होती है, रिकॉर्डिंग के लिए जिसमें वे प्रतिलिप्यधिकार रखते हैं, ताजमहल पैलेस होटल, आई.टी.सी. होटल या शांगरी-ला से उक्त संचार में कुछ भी नहीं है, यह इंगित करने के लिए कि शर्त को प्रतिवादी 1 से 3 के उदाहरण पर शामिल किया गया है।

(vi) इसलिए, वादी के पास वास्तव में प्रतिवादी 2 और 3 के खिलाफ वाद हेतुक नहीं है। कोई भी वाद हेतुक, भले ही वह मौजूद हो, प्रतिवादी 1 की तुलना में कार्रवाई के कारण के साथ सामान्य नहीं है। यहां तक कि प्रतिवादी 1 की तुलना में, वादी की शिकायत अनिवार्य रूप से मैरियट के खिलाफ है।

(vii) जहां तक प्रतिवादी 4 से 7 का संबंध है, इसलिए, वादी जो प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तव में, संविदात्मक शर्त के संशोधन से कम नहीं है, जिसके अधीन उक्त प्रतिवादी अनुबंध करने के लिए सहमत हो गए हैं। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, सि.प्र.सं. या विशिष्ट राहत अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, जो एक न्यायालय को वादी को विवाह समारोह आयोजित करने के लिए अपने स्थान का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए प्रतिवादी 4 से 7 द्वारा लगाए गए संविदात्मक शर्तों में संशोधन करने का निर्देश देने का अधिकार देता है।

(viii) यह मानते हुए भी कि इस तरह की डिक्री मांगी जा सकती है, वादी को प्रत्येक होटल के खिलाफ अलग-अलग वाद स्थापित करने होंगे, जिसमें उन घटनाओं का विवरण होगा जिनके संबंध में वादी 1 से 3 प्रतिवादियों की रिकॉर्डिंग को उनसे कोई एन.ओ.सी./लाइसेंस प्राप्त किए बिना चलाना

चाहता है। वादी के दावों का सभी होटलों के साथ एक वाद में कोई समामेलन नहीं हो सकता है।

(ix) संक्षेप में, वादी वर्तमान मुकदमे के माध्यम से जो प्राप्त करना चाहता है, वह इस आशय का एक अग्रिम निर्णय है कि वादी, सभी स्थानों पर और हमेशा के लिए, विवाह समारोहों का आयोजन कर सकता है - उनकी प्रकृति की परवाह किए बिना - जिसमें प्रतिवादी 1 से 3 तक की जिन रिकॉर्डिंग्स पर प्रतिलिप्यधिकार है, उन्हें उक्त प्रतिवादियों में से किसी से कोई एन.ओ.सी. या लाइसेंस प्राप्त किए बिना चलाया जाएगा और जनता को सूचित किया जाएगा। इस तरह के अग्रिम निर्णय की मांग अनिवार्य रूप से प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52 (1) (यक) के आधार पर की जा रही है, जिसे उसके स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाता है।

(x) विधि इस तरह के अग्रिम निर्णय की अनुमति नहीं देता है, कम से कम एक समेकित वाद के माध्यम से। इससे भी बदतर, वाद उन घटनाओं का भी खुलासा नहीं करता है जिन्हें वादी आयोजित करने का प्रस्ताव करता है। वादी को प्रतिवादी 1 से 3 से लाइसेंस प्राप्त किए बिना, किसी भी आरोपित होटल में किसी विशेष पहचाने गए विवाह समारोह का आयोजन करने में सक्षम बनाने के लिए, वादपत्र में कोई प्रार्थना नहीं है।

(xi) वर्तमान वाद महज मुकदमेबाजी के दुस्साहस का एक उदाहरण है जो इस तथ्य से और भी स्पष्ट है कि वादी ने न केवल उन व्यक्तिगत होटलों को पक्षकार बनाने का विकल्प चुना है जिनके संबंध में संचार अभिलेख पर रखा गया है, बल्कि स्वयं एफ.एच.आर.ए.आई, प्रतिवादी 9 के रूप में, बाद में प्रतिवादी 8 को पुनः क्रमांकित किया गया। एफ.एच.आर.ए.आई. को लागू करने का एकमात्र औचित्य एक आशंका है, जो वाद में व्यक्त की गई है कि देश भर के सभी होटलों में, आयोजन प्रबंधन कंपनियों के साथ निष्पादित अनुबंधों में, विवाह समारोहों में चलाने के लिए प्रस्तावित रिकॉर्डिंग के प्रतिलिप्यिधकार धारकों से एन.ओ.सी./लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता शामिल होगी।

(xii) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52 (1) (यक) में प्रावधान है कि प्रामाणिक धार्मिक समारोहों में रिकॉर्डिंग की शिकायत, या जनता को सूचित करना, प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन नहीं होगा। धारा 52(1)(यक) का स्पष्टीकरण खंड के प्रयोजनों के लिए विवाह कार्यक्रम और विवाह से जुड़े सामाजिक उत्सवों को धार्मिक समारोह मानता है। इस प्रकार, वैधानिक व्यवस्था स्पष्ट है।

(xiii) <u>कोई भी वाद दायर नहीं किया जा सकता है, केवल एक घोषणा की मांग करते हुए, विधिक स्थिति की घोषणा करते हुए, जो पहले से ही विधि</u>

<u>में घोषित है।</u> किसी विशेष मामले में, धारा 52(1)(यक) का लाभ, उसके सभी स्पष्टीकरण उपलब्ध होंगे या नहीं, यह उस मामले के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

210. वर्तमान वाद, इसलिए, प्रथम दृष्टया किसी भी तरह से कम नहीं है और सरल शॉर्टकट है, जिसके तहत वादी देश में किसी भी और हर स्थान पर आयोजित होने वाले किसी भी और हर विवाह समारोह के लिए एक सर्वव्यापी अग्रिम निर्णय प्राप्त करने की मांग कर रहा है। इसलिए, विधि की घोषणा, और वादी जिसे विधिक स्थिति मानता है, वह बिना किसी तथ्यात्मक आधार के समर्थन के भी मांगी जा रही है। किसी भी स्थिति में, धारा 52(1)(यक) विधि की ऐसी किसी भी सर्वव्यापी घोषणा की मांग को उचित नहीं ठहराती है।

XI. <u>सि.प्र.सं. का आदेश II नियम 2 (1)</u>

211. इस संदर्भ में, कोई सि.प्र.सं. के आदेश II नियम 2(1)88 का संदर्भ भी ले सकता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वाद में संपूर्ण दावे को शामिल करना आवश्यक है जो वादी वाद हेतुक के संबंध में हकदार है। इस प्रावधान के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने ***ए.बी.सी. लैमिनियार्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम ए.पी. एजेंसियां*** में, "वाद हेतुक" को इस प्रकार परिभाषित किया है:

> "12. वाद हेतुक का अर्थ है प्रत्येक तथ्य, जिसक यदि पारगमन किया जाता है, तो वादी के लिए न्यायालय के निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन आदेश के लिए साबित करना आवश्यक होगा। दूसरे शब्दों में, यह तथ्यों का एक समूह है जो उन पर लागू विधि के साथ लिया जाता है जो वादी को

प्रतिवादी के खिलाफ राहत का अधिकार देता है। इसमें प्रतिवादी द्वारा किया गया कुछ कार्य शामिल होना चाहिए क्योंकि इस तरह के कार्य की अनुपस्थिति में कोई वाद हेतुक संभवतः नहीं हो सकता है। यह वाद किए गए अधिकार के वास्तविक उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वे सभी महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हैं जिन पर यह स्थापित किया गया है। इसमें ऐसे तथ्यों को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य शामिल नहीं हैं, लेकिन वादी को डिक्री प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए साबित करने के लिए आवश्यक हर तथ्य शामिल है। सब कुछ जो यदि साबित नहीं होता है तो प्रतिवादी को तत्काल निर्णय का अधिकार देगा, वाद हेतुक का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन इसका प्रतिवादी द्वारा स्थापित किए जाने वाले बचाव से कोई संबंध नहीं है और न ही यह वादी द्वारा मांगी गई राहत के चरित्र पर निर्भर करता है।"

इसलिए, वे सभी महत्वपूर्ण तथ्य जिनके आधार पर वाद हेतुक, जिनके संबंध में वाद में राहत मांगी गई है, अनिवार्य रूप से वादपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसलिए, वादी को जिन तथ्यों की वकालत करनी थी, उनमें से एक विवाह समारोह में चलाई जाने वाली रिकॉर्डिंग के धारकों से लाइसेंस/एन.ओ.सी. प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के लिए, इसलिए, उक्त समारोह में शामिल होने वाली परिस्थितियों के अलावा, समारोह की प्रकृति को ही शामिल किया जाएगा। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52 (1) (यक) के विशिष्ट शब्दों को देखते हुए, वादी को अतिरिक्त रूप से उन परिस्थितियों का अनुरोध करना होगा जो यह इंगित करने के लिए जाती हैं कि

विचाराधीन समारोह को विवाह से जुड़ी सामाजिक उत्सव के रूप में माना जा सकता है और यह कि यह प्रामाणिक है।

212. वर्तमान मामले में, वादी इनमें से किसी भी तथ्य को स्वीकार किए बिना विधि की घोषणा की मांग कर रहा है। सि.प्र.सं. के आदेश II नियम 2 (1) को ध्यान में रखते हुए, कोई भी वाद, केवल विधिक स्थिति की घोषणा की मांग करते हुए, विशेष रूप से उन भौतिक तथ्यों का अनुरोध किए बिना, जिसके आधार पर वाद हेतुक, जिसने वादी को ऐसी घोषणा देखने के लिए प्रेरित किया, झूठ बोल सकता है।

निष्कर्ष

213. परिणामस्वरुप, मेरी राय है कि

(i) वाद, जैसा कि दायर किया गया है, सि.प्र.सं. के आदेश I नियम 3, आदेश II नियम 2 (1) और आदेश II नियम 3 का उल्लंघन करता है, और

(ii) वाद में मांगी गई राहत प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 60 या विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के तहत नहीं मांगी जा सकती है, और

(iii) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 52 (1) (यक) भी वाद में मांगी गई प्रार्थनाओं की सर्वव्यापी प्रकृति को उचित नहीं ठहरा सकती है।

214. इसलिए, जैसा कि मांगा गया है, कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है।

215. इसलिए, अं.आ. 2289/2021 को खारिज कर दिया जाता है।

216. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, वादी को यह कारण दिखाने का भी निर्देश दिया जाता है कि सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के संदर्भ में वाद को क्यों खारिज नहीं किया जाता है। शपथ पत्र पर चार सप्ताह के भीतर कारण दिखाया जाए। प्रतिवादियों द्वारा, यदि कोई प्रतिक्रिया है, तो उसे 4 सप्ताह के भीतर दायर किया जाना चाहिए और उसके बाद 2 सप्ताह के भीतर प्रत्युतर दिया जाना चाहिए।

217. 21 अगस्त 2023 को उपरोक्त पहलू पर सुनवाई के लिए सूची।

सी.हरी शंकर, न्या.

12 मई, 2023
आर/केआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|*